राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम
(एनएचडीपी)
हेतु
दिशानिर्देश

(2021-22 से 2025-26)

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी खंड 7, आर. के. पुरम,
नई दिल्ली-110066
वेवसाइटः handicrafts.nic.in; email: dchejs@gov.in

द्वारा प्रकाशित

विषय

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	संक्षिप्तों की सूची	3
2.	पृष्ठभूमि	4-5
3.	(i) विपणन सहायता एवं सेवाएँ	6 - 25
	(ii) हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास	26 - 36
	(iii) अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई)	37 - 53
	(iv) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ	54 - 62
	(v) इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रोद्योगिकी सहायता	63 - 73
	(vi) अनुसंधान एवं विकास योजना	74 - 78
4.	बृहत हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना	79 - 85

विषय वस्तु

संक्षिप्तियों की सूची

ए आई सी टी ई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
बी सी डी आई	बांस एवं बेंत विकास संस्थान
सी डी आई	शिल्प विकास संस्थान
सी ई पी सी	कालीन निर्यात संवर्धन परिषद
कोहाण्डस	हस्तशिल्प विकास निगम परिषद
सी एस आई आर	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
डी ए	महंगाई भत्ता
ई पी सी एच	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
ओ/ओ डी सी (एच)	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय
एच एस सी	हस्तशिल्प सेवा केंद्र
जी एस बी	गांधी शिल्प बाज़ार
एच आर डी	मानव संसाधन विकास
आई आई सी डी	भारतीय शिल्प एवं डिज़ाइन संस्थान
आई आई सी टी	भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान
आई एन आर	भारतीय राष्ट्रीय रुपए
आई टी आई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एम एस सी	धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र
एम ओ यू	समझौता ज्ञापन
एन डी सी	राष्ट्रीय डिज़ाइन केंद्र
टी एफ सी	व्यापार सुविधा केंद्र
एन सी एम & एच के ए	राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी
एन ई आर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एन जी ओ	गैर-सरकारी संगठन
एन आई डी	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
एन आई एफ टी	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
टी पी ओ	व्यापार संवर्धन संगठन
टी ए	यात्रा भत्ता
यू सी	उपयोगिता प्रमाण पत्र
यू जी सी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
एच एम सी एम	हस्तशिल्प मेगा कलस्टर मिशन
एन एल ए एस	राष्ट्र स्तरीय एपेक्स सोसाइटी

पृष्ठभूमि

हस्तशिल्प हमारी अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकृत/असंगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मुख्यतः ग्रामीण आधारित क्षेत्र है जिसकी पहुंच पिछड़े एवं दुर्गम क्षेत्रों तक है। मूलरूप से, हस्तशिल्प ग्रामीण क्षेत्रों में एक अंशकालिक क्रियाकलाप के रूप में प्रारम्भ हुआ था, परन्तु पिछले कुछ वर्षों में अब यह महत्वपूर्ण बाजार मांग के कारण समृद्ध आर्थिक क्रियाकलाप बन गया है। हस्तशिल्प की क्षमता अत्यधिक है क्योंकि यह न केवल देशभर में बसे वर्तमान लाखों शिल्पियों के अलावा इन कार्यकलापों में बड़ी संख्या में प्रवेश कर रहे शिल्पियों के भरण-पोषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस समय, हस्तशिल्प क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है किन्तु इस क्षेत्र को इसके असंगठित स्वरूप तथा शिक्षा का अभाव, पूंजी की कमी, नई प्रौद्योगिकियों की अपर्याप्त जानकारी, बाज़ार आसूचना का अभाव और कमजोर संस्थागत ढांचा जैसी अतिरिक्त बाधाओं के कारण काफी हानि पहुंची है।

उच्च कलात्मक सामग्री वाले उत्कृष्ट मास्टर-पीस हस्तशिल्प वस्तुओं की बाजार में उच्च कीमत होनी चाहिए। इस तरह के उच्च-प्रीमियम मध्यम-मात्रा वाले हस्तशिल्प उत्पादों को "भारत में हस्तनिर्मित" चिह्न के विकास के साथ मजबूत प्रचार और विज्ञापन प्रयासों के माध्यम से आला बाजार में स्थापित किया जाना चाहिए जो ग्राहकों में अधिक कीमत चुकाने की इच्छा पैदा करेगा। इस भाग के कारीगरों को टूल-किट, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए प्रत्यक्ष सहायता के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाएगी।

उपयोगिता-आधारित गृह सज्जा और फर्निशिंग हस्तशिल्प उत्पादों के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी की शुरूआत और निर्माण प्रक्रिया के कुछ हिस्सों के मशीनीकरण की आवश्यकता होगी जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन, गुणवत्ता में वृद्धि और लागत में कमी लायी जा सके। कारीगरों को सामुदायिक समूहों में संगठित करके इनके समुदायों को सशक्त बनाकर इन मुद्दों को सुलझाया जाएगा:

i) मौजूदा संभावित कलस्टरों को अपनाकर।
ii) निर्यात क्षमता वाले कलस्टरों को अपनाकर।
iii) निर्माता कंपनियों के गठन के माध्यम से।

यह योजना परिकल्पना करती है कि इंटरवेंशन के उपरोक्त प्रकारों के माध्यम से उन्हें सॉफ्ट और हार्ड (इन्फ्रास्ट्रक्चर) दोनों आवश्यकता आधारित इंटरवेंशन प्रदान करके इन कलस्टरों की क्षमता में पर्याप्त सहयोग स्थापित किया जाएगा। कारीगरों के कल्याण और विपणन सहायता के साथ-साथ अन्य आदानों का सुचारू प्रावधान भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, शिल्पकारों पर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आजीविका की स्थिति और उनके परिवारों के विवरण सहित पर्याप्त और प्रामाणिक आंकड़ों की कमी है, जो इस क्षेत्र के लिए योजना और नीति निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली एक बड़ी बाधा बन गए हैं। इसलिए, व्यापक डेटा-बेस बनाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण और अध्ययन किए जाएंगे जिससे कलस्टर में उपयुक्त इंटरवेंशन तैयार करने में सहायता मिलेगी।

विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हथकरघा और हस्तशिल्प के संवर्धन को पर्यटन से जोड़ा जाएगा, जिनकी संख्या देश में उच्च प्रयोज्य आय और मध्यम वर्ग के आकार में वृद्धि के कारण लगातार बढ़ रही है।

हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के निम्नलिखित घटक होंगे:

(क) राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम:

i. विपणन सहायता एवं सेवाएं
ii. कौशल विकास योजना
iii. अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई)
iv. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ (कल्याण)
v. इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रोद्यौगिकी सहायता
vi. अनुसंधान एवं विकास

इस क्षेत्र को उच्च विकास पथ पर लाने के साथ-साथ मौजूदा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित तीन आयामी दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे:-

- आला बाज़ारों के लिए उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देना।
- उपयोगिता-आधारित, जीवन शैली और बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प उत्पादों के उत्पादन हेतु उत्पादन आधार का विस्तार करना।
- परंपरागत/क्षीण शिल्पों का अनुरक्षण व संरक्षण करना।

विपणन सहायता एवं सेवाएं

(I) <u>विपणन सहायता एवं सेवाएं</u>

प्रस्तावना

भारत में हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास में विपणन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देश भर में व्यापार विकास तथा आय उपार्जन के लिए कारीगरों को अपार अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न विपणन मंच उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत एक विशाल देश है और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए घरेलू बाज़ार स्वयं ही अत्यधिक क्षमता वाला बाजार है। भारत विश्व की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था है तथापि विश्व निर्यात आंकड़ों में इसके योगदान का प्रतिशत बहुत कम है। एमएसएस कार्यक्रम पर फोकस से इस अंतर को न्यूनतम किया जा सकेगा और बिक्री एवं निर्यात आंकड़ों को बढ़ाया जा सकेगा।

भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र को आकार देने में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार दोनो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों के माध्यम से इन अवसरों को तलाशने के साथ विषयगत प्रदर्शनियों, लाइव प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, ब्रॉड प्रचार कार्यक्रमों, सेमिनारों, उपहारमेलों,आला बाज़ार बनाने आदि पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। गोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गुणवता मानकों और पेकेजिंग, नैतिक एवं पर्यावरणीय आश्वासनों आदि, पर कारीगरों और निर्यातकों को संवेदनशील बनाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार एवं फैशन प्रचलनों का विशलेषण करने और समझने के लिए फैशन शो/ स्टेण्ड अलोन शो भी किए जाएंगे ताकि कारीगर उन्हें प्रदान किए गए मंचो का लाभ पूर्ण रूप से उठा सके।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न खतरों को ध्यान में रखते हुए एवं सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए वर्चुअल विपणन कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि निर्यातकों तथा व्यापारियों से बड़ी मात्रा में ऑर्डर सुनिश्चित किये जा सके। करोना के प्रकोप का सामना करने के लिए, नवीतम बाज़ार आवश्यकताओं जैसे कपड़ा मास्क, कपड़े की टोपी, दस्ताने, सेनिटाइजर, कैरी बैग आदि के बारे में कारीगरों को अवगत कराया जाना चाहिए।

देश के विभिन्न हस्तशिल्पों पर शैक्षिक वीडियों बनाए जाने चाहिए व उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइटों जैसे यूट्यूब आदि पर अपलोड किया जाना चाहिए ताकि देश के विविध हस्तशिल्पों के बारे में आम जनता को जागरूक किया जा सके।

विपणन के सबसे अनिवार्य रूप में डिजिटल और ई-मार्केटिंग मंचों जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों के साथ एकीकृत भुगतान गेटवे, सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल ऐप आदि की खोज पर जोर दिया जाएगा। देश के युवाओं में नैतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक सिद्धांतों को जगाकर हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और उपयोग करने के लिए आकर्षित करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

एमएसएस कार्यक्रम निम्नलिखित तीन घटकों के मध्य सरंचित है:

I.घरेलू विपणन
II.भारत एवं विदेशों में विपणन कार्यक्रम
III.प्रचार एवं ब्रांड संवर्धन

(I) <u>घरेलू विपणन कार्यक्रम:</u>

भारत एक विशाल देश होने के नाते हस्तशिल्प उत्पादों के लिए अत्यधिक विपणन क्षमता रखता है। देश भर में आयोजित होने वाले विपणन कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों से हस्तशिल्प कारीगरों/स्वावलंबन समूहों/उद्यमियों को प्रत्यक्ष विपणन मंच प्रदान करेंगे। इस तरह के विपणन मंचों से कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे क्रेताओं को बेचने में सहायता मिलेगी और वे दीर्घकालिक व्यापार के लिए बाजार संपर्क स्थापित करने में भी सक्षम हो पाएंगे।

घरेलू विपणन कार्यक्रम के निम्नलिखित उपघटक हैं:-

i) गांधी शिल्प बाज़ार (जीएसबी)/शिल्प बाज़ार (सीबी)
ii) प्रदर्शनियाँ (विषयगत प्रदर्शनी सहित)
iii) राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला (एनएचएफ़)
iv) अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में निर्मित स्थान को किराए पर लिया जाना।
v) शिल्प जागरूकता कार्यक्रम
vi) शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम।

घरेलू विपणन कार्यक्रमों हेतु पात्रता

पात्र संगठन में केंद्रीय/ राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा संवर्धित अन्य पात्र सरकारी निगम/एजेंसियां, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के साथ सूचीबद्ध पात्र गैर सरकारी संगठन, पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, स्थानीय सांविधिक निकाय, शीर्ष सहकारी सोसायटी एवं राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सोसायटी (सोसायटी अधिनियम/ ट्रस्ट अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत) तथा संगठन जैसे आईआईसीटी, एमएचएससी, एचएमसीएम, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली, व्यापार सुविधा केन्द्र एवं शिल्प संग्रहालय, वाराणासी, निफ़्ट एवं निर्यात संवर्धन परिषद, राष्ट्रीय डिज़ाइन केन्द्र, कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत उत्पादक कंपनियां तथा हस्तशिल्प एवं हथकरघा के संवर्धन एवं विकास के लिए कार्य कर रही कंपनियां शामिल हैं।

नोटः- उपयुक्त कोई भी विपणन कार्यक्रम विभागीय गतिविधि के रूप में आयोजित किया जा सकता है।

i) गांधी शिल्प बाज़ार/ शिल्प बाजार

गांधी शिल्प बाज़ारों का आयोजन महत्वपूर्ण मेलों/त्योहारों/प्रमुख नगरों/ऐतिहासिक स्थानों/पर्यटन स्थलों आदि को ध्यान में रखते हुए तैयार किये जाने वाले वार्षिक रोस्टर के आधार पर किया जाएगा। इन बाजारों का आयोजन वर्ष में कम से कम एक बार उसी स्थान पर निश्चित समय पर किया जाएगा। यह कारीगरों के बीच नियमित आय सुनिश्चित करेगा और इन आयोजनों के माध्यम से क्षेत्र के लोग अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे।

पात्र संगठनों को महानगरों/ राज्य राजधानियों/ पर्यटन या वाणिज्य महत्व के स्थलों/ व्यापार सुविधा केन्द्रों/ राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली/ प्रदर्शनी केंद्रों/ दिल्ली हाट में गांधी शिल्प बाजार/ शिल्प बाजार आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गांधी शिल्प बाजार/शिल्प बाजार अन्य स्थानों पर भी आयोजित किए जाएगें, जो अवसर विशेष और विषय विशेष होंगे, भले ही वे रोस्टर में शामिल न हो, जैसे मुख्य राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम या अन्य किसी कार्यक्रम की स्थिति में जो महत्वपूर्ण हो, पर हर वर्ष आयोजित न होते हों।

अवधि एवं भागीदारीः

- अवधि 7-10 दिनों की होगी और इसमें 51-100 स्टॉल शामिल किये जाएंगे।

वित्तीय सहायता

- गांधी शिल्प बाज़ार (जीएसबी) और शिल्प बाजार हेतु अधिकतम वित्तीय सीमा निम्न प्रकार हैः

व्यय शीर्ष (10 दिनों की अवधि हेतु 100 स्टॉल वाले कार्यक्रम के लिए)	**अधिकतम स्वीकार्य सहायता (भारतीय रुपए)**		
	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III
सेवाओं सहित स्थान किराया एवं इंफ्रास्ट्रक्चर	12,25,000	10,65,000	8,85,00
प्रचार	3,00,000	3,00,000	3,00,00
यात्रा भत्ता (4000/- रुपये प्रत्येक प्रतिभागी की दर से)*	4,00,000	4,00,000	4,00,000
दैनिक भत्ता (500/- रुपये प्रति दिन-प्रति कारीगर की दर से)	5,00,000	5,00,000	5,00,000
बीमा	25,000	25,000	25,000
भाड़ा (2000/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से)	2,00,000	2,00,000	2,00,000
विविध व्यय (उपर्युक्त उप-शीर्ष के कुल का 5%)	1,32,500	1,32,000	1,32,000
प्रशासनिक लागत (उपर्युक्त उप-शीर्ष के कुल का 3%)	83,475	78,435	72,765
कुल	**28,65,975**	**26,92,935**	**24,98,265**
* **पूरे देश में आयोजित किसी भी विपणन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप से आए कारीगर वास्तविक आधार पर 5,500/- रुपये प्रति कारीगर प्रति कार्यक्रम की दर से यात्रा भत्ता के हकदार होंगे।**			

ii) प्रदर्शनियाँ (विषयगत प्रदर्शनियों सहित)

बड़े कार्यक्रमों के आयोजन में स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए, 20-50 कारीगरों के साथ प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन शहरी हाटों, प्रदर्शनी केन्द्रों, औद्योगिक नगरों, शहरी और उप-शहरी आवासीय क्षेत्रों, विपणन स्थानों, मॉलों, संस्थानों, पर्यटन महत्व के स्थानों, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय, वाराणसी आदि में किया जाएगा। इससे कारीगरों/उद्यमियों/स्वावलंबन समूहों को लोजिस्टिक्स की कठिनाइयों के बिना विपणन मंचों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और देश के सभी भागों में शिल्प की पहुँच में वृद्धि होगी।

अवधि एवं भागीदारी

- प्रदर्शनियां 20-50 कारीगरों की भागीदारी के साथ 7-10 दिनों की अवधि के लिए आयोजित की जाएंगी।

वित्तीय सहायता

- प्रदर्शनी के लिए वित्तीय सीमा निम्नानुसार होगीः

व्यय शीर्ष (10 दिनों की अवधि के लिए 50 स्टॉल)	**अधिकतम स्वीकार्य सहायता (भारतीय रुपए)**		
	श्रेणी I	**श्रेणी II**	**श्रेणी III**
सेवाओं सहित स्थान किराया एवं इंफ्रास्ट्रक्चर (विषयगत प्रदर्शनी के मामले में 20 स्टालों के लिए)	5,25,000	4,40,000	3,65,000
प्रचार (विषयगत प्रदर्शनी के मामले में 20 स्टालों के लिए)	2,00,000	2,00,000	2,00,000
यात्रा भत्ता (4000/- रुपये प्रति प्रतिभागी की दर से)*	2,00,000	2,00,000	2,00,000
दैनिक भत्ता (500/- रुपये प्रति दिन-प्रति कारीगर की दर से)	2,50,000	2,50,000	2,50,000
बीमा	10,000	10,000	10,000
भाड़ा (2000/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से)	1,00,000	1,00,000	1,00,000
विविध व्यय (उपर्युक्त उप-शीर्षों के कुल का 5%)	64,250	60,000	56,250
प्रशासनिक प्रभार (उपर्युक्त उप-शीर्षों के कुल का 3%)	40,478	37,800	35,438
कुल	**13,89,728**	**12,97,800**	**12,16,688**
*** पूरे देश में आयोजित किसी भी विपणन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप से आए कारीगर वास्तविक आधार पर 5,500/- रुपये प्रति कारीगर प्रति कार्यक्रम की दर से यात्रा भत्ता के हकदार होंगे।**			

iii) राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला (एनएचएफ़)

यह कार्यक्रम पूरे देश से गुणवत्ता, डिज़ाइन और बहुमुखी प्रतिभा में सर्वश्रेष्ठ भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्देश्य घरेलू और विदेशी खरीदारों के बीच उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने के लिए भारत में हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर एक विशेष मेले का आयोजन करना है। इस मेले से भारतीय हस्तशिल्प ब्रांडों की लोकप्रियता बढ़ेगी और समग्र रूप से हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न विपणन माध्यमों/हितधारकों को भी एकीकृत किया जाएगा।

अवधि एवं भागीदारी

- इस आयोजन में 10-15 दिनों की अवधि के लिए 100-500 कारीगर/ निर्यातक/ व्यापारी/ निर्माता भाग लेंगे।

वित्तीय सहायता

- वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

व्यय शीर्ष (15 दिनों के लिए 500 प्रतिभागियों हेतु)	अधिकतम स्वीकार्य सहायता (भारतीय रुपए)
सेवाओं जैसे जल, बिजली, आदि सहित स्थान किराया एवं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर	50,50,000
प्रचार एवं कार्यक्रम प्रबंधन	15,00,000
यात्रा भत्ता (4000/- रुपए प्रति प्रतिभागी की दर से)*	20,00,000
दैनिक भत्ता (500/- रुपए प्रति दिन-प्रति कारीगर की दर से)	37,50,000
भाड़ा (2000/- रुपए प्रति व्यक्ति की दर से)	10,00,000
बीमा	2,00,000
विविध व्यय (उपरोक्त उप-शीर्ष के कुल का 5%)	6,75,000
प्रशासनिक व्यय (उपरोक्त उप-शीर्ष के कुल का 3%)	4,25,250
कुल	**1,46,00,250**
*** पूरे देश में आयोजित किसी भी विपणन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप से आए कारीगर वास्तविक आधार पर 5,500/- रुपये प्रति कारीगर प्रति कार्यक्रम की दर से यात्रा भत्ता के हकदार होंगे।**	

नोट: कार्यक्रम 15 दिनों से अधिक के लिए भी आयोजित किया जा सकता है।

iv) फैशन शो

फैशन शो उत्पाद संवर्धन और क्रेता-विक्रेता संपर्क स्थापित करने के लिए एक प्रभावशाली मंच है। यह परिधानों के विभिन्न प्रचलनों और स्टाइल को एक्सपोजर प्रदान करता है। फैशन शो से नवागत परिधानों हेतु मांग पैदा करने में सहायता मिलती है।

भारतीय हस्तशिल्प में परिधानों व इनसे संबंधित सामान की विशाल रेंज मौजूद है। परिधानों के अलावा, हस्तशिल्प उत्पादों जैसे आभूषण, बैग एवं पर्स, जूते, बेल्ट, वालेट तथा जीवनशैली से जुड़ी अन्य वस्तुओं को फैशन शो के आयोजन द्वारा अत्यधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। फैशन शो में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद केवल हस्तशिल्प के पुरस्कार विजेताओं और कलस्टर कारीगरों के ही होते हैं।

अवधिः फैशन शो एक दिन के लिए आयोजित किया जाएगा।

वित्तीय सहायता

- वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

व्यय शीर्ष	**अधिकतम स्वीकार्य सहायता (भारतीय रुपए)**
सेवाओं जैसे जल, बिजली, आदि सहित स्थान किराया एवं इंफ्रास्ट्रक्चर	10,00,00
प्रचार एवं कार्यक्रम प्रबंधन लागत	5,00,000
यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता सहित अधिकतम 30 मॉडलों के लिए 10000/- रुपए प्रति मॉडल/ कोरियोग्राफर की दर से मॉडलों/ कोरियोग्राफरों के लिए मानदेय	3,00,000
केवल हस्तशिल्प पुरस्कार विजेता कारीगरों से प्राप्त किए जाने वाले उत्पाद	2,50,000
आवास एवं भोजन व्यवस्था	3,00,000
विविध व्यय (उपरोक्त उप-शीर्षों के कुल का 5%)	1,37,500
प्रशासनिक व्यय (उपरोक्त उप-शीर्षों के कुल का 3%)	86,625
कुल	**25,74,125**

निधियों को बांटने का पैटर्न

- गांधी शिल्प बाज़ार, विषयगत प्रदर्शनी, राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला और फैशन शो के लिए पात्र संगठनो को अनुदान-सहायता के रूप में 100% धनराशि स्वीकृत की जाएगी।
- शिल्प बाज़ारों, प्रदर्शनियों के लिए, अनुमोदित लागत का 75% (उपरोक्त सारणी में निर्दिष्ट एक उच्चतम सीमा के अधीन) स्वीकृत किया जाएगा तथा शेष 25% पात्र संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा। पूर्वोत्तर में आयोजित किए जाने वाले शिल्प बाज़ारों के लिए भी इसी प्रकार लागू होगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर आयोजित किए जाने वाले शिल्प बाज़ारों और प्रदर्शनियों के मामले में, अनुमोदित लागत का 90% सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा 10% का योगदान संगठन द्वारा किया जाएगा, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से कारीगरों की 100% सहभागिता की शर्त के अधीन व यदि पूर्वोत्तर से पर्याप्त मात्रा में कारीगर उपलब्ध नहीं होते तो विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा योग्य मामलों में 20% तक की छूट के प्रावधान के साथ होगा।
- ऐसे शिल्प बाज़ार और प्रदर्शनियां जिनमें 50% से कम प्रतिभागी होंगे तथा जिनका आयोजन 7 दिन से कम होगा, प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।
- उत्पाद सोर्सिंग की राशि केवल डीबीटी माध्यम से ही वितरित की जाएगी।

निधियां जारी करने का पैटर्नः

- निधियाँ 2 किश्तों में जारी की जाएंगी।
- स्वीकृत धनराशि का 75% पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा एवं शेष राशि की दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में व्यय के अपेक्षित लेखा परीक्षित विवरण, जीएफआर-12ए प्रारूप में यूसी, कार्य निष्पादन-सह-परिणाम रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेज़ आदि प्राप्त होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाएगी।
- विभागीय गतिविधियों के मामले में, 100% भुगतान अग्रिम के रूप में आहरित किया जाएगा।
- एक ही नगरपालिका क्षेत्र के कारीगर यात्रा भत्ता एवं भाड़ा शुल्क के पात्र भी होंगे। सभी प्रतिभागी कारीगरों को यात्रा भत्ता के लिए न्यूनतम 1000/- भारतीय रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा।

जनसंख्या के लिए भारत सरकार के नवीनतम सेंसेक्स के आधार पर शहर की श्रेणी पर विचार किया जाएगा:

- श्रेणी I- 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर
- श्रेणी II- 10-50 लाख तक जनसंख्या वाले शहर
- श्रेणी आईआईआई- 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर

गांधी शिल्प बाज़ार/शिल्प बाज़ार/ प्रदर्शनियां/राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला आयोजित करने की अन्य शर्तें

1. ऊपर उल्लेखित कोई भी विपणन कार्यक्रम विभागीय रूप से भी आयोजित किया जा सकता है।
2. स्थान के रूप में राज्य के शहरी हाटों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3. गांधी शिल्प बाज़ार, राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला और विभागीय रूप से आयोजित कार्यक्रमों के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कारीगरों का नामांकन किया जाएगा।
4. गांधी शिल्प बाज़ार और शिल्प बाज़ारों के मामले में 20 स्टॉल स्वयं सहायता समूहों/हस्तशिल्प उत्पादक कंपनियों/जीआई प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित होंगे।
5. सभी विपणन कार्यक्रमों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा तथा इसमें बुनियादी सुविधाओं सहित 8 फुट X 10 फुट आकार वाले स्टॉल, कार्यालय स्थान, फूड कोर्ट, प्रदर्शन मंच (गांधी शिल्प बाज़ार/शिल्प बाज़ार/राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला) होंगे। इसमें सामान्य जन के घूमने के लिए पर्याप्त स्थान व अग्निशमन और सुरक्षा उपाय होंगे।
6. गांधी शिल्प बाज़ार और शिल्प बज़ारों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिल्प प्रदर्शन हेतु विशेष स्थान होना चाहिए।
7. कार्यान्यन एंजेंसी कार्यक्रमों के आयोजन से पहले सभी संबंधित विभागों से अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी।
8. इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां उपलब्ध स्टॉक सहित पूरे कार्यक्रम का बीमा कवर होना चाहिए।
9. कार्यान्वयन एंजेंसी स्थानीय समाचार पत्रों में कम से कम तीन प्रविष्टियों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगी।

10. राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय, वाराणसी प्रदर्शनियों का आयोजन अपने बजट शीर्ष से करेंगे।

v) अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में निर्मित स्थानों को किराए पर लेना (विभागीय आयोजन होगा)

पर्यटन विभाग अथवा राज्य और केंद्र सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित स्थापित मेले में कारीगरों को अपने उत्पादों प्रदर्शित करने और बिक्री में सक्षम बनाने के लिए, कारीगरों को आवंटन हेतु मेलों में स्टाल प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है।

<u>अवधि एवं भागीदारी</u>

- इस कार्यक्रम में भागीदारी 2-15 दिन की अवधि के लिए होगी।
- मेले में निर्मित किराया स्टॉलों की संख्या अधिकतम 100 स्टॉल के आधार पर 25% से अधिक नहीं होगी।

वित्तीय सहायता

- भागीदारी के लिए स्वीकार्य सीमा निम्नानुसार हैः

व्यय शीर्ष (15 दिन के लिए 100 स्टॉल हेतु)	**अधिकतम स्वीकार्य सहायता (भारतीय रुपए)**
स्टॉल का किराया (अधिकतम 5,000 रुपए प्रति स्टॉल प्रति दिन की दर से)	75,00,000
यात्रा भत्ता (4000 रुपए प्रति भागीदारी की दर से)	4,00,000
दैनिक भत्ता (500/- प्रति दिन प्रति कारीगर की दर से)	7,50,000
भाड़ा (2000/- प्रति व्यक्ति की दर से)	2,00,000
प्रचार आदि सहित विविध व्यय (उपरोक्त उप-शीर्ष के कुल का 5%)	4,42,500
कुल	**92,92,500**
***पूरे देश में आयोजित किसी भी विपणन कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप से आए कारीगर वास्तविक आधार पर 5,500/- रुपए प्रति कारीगर प्रति कार्यक्रम की दर से यात्रा भत्ता के हकदार होंगे।**	

नोटः यदि स्थान सरकारी संगठनों से किराये पर लिया जाता है, तो वास्तविक व्यय पर विचार किया जा सकता है।

फंडिंग पैटर्न

- 100% भुगतान अग्रिम के रूप में लिया जाएगा।

- एक ही नगरपालिका क्षेत्र के कारीगर यात्रा भत्ता एवं भाड़ा शुल्क के पात्र भी होंगे। सभी प्रतिभागी कारीगरों को यात्रा भत्ता के लिए न्यूनतम 1000/- भारतीय रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- स्थान किराये का भुगतान फील्ड कार्यालय द्वारा सीधे कार्यक्रम आयोजक को किया जाएगा एवं यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एंड भाड़े शुल्क का भुगतान फील्ड कार्यालय द्वारा सीधे कारीगरों को किया जाएगा।

(VI) <u>शिल्प जागरुकता कार्यक्रम</u>

शिल्प जागरुकता कार्यक्रम में शिल्पकारों, उद्यमियों, छात्रों, शिक्षाविदों, विद्वानों आदि के साथ विचार विमर्श और ज्ञान साझा करने का सत्र शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और इससे जुड़ी विरासत, संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरुकता फैलाना है। बाज़ार में हस्तशिल्प उत्पादों की निरंतर मांग सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सामान्य जन और संभावित खरीदारों को हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने के लाभों, इसकी पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति, कलाकृतियों को बनाने में कठिनाई आदि के बारे में जागरूक किया जाए। शिल्प जागरूकता कार्यक्रम शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों, व्यापार सुविधा केंद्रों या अन्य स्थानों पर चलाए जाएंगे जहां अधिक दर्शकों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

अवधि एवं भागीदारी

विशेषज्ञों के अलावा, 10 कारीगरों की भागीदारी के साथ कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 2 दिन की होगी।

<u>कार्यक्रम घटकः</u>

विशेषज्ञों द्वारा हस्तशिल्प पर विचार-विमर्श, प्रतिभागियों के बीच संवाद, कलाकृतियों का प्रदर्शन, स्लाइड शो, प्रचार सामग्री का वितरण।

वित्तीय सहायता

फंडिंग 3.00 लाख भारतीय रुपए (तीन लाख रुपए) तक प्रदान की जाएगी, जिसमें स्थान किराया, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सेवाएं (जल, बिजली आदि), भोजन एवं आवास व्यवस्था, कारीगरों एवं विशेषज्ञों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, भाड़ा, बीमा एवं विविध आदि पर होने वाला व्यय शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय, वाराणसी को अपने गैर-योजना बज़ट शीर्ष से आयोजित करना है।

(VII) <u>शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम</u>

इसका उद्देश्य आम जनता के बीच हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए लाइव प्रदर्शन/कलाकृतियों का निर्माण करना है। प्रदर्शन कार्यक्रम से आम जनता कलाकृतियों के निर्माण में शामिल जटिल कौशल, कठिनाई और रचनात्मकता को समझ सकेगी। इससे जनता हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीदारी के लिए प्रेरित होगी और साथ ही कारीगर अपने व्यापारिक संबंध बना सकेंगे।

अवधि एवं भागीदारी

आवश्यकता के अनुसार, कार्यक्रम न्यूनतम 10 प्रतिभागी कारीगरों/पुरस्कार विजेताओं (शिल्प गुरु/राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता/एनएमसी) के साथ न्यूनतम 2 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा।

वित्तीय सहायता एवं फंडिंग पैटर्नः

- घटक के लिए फंडिंग अलग से या किसी अन्य प्रचार गतिविधि के संयोजन के साथ प्राप्त की जा सकती है।
- फंडिंग 5.00 लाख भारतीय रुपए तक प्रदान की जाएगी जिसमें स्थान किराया, इंफ्रास्ट्रकचर एवं सेवाएं (स्थान किराया, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सेवाएं, जल, बिजली आदि), हस्तशिल्प विषय पर स्लाइड शो/लघु फिल्म, भोजन एवं आवास व्यवस्था, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं भाड़ा शुल्क, बीमा एवं विविध आदि पर होने वाला व्यय शामिल हैं।
- राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय, वाराणसी को अपने गैर-योजना बज़ट शीर्ष से आयोजित करना है।

(II) **<u>भारत एवं विदेशों में विपणन कार्यक्रमों के आयोजन/भागीदारी हेतु सहायता:</u>**

<u>(I) अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों/भारत के लोक शिल्प महोत्सव/स्टैंड अलोन शो/रोड़ शो/ विदेशों में जागरूकता अभियान में भागीदारी</u>

हस्तशिल्प और कालीनों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मेलों और विषयगत प्रदर्शनियों/भारतीय शिल्प महोत्सव/स्टैंड अलोन शो/रोड़ शो/विदेशों में जागरूकता अभियान में भागीदारी हेतु पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पात्रताः

- पात्र संगठन में केंद्रीय/राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम और राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा प्रवर्तित अन्य पात्र सरकारी निगम/एजेंसी शामिल हैं। पात्र गैर-सरकारी संगठन, पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, स्थानीय सांविधिक निकाय, शीर्ष सहकारी समितियां एवं राष्ट्रीय स्तर शीर्ष समितियां (सोसाइटी अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम, आदि के तहत पंजीकृत) और संगठन जैसे आईआईसीटी, एमएचएससी, एमएमसीएम, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली, निफ्ट एवं निर्यातक संवर्धन परिषद्। कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत हस्तशिल्प एवं हथकरघा के संवर्धन एवं विकास के लिए कार्यरत उत्पादक कंपनियां गतिविधि को विभागीय रूप से भी आयोजित की जा सकती है।

अवधि एवं भागीदारी

- भागीदारी कार्यक्रम की अवधि के लिए होगी। प्रतिभागियों में कारीगर (शिल्प गुरु/राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता/एनएमसी), स्वयं सहायता समूह, उद्यमी एवं निर्यातक शामिल हैं।

वित्तीय सहायता

- यदि कार्यक्रम विदेश में हो तो घटक के लिए वित्तीय सीमा 75 लाख भारतीय रुपए एवं भारत में हो तो 60 लाख भारतीय रुपए होगी।
- पात्र एजेंसी को स्थान किराया, इंफ्रास्ट्रकचर, प्रचार/डायरेक्टरी एंट्री/इंटरप्रेटर, एक समन्वय अधिकारी के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और भोजन एवं आवास पर व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं अन्य संबंधित विविध खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- नियम के अनुसार, पात्र कारीगरों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, होटल आवास, भाड़ा शुल्क, आने-जाने का हवाई किराया।
- नियम के अनुसार, एक अधिकारी के यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भोजन एवं आवास व्यवस्था, आने-जाने का हवाई किराया एवं विविध खर्च।

विभिन्न पात्र प्रतिभागियों के लिए स्वीकार्य घटक निम्नानुसार भिन्न-भिन्न हैं-

- प्रति कार्यक्रम (स्वयं सहायता समूह परिसंघ/उद्यमी/निर्यातक को छोड़कर) अधिकतम 10 कारीगरों (शिल्प गुरु/राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता/एनएमसी) की भागीदारी के लिए - यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, होटल आवास, स्थान किराया, आने-जाने का हवाई किराया एवं भाड़ा शुल्क।
- स्वयं सहायता समूह परिसंघ/उद्यमी/निर्यातक के मामले में केवल अधिकतम 20 प्रतिभागियों के लिए स्थान किराया प्रदान किया जाएगा।
- इस तरह की भागीदारी के प्रभावी मूल्यांकन की निगरानी के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के एक अधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

फंडिंग पैटर्न

- फंडिंग विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की ओर से 100% अनुदान-सहायता के रूप में होगी।
- राशि दो किश्तों में जारी की जाएगी।
- संस्वीकृत धनराशि का 75% पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा एवं शेष राशि की दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में व्यय के अपेक्षित लेखा परीक्षित विवरण, जीएफआर-12 ए प्रारूप में यूसी, कार्य निष्पादन-सह-परिणाम रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेज आदि प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।
- एक ही नगरपालिका क्षेत्र के कारीगर यात्रा भत्ता एवं भाड़ा शुल्क के पात्र होंगे। सभी प्रतिभागी कारीगरों को यात्रा भत्ता के लिए न्यूनतम 1000/- भारतीय रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ii) <u>अंतर्राष्ट्रीय शिल्प एक्सपोज़र कार्यक्रम/सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमः</u>

इस घटक के दो उप-घटकों का विवरण निम्नानुसार हैः

- डिज़ाइन और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की उत्पाद आवश्यकताओं की जानकारी देने तथा विभिन्न देशों द्वारा अपनाए जा रहे नवीनतम उत्पादन तकनीकों, औज़ारों, उपकरणों और प्रौद्योगिकी पर सूचनाओं के प्रसार हेतु डिज़ाइनों, उत्पाद नवाचारों, तकनीकों, प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण, परिसज्जा विषयों पर सूचना के प्रसार हेतु कारीगरों/डिज़ाइनरों/प्रौद्योगिकीविदों के दीर्घ व लघुकालीन प्रशिक्षण सह एक्सपोज़र कार्यक्रम।

- इस गतिविधि के अंतर्गत, एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत कारीगर द्वारा अभ्यास किए जाने वाले शिल्प के लाईव प्रदर्शन के लिए सिद्धहस्तशिल्पी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम में भागीदारी की व्यवस्था भारत सरकार और अन्य देशों के बीच नियम एवं शर्तों की सहमति के अनुसार की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावासों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अथवा विदेशों में किसी महत्वपूर्ण उत्सव में सिद्धहस्तशिल्पियों, शिल्प गुरुओं और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता, राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक की भागीदारी की भी व्यवस्था की जाती है।

- इस तरह की भागीदारी के प्रभावी मूल्यांकन की निगरानी हेतु कार्यक्रम में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के एक अधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।

अवधि एवं भागीदारी

कार्यक्रम की अवधि के दौरान अधिकतम 10 प्रतिभागी।

वित्तीय सहायता

- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय से 100% अनुदान सहायता के रूप में अधिकतम 40 लाख भारतीय रुपए के आधार पर होगा।
- विदेश से भारत दौरे एवं वापसी के लिए हस्तशिल्पी/डिज़ाइनर/प्रौद्यगिकीविद् को वित्तीय सहायता वास्तविक आधार पर आवश्यकता के अनुसार, किफायती वर्ग में हवाई किराया, नियम के अनुसार दैनिक भत्ता, स्थानीय आतिथ्य, भोजन एवं आवास व्यवस्था, स्थानीय वाहन, भाड़े शुल्क, स्थान किराया, संबंधित इंफ्रास्ट्रकचर एवं सेवाएं, संस्थागत/परामर्शदाता शुल्क, प्रोटोटाइप विकास, प्रलेखन शुल्क, यात्रा भत्ता, कच्चे माल प्रतिपूर्ति एवं विविध, आदि अनुमत होगी।
- नियम के अनुसार, एक अधिकारी के यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भोजन एवं आवास, आने-जाने का हवाई किराया एवं विविध खर्च।

फंडिंग पैटर्न

- निधियाँ 2 किश्तों में जारी की जाएंगी
- स्वीकृत धनराशि का 75% पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा एवं शेष राशि की दूसरी और अंतिम किश्त व्यय के रूप में अपेक्षित लेखा परीक्षित विवरण, जीएफआर-12ए प्रारूप में यूसी, कार्य निष्पादन-सह-परिणाम रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेज़ आदि प्राप्त होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी किया जाएगा।

- विभागीय गतिविधि के मामले में, 100% भुगतान अग्रिम के रूप में आहरित किया जाएगा।

(iii) <u>अनुपालन, सामाजिक और अन्य कल्याणकारी उपाय</u>

यह उपघटक निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करते हैं-

- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपयोग के लिए उत्पाद विशिष्ट सामान्य अनुपालन कोड का संकलन करना और उन्हें मानकीकृत प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता करना।
- निर्यातकों/ कारीगरों/ निर्माताओं के बीच अनुपालन के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा अनुपालन अनुरोध को पूरा करने में उनकी सहायता करना है।
- मुकदमों को लड़ने के लिए कानूनी शुल्क और प्रतिकारी कर्तव्यों जैसे मुद्दों के प्रति सुरक्षा उपाय करना, जिसमें लॉबिस्ट की नियुक्ति, निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों की यात्रा शामिल है।
- विशेषज्ञों और सलाकारों की नियुक्ति सहित निर्यात में पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों और मानकों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए लेबलिंग पहल सहित कोई भी पहल।
- हस्तशिल्प के निर्यात में आने वाली श्रम संबंधी या अन्य सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए कल्याणकारी उपायों के साथ-साथ सद्स्यों और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल की प्रतिनियुक्ति सहित कोई भी अन्य उपाय।

वित्तीय सहायता

- प्रति संगठन/प्रति गतिविधि 1.00 करोड़ रुपए का अधिकतम प्रावधान।

- सहायता वास्तविक एवं आवश्कताओं के आधार पर और प्रस्ताव की योग्यता पर विचार किया जाता है।

फंडिंग पैटर्न

- निर्यात संवर्धन परिषद के मामले में अनुदान सहायता 100% होगी। व्यक्तिगत मामले में, व्यय को भारत सरकार और व्यक्तियों के बीच 70:30 के अनुपात में साझा किया जाएगा।
- निधियाँ 2 किश्तों में जारी की जाएंगी
- स्वीकृत धनराशि का 75% पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा एवं शेष राशि दूसरी और अंतिम किश्त व्यय के अपेक्षित लेखा परीक्षित विवरण, जीएफआर-12 ए प्रारूप में यूसी, कार्य निष्पादन-सह-परिणाम रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेज़ आदि प्राप्त होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाएगी।
- विभागीय गतिविधि के मामले में, 100% भुगतान अग्रिम के रूप में आहरित किया जाएगा।

(iv) <u>भारत और विदेशों में क्रेता विक्रेता एवं रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक:-</u>

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प के एकीकृत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय कारीगरों को भारत के प्रमुख क्रेताओं को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए लिंक प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, लघु निर्यातक इकाइयां स्वयं से भारत और विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेनें के लिए खर्च नहीं उठा सकती, अतः भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प व्यापार मेला/क्रेता विक्रेता-बैठक आयोजित करने के लिए पात्रता खंड में उल्लिखित छत्रक संगठनों को वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है।

<u>अवधि एवं भागीदारी</u>

- कार्यक्रम 3-5 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा। भारत में क्रेता विक्रेता बैठक के मामले में भागीदारियों की अधिकतम संख्या 50 क्रेता एवं 50 कारीगर होगी। विदेश में क्रेता विक्रेता बैठक और भारत में रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक के मामले में ऐसी भागीदारियों की संख्या में कोई सीमा नहीं है।

<u>वित्तीय सहायता</u>

- वित्तीय ब्यौरा निम्नानुसार हैः

भारत में क्रेता विक्रेता बैठक के मामले में-

व्यय शीर्ष (5 दिन के लिए 50 क्रेता एवं 50 कारीगरों की भागीदारी के साथ)	**लागत (भारतीय रुपए)**
जल, बिजली आदि जैसी सेवाओं सहित स्थान किराया एवं इंफ्रास्ट्रक्चर	2,50,000
यात्रा भत्ता 10,000 प्रति क्रेता की दर से (वास्तविक आधार पर)	5,00,000
क्रेताओं के लिए आवास (3000 प्रति दिन प्रति क्रेता की दर से)	7,50,000
यात्रा भत्ता (4000 प्रति कारीगर की दर से)*	2,00,000
दैनिक भत्ता (500 रुपए प्रति दिन प्रति कारीगर की दर से)	1,25,000
कारीगरों के लिए भाड़ा (2000 प्रति कारीगर की दर से)	1,00,000
प्रचार	1,20,000
बीमा	20,000
विविध व्यय (उपरोक्त उप-शीर्ष के कुल का 5%)	1,03,250
कुल	**21,68,250**
***पूरे देश में आयोजित किसी भी विपणन कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप से आए कारीगर वास्तविक आधार पर 5,500/- रुपए प्रति कारीगर प्रति कार्यक्रम की दर से यात्रा भत्ता के हकदार होंगे।**	

- अनुमोदित लागत (उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट सीमा के अधीन) का 80% तक वित्तीय सहायता विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा दिया जाएगा एवं शेष 20% पात्र संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, अनुमोदित लागत का 90% सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा एवं 10% संगठन द्वारा दिया जाएगा।
- स्वयं सहायता समूह परिसंघ/उद्यमी/निर्यातक के मामले में स्थान किराया अधिकतम केवल 50 प्रतिभागियों के लिए प्रदान किया जाएगा।
- एक ही नगरपालिका क्षेत्र के कारीगर यात्रा भत्ता एवं भाड़ा शुल्क के भी पात्र होंगे। सभी प्रतिभागी कारीगरों को यात्रा भत्ता के लिए न्यूनतम 1000/- भारतीय रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा।

विदेश में क्रेता विक्रेता बैठक एवं भारत में रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक के मामले में-

- फंडिंग वास्तविक आधार पर अधिकतम 60.00 लाख भारतीय रुपए के अधीन होगी।
- अनुमोदित लागत (उपरोक्त निर्दिष्ट सीमा के अधीन) के 100% तक वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा। वित्तीय सहायता स्थान किराया, इन्टीरियर्स, यात्रा भत्ता, प्रचार, भोजन एवं आवास व्यवस्था, प्रलेखन और विविध के लिए स्वीकार्य होगी।
- इस तरह की भागीदारी के प्रभावी मूल्यांकन की निगरानी हेतु कार्यक्रम में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के एक अधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।
- नियम के अनुसार, एक अधिकारी के यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भोजन एवं आवास व्यवस्था, आने-जाने का हवाई किराया एवं विविध खर्च।

फंडिंग पैटर्न

- निधियाँ दो किश्तों में जारी की जाएंगी
- स्वीकृत धनराशि का 75% पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा एवं शेष राशि की दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में व्यय के अपेक्षित लेखा परीक्षित विवरण, जीएफआर-12ए प्रारूप में यूसी, कार्य निष्पादन-सह-परिणाम रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेज़ आदि प्राप्त होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी किया जाएगा।

(v) भारत और विदेशों में विपणन कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठियां

इस कार्यक्रम का आयोजन हस्तशिल्प क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए कारीगरों व संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे डिजाइनर, प्रौद्योगिकीविद्, निर्यातक, क्रेता और वित्तीय संस्थान आदि के साथ चर्चा करने और विदेशी डिजाइनरों/प्रौद्योगिकीविदों, क्रेताओं, मीडियाकर्मियों, मत निर्माताओं के साथ-साथ समान्य जन बीच जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ सामान्य जन, सरकारी अधिकारियों व व्यापार प्रतिनिधियों और क्रेताओं से, उत्पाद, नीतियों और डिज़ाइनों में सुधार जैसे विषयों पर चर्चा के लिए किया जाएगा।

अवधि एवं भागीदारी

- यह कार्यक्रम भारत में कम से कम 2 दिनों के लिए विभागीय रूप से आयोजित किया जाएगा। विदेशों में आयोजित कार्यक्रमों के मामले में भागीदारी कार्यक्रम की अवधि के दौरान होगी।

विभागीय कार्यशाला हेतु वित्तीय सहायता और फंडिंग पैटर्न-

- ऐसी कार्यशाला हेतु वित्तीय मानदंड निम्नानुसार होंगेः

कार्यक्रम	**प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या**	**अधिकतम स्वीकार्य सहायता (भारतीय रुपए)**
राष्ट्रीय स्तर	200	20,00,000
क्षेत्रीय स्तर	100	8,00,000
राज्य स्तरीय विपणन	80	5,00,000
स्थानीय स्तरीय विपणन	40	2,00,000

विदेशों में आयोजित कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

- वित्तीय सहायता वास्तविक आधार पर अधिकतम 50 लाख भारतीय रुपए के अधीन होगी।
- विशेषज्ञों के लिए शुल्क, एक समन्वयक के लिए, आने जाने का हवाई किराया/, स्थानीय विशेषज्ञ के लिए स्थल शुल्क, स्थानीय वाहन यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, प्रचार, आमंत्रण, ध्वनि यंत्र, जलपान, भोजन, आने जाने का भाड़ा और वस्तुओं की पेकिंग/अनपेकिंग, उपकरण, बीमा, विविध व्यय आदि के लिए वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी।

फंडिंग पैटर्न

- अनुमोदित लागत (उपरोक्त निर्दिष्ट सीमा के अधीन) के 100% तक वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा।
- विभागीय गतिविधि के मामले में, 100% भुगतान अग्रिम के रूप में आहरित किया जाएगा।
- निधियाँ 2 किश्तों में जारी की जाएंगी।
- अन्य पात्र एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मामले में, स्वीकृत धनराशि का 75% पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा एवं शेष राशि की दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में व्यय अपेक्षित लेखा परीक्षित विवरण, जीएफआर-12 ए प्रारूप में यूसी, कार्य निष्पादन-सह-परिणाम रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेज़ आदि प्राप्त होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाएगी।

III. प्रचार एवं ब्रांड संवर्धनः

(I) (क) प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार एवं ब्रांड संवर्धनः-

प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक, डिजिटल सोशल मीडिया, फैशन शो एवं अन्य प्रचार कार्यक्रमों आदि के माध्यम से प्रचार एवं ब्रांड संवर्धन का उपयोग भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को गुणवत्ता वाले उत्पादों के रूप में उजागर करने के लिए किया जाएगा और इस प्रकार भारत और विदेशों में बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।

वित्तीय सहायता

- अधिकतम 2.00 करोड़ भारतीय रुपए प्रति क्रियाकलाप की वित्तीय सहायता। यदि विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय विभागीय रुप से कार्यकलाप करता है तो व्यय की कोई सीमा नहीं होगी।

फंडिंग पैटर्न

- अनुमोदित लागत (उपरोक्त निर्दिष्ट सीमा के अधीन) के 100% तक वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा।
- निधियाँ 2 किश्तों में जारी की जाएंगी
- स्वीकृत धनराशि का 75% पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा एवं शेष राशि की दूसरी और अंतिम किश्त के रुप में व्यय के अपेक्षित लेखा परीक्षित विवरण, जीएफआर-12 ए प्रारूप में यूसी, कार्य निष्पादन-सह-परिणाम रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेज़ आदि प्राप्त होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाएगी।
- विभागीय गतिविधि के मामले में, 100% भुगतान अग्रिम के रूप में आहरित किया जाएगा।

(ii) (ख) वेब-मार्केटिंग

इस उप-घटक का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांस्फर, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय (ईडीआई), इनवेंटरी प्रबंधन प्रणाली और उत्पादों की स्वचालित डाटा संचयन प्रणाली जैसे ई-कॉमर्स क्रियाकलापों के माध्यम से कारीगरों और हस्तशिल्प की सहायता करना है।

वित्तीय सहायता

इस घटक के लिए अधिकतम 2.0 करोड़ भारतीय रुपए तक की फंडिंग अलग से अथवा अन्य प्रचार गतिविधि के संयोजन में प्राप्त की जा सकती है। सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के मामले में फंडिंग वास्तविक आधार पर होगी।

फंडिंग पैटर्न

- अनुमोदित लागत (उपरोक्त निर्दिष्ट सीमा के अधीन) के 100% तक वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा।
- निधियाँ 2 किश्तों में जारी की जाएंगी।
- स्वीकृत धनराशि का 75% पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा एवं शेष राशि की दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में व्यय के अपेक्षित लेखा परीक्षित विवरण, जीएफआर-12 ए प्रारूप में यूसी, कार्य निष्पादन-सह-परिणाम रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेज़ आदि प्राप्त होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाएगी।

(iii) <u>वर्चुअल मंच पर मेले/ प्रदर्शनियां/ कार्यक्रम</u>

उत्पाद निर्माण एवं संवर्धन के लिए तथा वर्चुअल माध्यम से भारतीय बाजारों में भारतीय हस्तशिल्प हेतु एक ब्रांड छवि निर्मित करने के लिए भारत एवं विदेशों में मेला/ प्रदर्शनी/ विशेष कार्यक्रम/ बीएसएम/ आरबीएसएम आयोजित किए जाएंगे/भागीदारी की जाएगी।

अवधि एवं भागीदारी

- भागीदारी कार्यक्रम की अवधि के दौरान होगी। प्रतिभागियों में कारीगर (शिल्पगुरू/राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता/एनएमसी), स्वयं सहायता समूह, उद्यमी और निर्यातक शामिल हैं।

<u>वित्तीय सहायता</u>

- फंडिंग वास्तविक आधार पर प्रति कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या के अधीन होगी। भागीदारी हेतु स्वीकार्य सीमा निम्नानुसार हैः

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>व्यय शीर्ष</th><th colspan="2">अधिकतम स्वीकार्य सहायता (भारतीय रुपए)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1.</td><td rowspan="5">वर्चुअल मंच का विकास, वर्चुअल स्थान किराए पर लेना, लाइसेंस शुल्क, भागीदारी शुल्क आदि।</td><td>प्रतिभागियों की संख्या</td><td>सहायता</td></tr>
<tr><td>200-300</td><td>15,00,000</td></tr>
<tr><td>301-400</td><td>18,00,000</td></tr>
<tr><td>401-500</td><td>20,00,000</td></tr>
<tr><td>500 एवं उससे अधिक</td><td>22,00,000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>प्रचार (मुद्रण/इलेक्ट्रोनिक/डिजिटल/सोशल मीडिया)</td><td colspan="2">क्रम संख्या 1 में व्यय का अधिकतम 20%</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>विविध व्यय जैसे उद्घाटन एवं वेबिनार सत्र, अनुवाद एवं व्याख्या, ऑन बोर्डिंग प्रदर्शक/प्रशिक्षण</td><td colspan="2">क्रम संख्या 1 में व्यय का अधिकतम 20%</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्रशासनिक व्यय</td><td colspan="2">क्रम संख्या 1-3 में व्यय का अधिकतम 3%</td></tr>
</table>

फंडिंग पैटर्न

- अनुमोदित लागत (उपरोक्त निर्दिष्ट सीमा के अधीन) के 100% तक वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा।
- निधियाँ 2 किश्तों में जारी की जाएंगी।
- स्वीकृत धनराशि का 75% पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा एवं शेष राशि दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में व्यय के अपेक्षित लेखा परीक्षित विवरण, जीएफआर-12 ए प्रारूप में यूसी, कार्य निष्पादन-सह-परिणाम रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेज़ आदि प्राप्त होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाएगी।

<u>विपणन सहायता पर टिप्पणी</u>

- प्रत्येक योजना घटक के तहत अधिकतम स्वीकार्य वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तथापि, स्वीकृति प्रस्तुत प्रस्ताव में दी गई अवधि और भागीदारी पर आधारित होगी। तद्नुसार, यदि कार्यक्रम इससे कम दिनों के लिए आयोजित किया जाता है या कम भागीदारी होती है तो बजट को यथानुपात आधार पर कम किया जाएगा।

- 'कारीगर' शब्द में कालीन बुनकर भी शामिल हैं।

(iv) एकीकृत बिक्री सह प्रदर्शनी

केंद्रीय रेशम बोर्ड, भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद की भागीदारी सहित जूट, हथकरघा, ऊन के उत्पादों को शामिल करते हुए संयुक्त रूप से आयोजित एक्स्पो/कार्यक्रम में भागीदारी करने का प्रस्ताव है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयानुसार प्रस्ताव भेजा जाएगा। **वित्तीय सहायता आवश्यकता आधारित और लचीली होगी।**

हस्तशिल्प क्षेत्र में

कौशल विकास

(II) हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास

हस्तशिल्पों को उनके सौंदर्य, संबद्ध पारंपरिक मूल्यों, विशिष्टता, गुणवत्ता एवं शिल्पकारिता के लिए जाना जाता है। सामान्यतया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पारंपरिक ज्ञान एवं शिल्प अभ्यास प्राकृतिक शिक्षा के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तथापि, नए औजारों एवं तकनीक के उद्भव से, शिल्प अभ्यास की प्रक्रिया में बहुत बदलाव आए हैं। परिवर्तनशील हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए मानकीकृत उत्पादन प्रक्रियाएँ, कुशल मानवबल, हस्तशिल्प उत्पादों के लिए डिजाइन डाटाबेस, त्वरित और दक्ष प्रोटोटाइपिंग, संचार कौशल एवं अन्य सॉफ्ट स्किल अपरिहार्य आवश्यकताएँ बन गई हैं। उप-योजना "हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास" का सूत्रपात इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है जिसके निम्नलिखित चार घटक हैं:

- डिजाइन एवं प्रोद्यौगिकी विकास कार्यशाला
- गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम
- व्यापक कौशल उन्नयन कार्यक्रम
- उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम

डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला (डीडीडबल्यू)

यह घटक बाज़ार की वर्तमान डिज़ाइन आवश्यकताओं को पूरा करने पर केन्द्रित है तथा इसका उद्देश्य कारीगरों के मौजूदा कौशल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार नए डिज़ाइनों/प्रोटोटाइपों का विकास करना है।

पात्रता: सहायता अनुदान किसी सार्वजनिक निकाय या विशिष्ट कानूनी इकाई वाले किसी संस्थान को दिया जा सकता है जैसे किसी विशिष्ट कानून के अंतर्गत स्वायत संगठनों के रूप में अथवा संगठन या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882, के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित संस्थान उत्पादन कंपनियां और धारा-8 कंपनियां (कंपनी अधिनियम-2013), गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक और अन्य संस्थान शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्व-शासकीय संस्थान, निर्यात संवर्धन परिषद, राज्य/केंद्रीय सरकारी एजेंसियां आदि।

अवधि एवं भागीदारीः-

प्रत्येक कार्यशाला में 20-40 कारीगरों का एक बैच होगा जो नीचे दी गई सारणी के अनुसार (सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर अवधि सारणी से भिन्न हो सकती है) न्यूनतम 25 दिनों (5 घंटे प्रतिदिन की दर से) की अवधि से लेकर अधिकतम 75 दिनों (375 घंटे) की अवधि के लिए होगा। कार्यशाला बाज़ार सर्वेक्षण और आसूचना एकत्रीकरण पूर्ण होने एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही शुरू होगी।

विभिन्न शिल्प श्रेणियों के लिए सांकेतिक परियोजना अवधि

क्र. सं.	1 माह/25 दिन/125 घंटे	क्र. सं.	2 माह/50 दिन/250 घंटे	क्र. सं.	3 माह/75 दिन/375 घंटे
	शिल्प श्रेणी-1		**शिल्प श्रेणी-2**		**शिल्प श्रेणी-3**
1.	धान/पुवाल कार्य	1.	ट्विस्टिंग कार्य	1.	काष्ठ (नक्काशी)
2.	कठपुतली	2.	कुंभकारी और मिट्टी की वस्तुएं	2.	काष्ठ (घुमावदार एवं लेकर वेयर)
3.	कॉएर ट्वीसटींग	3.	कांच	3.	लकड़ी के पात्र
4.	शंख-शैल	4.	कशीदाकृत एवं क्रोशिये से बनी वस्तुएं	4.	फर्नीचर
5.	क्रूल	5.	चीनी मिट्टी का कार्य	5.	कालीन एवं दरियां
6.	सूखे पुष्प	6.	एपलिक	6.	धातु चित्र (शास्त्रीय)
7.	लोक चित्रकला	7.	हस्त ठप्पा छपाई वस्त्र	7.	धातु चित्र (लोककला)
8.	वस्त्र चित्रकारी	8.	चमड़ा (अन्य सामग्री)	8.	कालीन एवं अन्य फर्श बिछावन
9.	मोमबत्ती	9.	चमड़ा(जूते)	9.	कला धातु के वर्तन
10.	घास, पत्ती, सरकंडा, एवं रेशा	10.	रोगन कला	10.	बिदरी
11.	मोती शिल्प	11.	सोजनी	11.	फिलीग्री एवं सिल्वर के पात्र
12.	अगरबत्तियां	12.	तंजौर चित्रकारी	12.	सोने का काम
13.	जूट शिल्प	13.	टेराकोटा	13.	पोली स्टोन
14.	कौना	14.	वस्त्र (हस्त कशीदाकारी)	14.	मीनाकारी
15.	पतंग निर्माण	15.	वस्त्र (हथकरघा)	15.	आर्टवेयर के रूप में शॉल
16.	लाख की चूड़ियां	16.	थेवा	16.	पत्थर (नक्काशी)
17.	मिथिला चित्रकारी	17.	बंधेज (टाई एवं डाई)	17.	स्टोन (इनले)
18.	माला बद्धी	18.	दीवार लटकन	18.	प्लास्टिक इनले
19.	चित्रकारी	19.	ज़री एवं ज़री की वस्तुएं		
20.	पेपर मेशी	20.	बैंत एवं बांस		
21.	सांझी कला	21.	सींग एवं हड्डी		
22.	स्क्रू पाइन	22.	लेस		
23.	शीतल पट्टी	23.	वाद्य यंत्र		
24.	विविध				
25.	फ़्यूज़न शिल्प				
26.	तुली एवं सिरका				
27.	गुड़िया एवं खिलौने				
28.	काँच के मोती				
29.	थियेटर, पोशाक एवं कठपुतली				
30.	इमिटेशन आभूषण				
31.	आभूषण				

वित्तीय सहायता और फंडिंग पैटर्न

पात्र संगठनों को 100% सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। सहायता का संवितरण 2 किश्तों में किया जाएगा। पहली किश्त अग्रिम भुगतान के रूप में (सरकारी एजेंसियों के लिए 80% तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए 50%) जारी की जाएगी तथा शेष स्वीकार्य राशि पहली किश्त के समायोजन के बाद दूसरी किश्त रूप में प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाएगी। सहायता अनुदान के लिए शीर्ष-वार अधिकतम स्वीकार्य राशि निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	**व्यय शीर्ष**	**अधिकतम स्वीकार्य सहायता**
क)	सूचीबद्ध डिज़ाइनरों की सेवाएं लेने हेतु व्यय	कार्यशाला के 55,000/-रुपए प्रतिमाह की दर से (25 दिन/125 घंटे)
ख)	सिद्धहस्तशिल्पी की सेवाएं लेने के लिए व्यय	कार्यशाला के 30,000/-रुपए प्रतिमाह की दर से (25 दिन/125 घंटे)
ग)	बाज़ार सर्वेक्षण और आसूचना एकत्रीकरण	35,000/- रुपए
घ)	प्रोटोटाइप के विकास हेतु कच्ची सामाग्रियों की लागत के लिए प्रतिपूर्ति (10 प्रोटोटाइप का 1 सेट)	प्रतिमाह 3,000/- रुपए प्रति प्रोटोटाईप की दर से
ङ)	प्रलेखीकरण रिपोर्ट, बायोमैट्रिक मशीन, वीडियोग्राफी आदि की लागत	20,000/- रुपए
च)	कारीगरों को वेतन प्रतिपूर्ति	300 रुपए प्रति कारीगर प्रति दिन की दर से
छ)	विविध व्यय (स्टेशनरी, टेलीफोन, जलपान, प्रचार, मशीनरी की मरम्मत आदि)	(क से च) के 5% की दर से
ज)	प्रशासनिक लागत	(क से छ) परियोजना लागत के 3% की दर से

कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश

परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करनाः सभी पात्र एजेंसियों द्वारा केवल ऑनलाइन माध्यम से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा अनुमत शिल्प श्रेणियों के लिए डिज़ाइन और तकनीकी विकास कार्यशाला (डीडीडब्लू) आयोजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवश्यकता आधारित मूल्यांकन अध्ययन करने के बाद उपयुक्त संख्या में कारीगरों की उपलब्धता दर्शाने वाले आंकड़ों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शिल्प का नाम विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा प्रकाशित शिल्पों की मानक सूची के अनुसार होना चाहिए तथापि, आवश्यक हो तो मानक शिल्प के नाम के साथ शिल्प के स्थानीय नाम का उल्लेख किया जा सकता है।

परियोजना की सिफ़ारिश/चयनः फील्ड कार्यालय का संबंधित सहायक निदेशक एजेंसी के लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, ब्लॉक एनजीओ, अव्ययित शेष आदि की स्थिति की जांच करने के उपरांत एनजीओ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की सिफ़ारिश करेगा। एनजीओ के प्रस्तावों पर मुख्यालय स्तर समिति द्वारा उचित विचार-विमर्श के पश्चात विचार किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों के प्रस्तावों पर पहले आओ-पहले पाओ/मांग के आधार पर, आवश्यकता अनुसार विचार किया जाएगा।

कारीगरों का चयनः संबंधित शिल्प में केवल वैध पहचान कार्ड धारक ही डिजाईन एवं तकनीकी कार्यशाला (डीडीडब्लू) में भागीदारी के पात्र हैं। सभी लाभार्थियों का चयन संबंधित सहायक निदेशक (हस्तशिल्प) की देखरेख में स्पष्ट, उद्देश्य मापदंडों/ मानदंडों के द्वारा सभी कारीगरों को समान अवसर प्रदान करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। हालांकि प्राथमिकता 18-35 वर्ष के आयु वर्ग, सामाजिक समूह जैसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / महिला/ दिव्यांग व्यक्तियों को दी जा सकती है। इसके अलावा, एक ही परिवार से अधिक लाभार्थियों को न लिया जाए ताकि अधिक कारीगर परिवारों को शामिल किया जा सके। संबंधित सहायक निदेशक निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के एमआईएस पोर्टल पर कारीगरों का डाटा अपलोड करेंगे।

डिज़ाइनरों का चयनः विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के साथ सूचीबद्ध संबंधित शिल्प क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले डिज़ाइनर ही डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला कार्यक्रम में भागीदारी के लिए पात्र हैं। डिज़ाइन या ललित कलाओं (हस्तशिल्प श्रेणियों से संबद्धता के अनुसार फ़ैशन/ वस्त्र/ परिधान उत्पादन/ चीनी मिट्टी के बर्तन/ मूर्तिकला आदि) के क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान सें चार-वर्षीय स्नातक डिग्री रखने वाला प्रत्येक उम्मीदवार मनोनयन के लिए पात्र होगा। मनोनयन प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचीबद्ध डिज़ाइनरों के पूल में से ईमेल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला के लिए डिज़ाइनरों का चयन होना चाहिए। डिज़ाइनरों को एक साथ एक से अधिक परियोजना में संलग्न नहीं होना चाहिए।

सिद्धहस्तशिल्पी का चयनः शिल्प गुरु, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, राज्य पुरस्कार विजेता एवं राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक को उनकी इन मान्यताओं के अनुसार सिद्धहस्तशिल्पी माना जा सकता है और वे उनकी उपलब्धता के अनुसार डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला में शामिल हो सकते हैं। फ़ील्ड कार्यालयों की सिफ़ारिश पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपने शिल्प में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रत्येक कारीगर को सिद्धहस्तशिल्पी के रूप में नामित किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचीबद्ध सिद्धहस्तशिल्पी की शिल्प-श्रेणीवार सूची रखा एवं अपडेट किया जाएगा। सिद्धहस्तशिल्पों का चयन निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए और एक साथ एक से अधिक परियोजना में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

बाज़ार सर्वेक्षण एवं आसूचना संग्रहणः बाज़ार सर्वेक्षण एवं आसूचना मौजूदा डिज़ाइन प्रवृतियों, उपभोक्ताओं के मैजूदा स्वाद एवं प्राथमिक्ताओं का अध्ययन करने और बाज़ार के अनुरुपों डिज़ाइन में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव के लिए आवश्यक है। बाज़ार सर्वेक्षण एवं आसूचना संग्रहण क्रियाक्लापों को पूरा करने और सर्वेक्षण रिपोर्ट क्षेत्रीय एवं मुख्यालय कार्यालय को ईमेल करने के पश्चात ही कार्यशाला आरंभ होनी चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी उचित निगरानी/ निरीक्षण के लिए डिज़ाइन कार्यशाला की संभावित तिथि (क्षेत्रीय कार्यालय के परामर्श से) सूचित करेगी।

प्रोटोटाइप का विकासः बाज़ार सर्वेक्षण एवं आसूचना रिपोर्ट में दिए सुझाव और नियुक्त डिज़ाइनर द्वारा विकसित डिज़ाइन/स्केच के अनुसार प्रोटोटाइप का विकास किया जाएगा। डिज़ाइनरों को वही सॉफ्टवेर प्रारुप में प्रोटोटाइप के सभी तकनीकी विनिर्दिष्ट, स्केच, मौलिक सॉफ्ट डाटा जो प्रोटोटाइप (यदि प्रयुक्त) के डिज़ाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है एवं उनके द्वारा किए गए अभिनव के विवरण डिज़ाइनर रिपोर्ट देते हुए प्रदान करना होगा। डिज़ाइन विकास कार्यशाला के अंर्तगत विकसित प्रोटोटाइप/डिज़ाइन/ स्केच आदि के लिए सभी बौद्धिक संपदा अधिकार की ज़िम्मेदारी भारत सरकार की होगी।

प्रलेखन, बायोमेट्रिक उपस्थिति तथा विडियोग्राफीः स्वीकृति के अनुसार लक्षित उद्देश्यों का विवरण, उपलाब्धियाँ, निरीक्षण रिपोर्ट, डीबीटी फोर्मेट में लाभार्थी ब्यौरा सभी प्रतिभागियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, लेखा-परीक्षा दस्तावेज (जीएफआर-12ए, लेखों का लेखा परिक्षित विवरण व्यय का शीर्षानुसार लेखा परीक्षा विवरण) बाज़ार सर्वेक्षण एवं आसूचना रिपोर्ट, प्रोटोटाइप तकनीकी विवरण, कार्यशाला के दौरान विकसित भौतिक प्रोटोटाइप के फोटोग्राफ देते हुए एक स्पष्ट एवं संक्षिप्त दस्तावेज़ तैयार किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी को प्रमाणित करना चाहिए कि उनके द्वारा पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति, डिज़ाइनर शुल्क एवं सिद्धहस्तशिल्पी शुल्क का भुगतान किया जा चुका है। दस्तावेज़ के साथ 30 मिनट की समय-समाप्ति विडियो, प्रोटोटाइप विकास के विभिन्न चरणों को लेते हुए एवं महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत किया जाना जाहिए।
सभी प्रतिभागियों अर्थात डिज़ाइनर, सिद्धहस्तशिल्पी तथा कारीगरों को दिन में दो बार (प्रत्येक कार्य दिवस की शुरुआत एवं अंत में) अपनी बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए एवं 80% से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

निरीक्षण एवं अनुवीक्षणः क्षेत्र कार्यालय द्वारा निरीक्षण एवं अनुवीक्षण का उद्देश्य कार्यशाला का सफल निष्पादन और संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। क्षेत्र अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया के दौरान कम से कम दो बार कार्यशाला का दौरा करना चाहिए (दो अलग-अलग अधिकारियों द्वारा परियोजना की शुरुआत एवं अंत में जो बेहतर होगा) प्रशिक्षकों, कारीगरों आदि के साथ बात करनी चाहिए तथा 5 फोटोग्राफ के साथ अपनी रिपोर्ट ई-मेल के द्वारा तीन दिनों के अंदर कार्यान्वयन एजेंसी व क्षेत्रीय कार्यालय को एक प्रति के साथ सीधे मुख्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करनी चाहिए। निरीक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जो हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी/ कालीन प्रशिक्षण अधिकारी से निचले स्तर का न हो। कार्यान्वयन एजेंसी को फ़ील्ड कार्यालय द्वारा कम से कम दो निरीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

लाभार्थियों को भुगतान की विधिः सभी लाभार्थियों/संबंधित व्यक्तियों का भुगतान केवल पीएफएमएस के माध्यम से ही होना चाहिए। इसके अलावा, कारीगरों को लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए एवं सेवा देने वालों को विक्रेता या अन्य उपयुक्त श्रेणी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

निर्देशात्मक परियोजना समयरेखाः कार्यशाला का निष्पादन ऐसा होना चाहिए जिससे कि सम्पूर्ण कार्यक्रम को न्यूनतम संभव समय में पूरा किया जा सके। सूझाव है कि बाज़ार सर्वेक्षण एवं आसंचार संग्रहण फंड प्राप्ति की तिथि से 3 महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए एवं कार्यशाला अगले 3 महीने के अंदर। प्रतिपूर्ति का समय पर प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद एक महीने के अंदर प्रतिपूर्ति प्रस्ताव के साथ आवश्यक दस्तावेज संबंधित कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

(2) गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (जीएसएचपीपी)

योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प ज्ञान को सिद्धहस्तशिल्पी (गुरु) से नयी पीढ़ी के कारीगरों (शिष्य) को स्थानांतरित करना है ताकि कौशल अंतराल को कम एवं बाज़ार की मांग को पूरा किया जा सके। यह हस्तशिल्प क्षेत्र में तकनीकी एवं सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से पूरा किया जाएगा और प्रशिक्षित कार्यबल बनाएगा।

पात्रताः विशिष्ट विधिक इकाई रखने वाले सार्वजनिक निकाय या संस्थान अर्थात स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित संस्थाओं या संगठनों, विशिष्ट संविधि या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882, के अंर्तगत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में उत्पादक कंपनियां और सेक्शन-8 कंपनियाँ (कंपनी अधिनियम-2013), गैर-सरकारी संगठन, शैक्षिक एवं अन्य संस्थान, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थान,

निर्यात संवर्धन परिषद, राज्य/केन्द्र सरकारी एजेंसी आदि को सहायता अनुदान दिया जा सकता है। जीपीआर के अंतर्गत प्रासंगिक नियम एजेंसियों के चयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे।

अवधि एवं भागीदारी

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा संरेखित पाठ्यक्रम की सूची में उल्लिखित घंटों के अनुसार होगा। शिल्पवार पाठ्यक्रम अवधि विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की वेबसाइट www.handicrafts.nic.in पर उपलब्ध है।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम का बैच आकार 20-40 कारीगरों का होगा। संबंधित शिल्प में पहचान कार्ड रखने वाले कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के पात्र हैं। 18-35 आयु वर्ग के कारीगरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

वित्तीय सहायता एवं फंडिंग पैटर्न

पात्र संगठन को वित्तीय सहायता 100% सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। सहायता का भुगतान दो किश्तों में होगा। पहली किश्त अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी (सरकारी एजेंसियों के लिए 80% एवं गैर-सरकारी संगठनों के लिए 50%) और शेष स्वीकार्य राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दूसरी किश्त में दी जाएगी। सहायता अनुदान स्वीकृत करने के लिए व्यय शीर्ष निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	**व्यय शीर्ष**	**अधिकतम स्वीकार्य सहायता**
क)	स्थान किराया	7,500/- रुपए प्रति माह
ख)	प्रशिक्षुओं के लिए पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति	300/- रुपए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु
ग)	2 मास्टर प्रशिक्षक/विशेषज्ञ के लिए शुल्क	1200/- रुपए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षक
घ)	उपकरण/औजार एवं अन्य प्रशिक्षण इन्फ्रास्ट्रकचर	75,000/- रुपए तक प्रति प्रशिक्षण
ङ)	कच्चे माल की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति	60/- रुपए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु
च)	कालीन करघा के लिए किराया (यदि लागू)	1000/- अधिकतम 6 करघे के लिए प्रति करघे प्रति माह
छ)	विविध खर्च	कुल (क) से (च) का 5%
ज)	प्रशासनिक खर्च	कुल परियोजना लागत के (क) से (छ) का 3%

बृहत कौशल उन्नयन कार्यक्रम (सीएसयूपी)

योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल अंतराल को भरने, हस्तशिल्प क्षेत्र में सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प अभ्यास को पुनरजीवित करने के लिए उद्योग के प्रयासों को पूरा करना, कम करना और राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के आधार पर जरूरत के अनुसार संचालन एवं स्वरोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस उद्देश्य को स्थापित संस्थानों की सहायता से उनके परिसर पर औपचारिक प्रमाणपत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से हासिल किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों के कौशल उन्नयन, डिज़ाइन नवाचार एवं सॉफ्ट कौशल का व्यापक विकास करना है।

अवधि एवं भागीदारीः

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 6 महीने (5 दिन प्रति सप्ताह, 6 घंटा प्रति दिन) की होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीन घटक होंगे- i) दो-माह तकनीकी प्रशिक्षण, ii) दो-माह डिज़ाइन विकास प्रशिक्षण और iii) क्राफ्ट एक्सपोज़र दौरे के साथ दो-माह का सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का बैच आकार 20-40 कारीगरों का होगा। संबंधित शिल्प में पहचान कार्ड रखने वाले कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के पात्र हैं। 18-35 आयु वर्ग के कारीगरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पात्रताः विशिष्ट विधिक इकाई रखने वाले किसी संस्थान अर्थात संस्थान या संगठन के रूप में स्थापित संस्थाओं या स्वायत्त संगठन, विशिष्ट संविधि के अंर्तगत या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882, के अंर्तगत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में शैक्षिक एवं अन्य संस्थान को सहायता अनुदान दिया जा सकता है। जीपीआर के अंतर्गत प्रासंगिक नियम एजेंसियों के चयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे।

वित्तीय सहायता एवं फंडिंग पैटर्नः
पात्र संगठन को वित्तीय सहायता 100% सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। सहायता का भुगतान दो किश्तों में होगा। पहली किश्त अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी (सरकारी एजेंसियों के लिए 80% एवं गैर-सरकारी संगठनों के लिए 50%) और शेष स्वीकार्य राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दूसरी किश्त में दी जाएगी। सहायता-अनुदान स्वीकृत करने के लिए व्यय शीर्ष निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	व्यय शीर्ष	अधिकतम स्वीकार्य सहायता
क)	2 प्रशिक्षकों के लिए शुल्क (सिद्धहस्तशिल्पी/डिज़ाइनर/प्रशिक्षक)	1200/- रुपए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षक (एक समय पर 2 प्रशिक्षक)
ख)	प्रशिक्षुओं को पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति/वृत्ति	300/- रुपए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु
ग)	कच्चे माल/अध्ययन दौरों के लिए क्षतिपूर्ति	60/- रुपए प्रति दिन प्रति प्रशिक्षु
घ)	अध्ययन सामग्री	1000/- रुपए प्रति प्रशिक्षु
ङ)	विविध खर्च	[कुल (क) से (घ)] का 5%
च)	संस्थागत शुल्क सहित प्रशासनिक शुल्क	[कुल परियोजना लागत का (क) से (ङ)] का 3%

बृहत कौशल उन्नयन कार्यक्रम के आयोजन के लिए पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु वित्तीय सहायता

कार्यान्वयन एजेंसियां एक वर्ष में अधिकतम 50 कारीगरों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना का सृजन करने के लिए अधिकतम 5,00,000/- रुपए की अनुदान सहायता की पात्र होगीं।

गुरू शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम और बृहत कौशल उन्नयन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करनाः पात्र एजेंसियों को केवल ऑनलाइन प्रणाली से निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार एनएसक्यूएफ संरेखित शिल्प पाठ्यक्रमों में स्थापित संस्थानों के माध्यम से वृहत कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। एनएसक्यूएफ संरेखित शिल्प पाठ्यक्रमों का विवरण विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की आधिकारिक वेवसाइट www.handicrafts.nic.in पर उपलब्ध है।

कारीगरों का चयनः संबंधित शिल्प में वैध पहचान पत्र रखने वाले कारीगर ही भागीदारी के पात्र हैं तथा सभी कारीगरों को सामान अवसर देते हुए अच्छी तरह से परिभाषित उदेश्य मापदंडों/मानदंडों, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सभी लाभार्थियों को चुना जाना चाहिए। तथापि 18-35 आयु वर्ग के कारीगरों तथा उपेक्षित सामाजिक समूहों यानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित-जनजाति/महिलाएं/दिव्यांगजनों को वरीयता दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, एक ही परिवार से अधिक लाभार्थियों को न लिया जाए ताकि कारीगरों के अधिक परिवारों को शामिल किया जा सके। संबंधित सहायक निदेशक निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के एमआईएस पोर्टल पर कारीगर का डेटा अपलोड करेंगे।

प्रशिक्षकों/सिद्धहस्तशिल्पी का चयन

1. गुरू शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रमः शिल्प गुरूओं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं, राज्य पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्रीय योग्यता प्रमाणपत्र धारकों को मान्यता के आधार पर सिद्धहस्त शिल्पी माना जा सकता हैं तथा उनकी उपलब्धता के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण में नियुक्त किया जा सकता है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की सिफारिश पर न्यूनतम 10 वर्ष अनुभव रखने वाले किसी भी कारीगर को कार्य में लगाया जा सकता है।

2. बृहत कौशल उन्नयन कार्यक्रमः संस्थान द्वारा डिजाइन विकास घटक हेतु डिज़ाइन विकास कार्यशाला के दिशा निर्देश के अनुसार, तकनीकी प्रशिक्षण घटक के लिए शिल्प गुरु/राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता/राज्य पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय प्रमाण पत्र धारक आदि तथा सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण घटक के लिए योग्य प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएगें। इसके अलावा, संस्थान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के पूर्व अनुमोदन से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अपने संकाय/विशेषज्ञ नियुक्त कर सकते हैं।

प्रलेखन, बायोमेट्रिक उपस्थिति तथा विडियोग्राफीः स्वीकृति के अनुसार लक्षित उद्देश्यों का विवरण, उपलाब्धियाँ, निरीक्षण रिपोर्ट, डीबीटी फोर्मेट में लाभार्थी ब्यौरा सभी प्रतिभागियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, लेखा-परीक्षा दस्तावेज (जीएफआर-12ए, लेखों का लेखा परिक्षित विवरण व्यव का शीर्षानुसार लेखा परीक्षा विवरण) बाज़ार सर्वेक्षण एवं आसूचना रिपोर्ट, प्रोटोटाइप तकनीकी विवरण, कार्यशाला के दौरान विकसित भौतिक प्रोटोटाइप के फोटोग्राफ देते हुए एक स्पष्ट एवं संक्षिप्त दस्तावेज़ तैयार किया जाना चाहिए।

सभी प्रतिभागियों अर्थात डिज़ाइनर, मास्टर शिल्पकार तथा कारीगरों को दिन में दो बार (प्रत्येक कार्य दिवस की शुरुआत एवं अंत में) अपनी बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए और 80% से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

निरीक्षण एवं अनुवीक्षणः क्षेत्र कार्यालय द्वारा निरीक्षण एवं अनुवीक्षण का उद्देश्य कार्यशाला का सफल निष्पादन और संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। क्षेत्र अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया के दौरान कम से कम दो बार कार्यशाला का दौरा करना चाहिए (दो अलग-अलग अधिकारियों द्वारा परियोजना की शुरुआत एवं अंत में श्रेयस्कर होगा) प्रशिक्षकों, कारीगरों आदि के साथ बात करनी चाहिए तथा 5 फोटोग्राफ के साथ अपनी रिपोर्ट ई-मेल के द्वारा तीन दिनों के अंदर कार्यान्वयन एजेंसी व क्षेत्रीय कार्यालय को एक प्रति के साथ सीधे मुख्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करनी चाहिए। निरीक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जो हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी/ कालीन प्रशिक्षण अधिकारी से निचले स्तर का न हो।

लाभार्थियों को भुगतान की विधिः सभी लाभार्थियों/संबंधित व्यक्तियों का भुगतान केवल पीएफएमएस के माध्यम से ही होना चाहिए। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है।

उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम (आईटीडीपी)

उन्नत टूलकिट एवं कुशल हस्त, हस्तशिल्प क्षेत्र के दो रत्न हैं जो कारीगरों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण है। जब कारीगरों का कौशल स्तर धीरे-धीरे सीखने एवं अनुभव के साथ बढ़ता है, विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा कारीगरों की प्रतिक्रिया के साथ संयोजन में तेजी से विशिष्ट सामग्री/तकनीकों का उपयोग करके उपकरण विकसित किए जाते हैं। उन्नत टूलकिट से उत्पाद की गुणवता और कारीगर की उत्पादकता बढ़ाती हैं। इसके अलावा, इनसे बड़े पैमाने पर एक समान गुणवता वाले उत्पादों के उत्पादन में हस्तशिल्प कारीगरों को सहायता मिलती हैं। उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवता की एकरूपता अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक अंतराष्ट्रीय हस्तशिल्प बाज़ार में अस्तित्व बनाये रखने के लिए प्रमुख तत्व हैं। उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्नत टूलकिट वितरण का प्रावधान शुरू किया गया है।

वित्तीय सहायता एवं फंडिंग पैटर्नः

पात्र संगठन को वित्तीय सहायता उन्नत टूलकिट के वितरण या प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 100% अनुदान के रूप में दी जाएगी। सहायता का संवितरण दो किस्तों में होगी; पहली किस्त अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी (सरकारी एजेंसियों के लिए 80% तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए 50%) और शेष राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दूसरी किस्त के रूप में जारी की जाएगी। सहायता अनुदान योग्य तकनीकी एजेंसी द्वारा अनुमोदित टूलकिट के लिए दिया जाएगा। प्रति टूलकिट अधिकतम वित्तीय सहायता 10,000/- रुपये और भट्टियां/करघे के लिए 20,000/- रुपए है। इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसी प्रशासनिक शुल्क के लिए पात्र होगी जो कुल परियोजना लागत का 3% है।

कार्यान्वयन परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु दिशानिर्देशः

सभी पात्र एजेंसियों द्वारा उन्नत टूलकिट के वितरण के लिए प्रस्ताव ऑनलाइन मोड से ही निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन के बाद उपयुक्त संख्या में कारीगरों की उपलब्धता दर्शाने वाले आंकड़ो के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

परियोजना की सिफ़ारिश/चयनः फील्ड कार्यालय का संबंधित सहायक निदेशक एजेंसी के लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, ब्लॉक एनजीओ, अव्ययित शेष आदि की स्थिति की जांच करने के उपरांत एनजीओ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की सिफ़ारिश करेगा। एनजीओ के प्रस्तावों पर मुख्यालय स्तर समिति द्वारा उचित विचार-विमर्श के पश्चात विचार किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों के प्रस्तावों पर पहले आओ-पहले पाओ/मांग के आधार पर, आवश्यकता अनुसार विचार किया जाएगा।

कारीगरों का चयनः केवल वे कारीगर जिनके पास संबंधित शिल्प में वैध पहचान पत्र है, तथा जो सभी कारीगरों को समान अवसर देते हुए उचित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मापदंडों से चुने जाए। तथापि, 18-35 आयु वर्ग के कारीगरों, उपेक्षित सामाजिक समूहों यानी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति महिलाएं/ दिव्यांग व्यक्तियों को वरीयता दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, एक ही परिवार से अधिक लाभार्थियों को न लिया जाए ताकि कारीगरों के अधिक परिवारों को शामिल किया जा सके। संबंधित सहायक निदेशक निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के एमआईएस

पोर्टल पर कारीगरों का डेटा अपलोड करेंगे। कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि एक ही लाभार्थी को इस विभाग या किसी अन्य विभाग से एक जैसे टूलकिट प्राप्त नहीं हो रही है।

प्रलेखन बायोमेट्रिक उपस्थित तथा विडियोग्राफीः स्वीकृति के अनुसार लक्षित उद्देश्यों का विवरण, उपलब्धियां, निरीक्षण रिपोर्ट, डीबीटी फोर्मेट में लाभार्थी का ब्यौरा, संबंधित सहायक निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कारीगरों द्वारा टूलकिट की प्राप्ति रसीद सभी प्रतिभागियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, लेख-परीक्षा दस्तावेज़ (जीएफआर-12ए, लेखों का लेखा परिक्षित विवरण, व्यय का लेखा-परिक्षित विवरण) आदि का विवरण देते हुए एक स्पष्ट एवं संक्षिप्त दस्तावेज़ तैयार किया जाना चाहिए।

निरीक्षण एवं अनुवीक्षणः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण एवं अनुवीक्षण का उद्देश्य कार्यशाला का सफल निष्पादन और संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। टूल किट निरीक्षण अधिकारी (जो हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी/कालीन प्रशिक्षण अधिकारी के स्तर से नीचे न हो) की उपस्थिति में वितरित की जानी चाहिए और सभी सांविधिक अनुपालन सुनिश्चत किए जाने चाहिए। वितरण कार्यक्रम पूरा होने के तुरंत बाद, निरीक्षण कार्यालय अपनी निरीक्षण रिपोर्ट (ई-मेल के माध्यम से) उसी दिन प्रस्तुत करेगा।

अंबेडकर हस्तशिल्प

विकास योजना (एएचवीवाई)

(III) अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई)

पृष्ठभूमिः

अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना एक कलस्टर विशेष योजना है। इस योजना में परिभाषित कलस्टरों में कारीगरों के सतत विकास के लिए आवश्यकता आधारित कलस्टर विशिष्ट दृषिटकोण की परिकल्पना की गई है। हस्तशिल्प कलस्टरों की भौगोलिक पहचान में तीन किलोमीटर की दूरी या व्यास के भीतर कुछ गांव या नगरपालिका क्षेत्र शामिल है। शिल्प कलस्टरों में कारीगर एक शिल्प या अधिक शिल्प के उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं। चिन्हित कलस्टर को वित्तीय तकनीकी और सामाजिक इन्टरवेंशन अनुसार पांच साल की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वर्तमान में, हस्तशिल्प क्षेत्र रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। किन्तु इस क्षेत्र की असंगठित प्रकृति के साथ-साथ शिक्षा का अभाव, पूंजी की कमी और नई तकनीकों की अपर्याप्त जानकारी, बाज़ार आसूचना का अभाव और कमजोर संस्थागत ढाँचे के कारण इस क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) 2001-02 में प्रारम्भ की गई थी, जिसमें योजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों में शिल्पियों की सहभागिता के साथ सक्षम हस्तशिल्प कलस्टरों के एकीकृत विकास के लिए परियोजनावार, आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया। इस योजना में हस्तशिल्प कारीगरों के समूह को सहायता पैकेज देने की परिकल्पना की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि के अलावा बुनियादी निवेश और इन्फ्रस्ट्रकचर सहायता शामिल है।

उद्देश्यः

एएचवीवाई योजना का उद्देश्य सामुदायिक सशक्तिकरण के माध्यम से शिल्प समूहों का उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकास करना और पूरे देश में हस्तशिल्प कारीगरों के सतत विकास, सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। यह योजना कलस्टर कारीगरों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। यह योजना रोजगार सृजन, तकनीकी उन्नयन, डिजाइन इनपुट के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता, विपणन सहायता कार्यक्रम, ब्रांड संवर्धन, संसाधन जुटाने एवं अन्य आवश्यकता आधारित गतिविधियाँ को सुनिश्चित करेगी। कलस्टर कारीगरों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, एक व्यावसायिक इकाई में कारीगरों को जुटाना, उदाहरण के लिए उत्पादक कंपनियाँ बनाना सुनिश्चित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रभावी सदस्य भागीदारी और सहयोग के सिद्धांतों पर कारीगर समूहों को व्यवसायिक रूप से प्रबंधित और आत्मनिर्भर उद्धम में विकसित करके भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। इस प्रकार बनाई गई निर्माता कंपनियां मार्केटिंग इंटेलिजेंस के साथ व्यावसायिक तर्ज पर चलेगी और एक व्यावसायिक प्रबंधन टीम द्वारा चलाई जाएंगी। उत्पादक कंपनी का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों के बीच उद्यमशीलता की भावना को औपचारिक रूप मे लाना है।

हस्तशिल्प कलस्टरः

हस्तशिल्प कलस्टर का तात्पर्य एक पहचानयुक्त और निकटवर्ती भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए कारीगरों के एक समूह से है। क्योंकि शिल्पकार पूरे देश में बिखरे हुए हैं और कुछ खास इलाकों में केंद्रित हैं, अतः हस्तशिल्प कलस्टर के लिए भौगोलिक क्षेत्र को निर्धारित करना वास्तव में कठिन है। हालांकि योजना के उद्देश्य से 5 किमी. के घेरे में कलस्टर क्षेत्र सीमित होना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और ए एंड एन में, न्यनतम 50-75 कारीगरों वाले शिल्प समूहों को भी कारीगरों के समग्र विकास के लिए लिया जाएगा।

इसके अलावा, एक निश्चित कलस्टर के तहत शारीरिक रूप से अक्षम कारीगरों को भी योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा, अपनी पहचान, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए भले ही वे किसी भी शिल्प कार्य में लगे हों। अन्य शारीरिक रूप से अक्षम अन्य व्यक्तियों को जो शिल्पकार नहीं है, उन्हें कलस्टर के दायरे में लाने के लिए आसान लेकिन व्यवहार्य शिल्प सीखने के लिए प्रेरित करने, संघटित करने और प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके लिए कलस्टर के ढांचे के भीतर ही उन्हें प्रदान किया जाएगा।

सक्षम कलस्टरों को अपनाना

अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) ने पिछले कुछ वर्षों में देश के संपन्न हस्तशिल्प उद्योग का चेहरा और कारीगर समुदाय की स्थिति को बदल दिया है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन और अच्छी तरह से तैयार किए गए। इन्टरवेंशनों न केवल कारीगरों को सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है बल्कि भारतीय हस्तशिल्प को नई ऊँचाइयों पर ले गए हैं। डिजीटलीकरण, कैशलेस अर्थव्यवस्था, ई-मर्केटिंग आदि के क्षेत्र में हाल के बड़े बदलावों को ध्यान में रखते हुए नए दृष्टिकोण अपनाए जाने हैँ। इसके लिए केन्द्र/राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रमों के साथ केंद्रित दृष्टिकोण और अभिसरण की आवश्यकता है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय 3 साल की समय अवधि के भीतर कारीगरों के समग्र विकास के लिए देश भर मेंटरशिप विकास कार्यक्रम के तहत व्यवहार्य और निर्यात उन्मुख कलस्टरों को अपनाएगा। आकांक्षी जिलों, जनजातीय क्षेत्रों, महिला वर्चस्व वाले शिल्प समूहों, जीआई पंजीकृत शिल्प कलस्टरों, पर्यटन स्थलों से जुड़े शिल्प कलस्टरों खिलौना कलस्टरों के सतत विकास के लिए अधिमानतः अपनाया जाएगा।

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सक्षम कलस्टरः

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय निर्यात क्षमता वाले व्यवहार्य कलस्टरों की भी पहचान करेगा। निर्यात उन्मुख कलस्टरों को सभी आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़त हासिल कर सकें। चिन्हित कलस्टरों को विश्व स्तरीय सुविधाओं, डिजाइन इनपुट, अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्लेटफार्म, नवीन तकनीकों की सहायता दी जाएगी जो कलस्टरों को अपने उत्पादन को बढ़ाने, गुणवत्ता और विशिष्टताओं को सुनिश्चित करने और समयबद्ध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। कलस्टर कारीगरों का अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए नामित किया जाएगा ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे जानकारी मिल सके।

(ख) घरेलू बाजार की जरुरतों को पूरा करने वाले कलस्टर:

घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने वाले कलस्टर और सुदूर एवं अप्रयुक्त क्षेत्रों में भी कलस्टर शुरू किए जाएँगे। शिल्प जो विलुप्त, दुर्लभ और क्षीण है, उन्हें ऐसे चिन्हित कलस्टरों में अन्य शिल्प के साथ जोड़ा जाएगा।

पात्रताः

- केन्द्र/राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम और राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा प्रवर्तित कोई अन्य पात्र सरकारी निगम/एजेंसियां।

- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कार्यालय के साथ सूचीबद्ध गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन, पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, स्थानीय सांविधिक निकाय, शीर्ष सहकारी सोसाइटी एवं राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सोसाइटी (सोसाइटी अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत) और संगठन जैसे आईआईसीटी, निफ्ट तथा निर्यात संवर्धन परिषदें।
- कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियां/ उत्पादक कंपनियां जो हस्तशिल्प एंड हथकरघा के संवर्धन और विकास के लिए काम कर रही हों।
- साथ ही, किसी भी घटक को विभागीय रूप से लागू किया जा सकता है।

एएचवीवाई के पास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की अन्य सभी योजनाओं के घटक उपलब्ध होंगे। तथापि कुछ परिस्थितियों के तहत और डीपीआर की सिफारिश के अनुसार पीएएमसी के अनुमोदन पर कलस्टर में कार्यान्वयन के लिए विशेष गतिविधियों पर विचार किया जा सकता है।

(1) चिन्हित शिल्प कलस्टरों का नैदानिक सर्वेक्षण एवं कारीगरों को स्वयं सहायता समूहों में जुटाना।
(2) डीपीआर तैयार करना
(3) (क) उत्पादक कंपनी का गठन
(ख) पूँजी-कार्य में सहयोग सहायता
(4) कार्यशाला सह संगोष्ठी
(5) उद्यमिता विकास कार्यक्रम
(6) डिजाइन मेंटरशिप कार्यक्रम
(7) परियोजना कार्यान्वयन एवं प्रबंधन
(8) विदेश बाजार हेतु डिजाइन सहायता
(9) अध्ययन सह एक्सपोजर दौरा

(1) **चिन्हित शिल्प कलस्टरों का नैदानिक सर्वेक्षण एवं कारीगरों को स्वयं सहायता समूहों में जुटाना।**

नैदानिक सर्वेक्षण में चिन्हित समूहों में कारीगरों की पहचान, कारीगरों के कौशल, उनके द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों, मौजूदा विपणन मार्ग, उपयोग किए जा रहे कच्चे माल और संसाधन, कारीगरों की आय, उपयोग किए जा रहे उपकरण एवं तकनीक, सामाजिक स्थिति, अंतराल विश्लेषण, महत्वपूर्ण मामलों का पता लगाना आदि शामिल करते हुए विस्तृत सर्वेक्षण व अध्ययन शामिल होगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वैज्ञानिक तरीके से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के फील्ड कार्यालयों के उचित परामर्श के साथ विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा।

कार्यान्वयन एजेंसियाँ कारीगरों को स्वयं सहायता समूहों में संघटित करेंगी, सामुदायिक व्यावसायिक उद्यम बनाने और चलाने के विभिन्न पहलुओं पर कारीगरों के बीच जागरुकता पैदा करेंगी। कार्यान्वयन एजेंसियाँ कारीगरों, सिद्धहस्तशिल्पी, पुरस्कार विजेताओं और लिंग, जाति एवं शिक्षा के संबंध में वर्गीकरण और पहचान पत्र जारी होने के अनुसार पूरे शिल्प कलस्टर क्षेत्रों को फ्रीज़ करेंगी।

परिदेयः

- निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक कारीगर का सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना।
- चिन्हित कलस्टर के आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित जीआई शिल्प/लुप्तप्राय शिल्प सहित सभी शिल्पों की पहचान।
- मौजूदा उत्पाद क्षेत्र एवं सीमा और प्रयुक्त कच्चे माल के बारे में जानकारी।
- विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट की तैयारी।
- पदाधिकारियों के साथ कारीगर समूहों/एसएचजी को जुटाना।
- स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते खोलना।
- सभी कलस्टर कारीगरों को 'पहचान' कारीगर पहचान पत्र जारी करना।
- सर्वेक्षित डाटा का एमएस एक्सेल शीट में प्रसंस्करण जिसमें कारीगरों के विवरण जैसे पहचान पत्र सं. फोटोग्राफ, आधार संख्या, ईपीआईसी सं./मतदाता पहचान पत्र, बैंक के नाम के साथ बैंक खाता संख्या शामिल है।
- सुझावात्मक कार्य योजना।

वित्तीय सहायता

प्रति कारीगर 500/- भारतीय रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो प्रति कलस्टर अधिकतम 5.00 लाख रुपए के अधीन होगी।

समयसीमाः

कार्यान्वयन एजेंसी 6 महीने के अंदर सर्वेक्षण पूरा करेगी एवं डीपीआर प्रस्तुत करेगी।

(1) डीपीआर तैयार करना

उद्देश्य एवं कार्यप्रणालीः

कार्यान्वयन एजेंसी कारीगरों, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के क्षेत्र अधिकारियों एवं अन्य हितधारियों के परामर्श से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी। जैसा उचित और आवश्यक होगा एएचवीवाई योजना या किसी अन्य शिल्प पॉकेट के तहत एक चिन्हित कलस्टर हेतु डीपीआर तैयार किया जाएगा। यह डीपीआर योजना, निर्णय लेने हेतु संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करेगी एवं चिन्हित कलस्टर के समग्र विकास के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को परिभाषित करेगी।

डीपीआर की विषय सूची

क) सारांश

ख) परियोजना वर्णन

ग) कारीगरों की संख्या, उत्पाद क्षेत्र, उपयोग किए उपकरण एवं औज़ार, कौशल स्तर, प्रयुक्त कच्चे माल एवं उनके स्रोत, ऋण सुविधाएं, विपणन मार्ग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कारीगरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, पारिश्रमिक आदि के संदर्भ में कलस्टर रूपरेखा ।

घ) अंतराल विश्लेषण (एसडबल्यूओटी विश्लेषण)

ङ) आर्थिक एवं वित्तीय मूल्यांकन

च) सुझावात्मक इन्टरवेंशन्स

छ) समयसीमा (निष्पादन एवं समापन)

ज) परिणाम

<u>वित्तीय सहायता</u>

प्रति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए अधिकतम 2.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
समयसीमाः कार्यान्वयन एजेंसियाँ 3 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करेगी।

चिन्हित समूहों में डीपीआर के अनुसार और एनएचडीपी के दिशानिर्देश में उल्लिखित आवश्यकता आधारित इन्टरवेंशन्स लिया जाएगा।

(3) (क) उत्पादक कंपनी का गठनः

एएचवीवाई के तहत लिए गए शिल्प समूहों में या किसी अन्य शिल्प संकेंद्रण क्षेत्रों में उत्पादक कंपनियों का गठन किया जाएगा। उत्पादक कंपनियों के गठन का उद्देश्य एक संगठित व्यवस्था के माध्यम से दीर्घकालिक सतत व्यापार मॉड्यूल विकसित करने के लिए सदस्य कारीगरों की सक्रिय भागीदारी और योगदान सुनिश्चित करना है। उत्पादक कंपनियों के शेयरधारक होने के नाते सदस्य कारीगर सफल व्यावसायिक इकाई के लिए सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और योगदान देंगे। उत्पादक कंपनियों के गठन से न केवल सदस्य कारीगरों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन, गुणवत्ता अनुपालन और समय पर आपूर्ति के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि होगी।

कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कारीगर आधारित कानूनी इकाई होने के नाते उत्पादक कंपनी को अपने स्वयं के व्यवसाय मॉड्यूल, व्यवस्थित लक्ष्य, संसाधन जुटाने और कारीगरों के बीच लाभ साझा करने की स्वतंत्रता होगी। सदस्यों के रूप में कारीगरों साथ पीसी के गठन का उद्देश्य कारीगरों को आत्मनिर्भर,
आत्म निर्भर बनाना है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय प्रारंभ में तीन साल की अवधि के लिए उत्पादक कंपनियों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करेगा। हैंडहोल्डिंग सहायता एनएचडीपी दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यकता आधारित और इंटरवेंशन के रूप में होगी।

<u>वित्तीय सहायता</u>

उत्पादक कंपनी के गठन/पंजीकरण हेतु एक बार में 1.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता 100% अग्रिम के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसे सदस्य कारीगरों को संगठित करने, ज्ञान साझा करने, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) को भुगतान करने एवं लेखन सामग्री आदि के लिए खर्च किया जाएगा।

<u>समयरेखाः</u>

उत्पादक कंपनी 3 महीने की अवधि के अंदर बनाई जाएगी।

<u>परिदेयः</u>

- अधिक उत्पादकता एवं विपणन क्षमताएं सामूहिक प्रयासों, संसाधनों/के संयोजन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक एवं निजी निकायों से सहयोग लेकर कारीगरों के उत्पादन पर अधिक लाभ सुनिश्चित करेगी।
- पर्याप्त संस्थागत सहायता प्रदान करके और उत्पादक कंपनियों के व्यासायिक प्रस्तावों के मार्गदर्शन एवं निगरानी से कारीगरों के बीच व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाना।

(3)(ख) उत्पादक कंपनी को कार्यशील पूँजी सहयोगः

उत्पादक कंपनी को नियमित कच्चे माल की प्राप्ति, पर्याप्त माल सूची एवं पूर्ति आदेश का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल, उपकरण आदि की खरीद के लिए कार्य पूँजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

<u>रिलीज पैटर्नः</u>

उत्पादक कंपनी को कार्य पूँजी सहायता 2500/- रूपए प्रति उत्पादक कंपनी के प्रति सदस्य कारीगर प्रति वर्ष, 3 साल की अवधि के लिए प्रति उत्पादक कंपनी अधिकतम 500 कारीगरों के लिए होगी। राशि का भुगतान 100% अग्रिम के रूप में किया जाएगा।

फंडिंग पैटर्नः

प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के लिए अग्रिम के रूप में 100% कार्यशील पूँजी की वित्तीय सहायता पहली किश्त का 60% उपयोग होने पर और निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति पर जारी की जाएगी। इस प्रकार, कार्यशील पूँजी की तीसरे वर्ष की वित्तीय सहायता प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की किश्त का कुल मिलाकर 80% एक साथ उपयोग करने पर जारी की जाएगी।

(4) कार्यशाला सह संगोष्ठी

विपणन, डिजाइन व प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, जीएसटी, जीईएम पोर्टल, वर्चुवल मेलों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहभागिता, जीआई पंजीकरण की प्रक्रिया, मुद्रा ऋण, कारीगर पहचान पत्र, कैशलेस लेनदेन सहित पीएफएमएस, सीमा शुल्क निकासी सहित निर्यात औपचारिकताएँ और शुल्क वापसी का लाभ उठाना आदि के महत्व पर विभिन्न स्तरों पर हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े कलस्टर कारीगरों एवं उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों को संवेदनशील बनाने के लिए आवधिक कार्यशालाओं-सह-संगोष्ठियों का आयोजन करना।

कार्यशाला सह संगोष्ठी व्यापार एवं विपणन कौशल, उद्यमीय कौशल, संप्रेषण, पैकेजिंग एवं ब्रांड संवर्धन, गुणवत्ता अनुपालन, सुरक्षा उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन, उत्पाद मूल्य निर्धारण आदि विषयों को कवर करते हुए अधिकतम 2 दिनों के लिए होगी।

अवधिः
1-2 दिन।

बैच आकारः
50-100 कारीगर।

<u>वित्तीय सहायता</u>

कार्यशाला सह संगोष्ठी के संचालन हेतु घटक के लिए वित्तीय अनुदान 5.00 लाख रुपए प्रति कलस्टर प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान स्थान के किराये, आधारिक संरचना, कारीगरों एवं विशेषज्ञों के यात्रा भत्ते एवं विशेषज्ञों के मानदेय, भोजन व्यवस्था एवं आवास, अध्ययन एवं लेखन सामग्रियों का वितरण, कलाकृतियों के प्रदर्शन और विडियोग्राफी, फोटोग्राफी, प्रचार आदि सहित विविध खर्च के लिए उपयोग किया जाएगा।

(5) उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

ईडीपी कार्यक्रम का उद्देश्य कलस्टर से लक्ष्य समूह के कारीगरों को योजना बनाने एवं सफलतापूर्वक उद्यम करने के लिए कौशल-उद्यम प्रदान करना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कारीगरों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है ताकि उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह कार्यक्रम उद्यम स्थापित करने एवं उसे सफलतापूर्वक चलाने के इच्छुक कारीगरों के उद्यम कौशल में सुधार करेगा।

ईडीपी कार्यक्रम 6 दिनों की अवधि के लिए होगा और निम्नलिखित विषयों को कवर करेगा;

क. उद्यमिता का सामान्य परिचय, उद्यमियों की भूमिका, उद्यम के प्रकार, आवश्यक दस्तावेज, उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रिया एवं उपलब्ध सुविधाएं, जोखिम कारक और उद्यमीय व्यवहार।
ख. विपणन, निर्यात, पैकेजिंग एवं प्रचार, संचार कौशल, डिजाइन, गुणवत्ता अनुपालन, व्यापार, मूल्य निर्धारण, ग्राहक व्यवहार, खुदरा स्टोर पर मौलिक ज्ञान।
ग. वित्तीय पहलुओं जैसे लेखा, बीमा, बैंकिंग सुविधाएँ, जीएसटी, आवश्यक दस्तावेज और क्रेडिट प्राप्त करने की प्रक्रिया पर मौलिक ज्ञान।
घ. अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन पर जागरूकता।
ङ. उद्यमिता विकास से संबंधित कोई अन्य विषय।
च. कार्यान्वयन एजेंसी कारीगरों ज्ञान प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगी।

अवधि एवं भागीदारीः

- कार्यक्रम 6 दिनों की अवधि के लिए होगा।
- 20 प्रतिभागियों का बैच।

वित्तीय सहायता

घटक के लिए वित्तीय अनुदान प्रति परियोजना 5.00 लाख भारतीय रुपए होगा।

क्र.सं.	**शीर्ष**	**राशि**
1	6 दिन के लिए स्थान किराये पर लेना और संस्थागत व्यवस्था	5,00,000 रुपए
2	न्यूनतम 8 विशेषज्ञों हेतु मानदेय 4000/-रुपए प्रति व्यक्ति की दर से	
3	• विशेषज्ञ के लिए भोजन एवं आवास • लेखन सामग्री एवं अध्ययन सामग्री • भाग लेने वाले कारीगरों, विशेषज्ञ और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति 300 रुपए की दर से जालपान • प्रलेखन, विडियोग्राफी एवं अन्य विविध खर्च	
4	प्रतिभागियों का यात्रा भत्ता 2000/- रुपए प्रति कारीगर या वस्तावविक व्यय के आधार पर।	

विशेष मामलों में आईएफडबल्यू के अनुमोदन से सीमा बढ़ाई जा सकती है।

(6) डिजाइन मेंटरशिप कार्यक्रमः

हस्तशिल्प क्षेत्र में डिजाइन एक महत्वपूर्ण तत्व है। योजना घटक का उद्देश्य 5 वर्ष की संपूर्ण परियोजना अवधि के लिए, जब भी आवश्यक हो, कलस्टर कारीगरों के बीच डिजाइन इनपुट को बढ़ावा देना है। ये इनपुट उत्पाद डिजाइन विकास, तकनीकी नवाचार, औजार एवं उकरणों में सुधार, नमूना और प्रोटोटाइप विकास के लिए हो सकते हैं।

यह परियोजना विशिष्ट शिल्प वाले कुछ हस्तशिल्प पॉकेटों पर ध्यान केंद्रित करने और कलस्टर कारीगरों और शिल्प के बने रहने के लिए उन्हें उच्च गुणवता वाले उत्पादन और विपणन केंद्र में बदलने के लिए एक व्यापक और ठोस प्रयास होगा।

शिल्प/कारीगरों की स्थिरता के समेकन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के विभिन्न पहलुओं एवं तत्वों को पूरा करने के लिए सक्षम और अनुभवी डिजाइनरों एवं संबद्ध प्लेयर को नियुक्त किया जाएगा।

डिजाइनरः दो डिजाइनरों को परियोजना में शामिल किया जाएगा जिनके पास यहाँ दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित क्षेत्र में वांछित अनुभव है। वे कार्यान्वयन एजेंसी एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के परामर्श से कार्यप्रणाली के भीतर दो चरणों में मिलकर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

डिजाइन विकास एवं उत्पादनः

- डिजाइन विकास,
- उत्पाद विविधिकरण,
- कारीगरों का अभिविन्यास
- डिजाइन आदि को वास्तविकता में बदलने के लिए कारीगरों के साथ काम करना,
- वास्तविक उत्पादन आधार की पुष्टि करने के लिए कारीगरों के साथ काम करना,
- गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र विकसित करना,
- विपणन हेतु थोक उत्पादन में वृद्धि,
- उत्पाद के प्रबंधन यानि स्टोक के संग्रह, गुणवत्ता मूल्यांकन, वास्तविक गुणवत्ता के अनुसार छंटाई एवं भंडारण

उत्पादन के पश्चात प्रबंधन एवं विपणनः

- बाजार मूल्यांकन
- पैकेजिंग डिजाइन का विकास एवं उत्पाद प्रचार हेतु इससे जुड़े कार्य
- सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों को प्रयोग करके प्रचार एवं ब्रांड संवर्धन।
- मौजूदा ई-कॉमर्स साईट्स में पार्श्विक प्रवेश
- वेब पोर्टल इंटरफेस डिजाइन करना
- उच्च अंत तस्वीरों एवं अन्य विवरणों के साथ उत्पाद श्रृंखला को चित्रित करने वाला विषय लेखन
- अधिकृत आईटी कार्मिकों द्वारा वेब पोर्टल शुरू करने में सहायता करना।

सिद्धहस्तशिल्पीः

परियोजना में एक प्रतिष्ठित सिद्धहस्तशिल्पी को नियुक्त किया जाएगा जो पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक कारीगर पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कारीगर हर पहलू को अपेक्षित स्तर तक सीखें।

उद्यमी, व्यापारी और निर्यातक

परियोजना में शिल्प क्षेत्र के अनुभवी एवं जिम्मेदार उद्यमियों, व्यापारियों और निर्यातकों को शामिल किया जाएगा। निर्यात योग्य मानक की उत्पाद लाइन बनाने के लिए डिजाइनर समय समय पर विविधीकरण, विनिर्देशों एवं उपभोक्ता मांगों आदि के संदर्भ में वर्तमान शिल्प प्रचलन को समझने के लिए उनके साथ चर्चा करेंगे। डिज़ाइनर इस संबंध में नई तकनीकी और आवश्यक मशीनें, औजार आदि की शुरुआत में उनसे सहायता लेंगे।

हालांकि डिजाइनरों और सिद्धहस्तशिल्पी को अलग-अलग समयबद्ध जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, वे एक साथ काम करेंगे और पूरी प्रक्रिया के दौरान हर कदम आपसी विचार-विमर्श से लिया जाएगा ताकि उनके बीच संतुलन सुनिश्चित हो सके और परियोजना लंबे समय तक लाभदायक रहे। उद्यमी, व्यापारी और निर्यातक टीम का अभिन्न अंग होंगे ताकि प्रत्येक हितधारक के लिए जीत का महौल बन सके।

इसके अलावा, परियोजना में नियुक्त डिजाइनर और विशेषज्ञ स्वयंसेवी भावना के साथ परियोजना समाप्त होने के बाद कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए कारीगरों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखेंगे ताकि परियोजना के उद्देश्य समाहित रहें और उत्पादन पॉकेट कायम रह सके। तथापि अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था करना कार्यान्वयन एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। कार्यान्वयन एजेंसी 3 महीने के बाद प्राधिकारी को अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा एवं उसकी स्थिति की रिपोर्ट भी देगी।

घटक के निम्नलिखित उद्देश्य हैः

- ❖ हस्तशिल्प क्षेत्र को नये डिजाइन, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास मुहैया करना
- ❖ हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए डिजाइनरों और व्यापारियों के समर्पित काडर को बढ़ावा देना
- ❖ हस्तशिल्प कलस्टर कारीगरों और निर्यातक समुदाय को नियमित डिज़ाइन इनपुट प्रदान करना
- ❖ अभिनव डिजाइनों के संदर्भ में बदलते वैश्विक परिदृश्य के विषय में क्षेत्र को अद्यतन करना
- ❖ उत्पाद विकास और गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होना
- ❖ बाजार संचालित नये/ अभिनव डिजाइन/उत्पाद लाइन का विकास एवं आपूर्ति
- ❖ प्रतिष्ठत डिजाइनरों/व्यापारियों की सहायता से डिजाइनों को उत्पादों में बदलना
- ❖ नमूने एवं प्रोटोटाइप का विकास
- ❖ विशिष्ट एकीकृत डिजाइन विकास दृष्टिकोण स्थापित करना
- ❖ डिजाइन एवं उत्पाद विकास के क्षेत्रों में अंतराल को भरना, जो हस्तशिल्प क्षेत्र में मौजूदा सबसे बड़ी बाधा है
- ❖ संकेन्द्रित उत्पादों और संकेन्द्रित बाजारों के सिद्धांत पर नये डिजाइन, पैटर्न एवं उत्पाद विकास को अपनाना

कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों, डिजाइनरों, सिद्धहस्तशिल्पियों, निर्यातकों, उद्यमियों और अन्य विशेषज्ञों या संस्थानों को नियुक्त करेगी। योजना के तहत पहले से गठित डिजाइन संस्थान जैसे निफ्ट, एनआईडी, निर्यातक संघ और स्कीम के अंतर्गत पहले से बनाई गई उत्पादक कंपनियाँ भी घटक के कार्यान्वयन और अनुदान के लिए पात्र होंगी।

क्र.सं.	व्यय शीर्ष	अधिकतम अनुमत सहायता
क)	डिजाइनर शुल्क	75,000/- रुपये प्रति डिजाइनर प्रति माह
	यात्रा एवं संभार सहित 2 डिजाइनर	
ख)	स्थान का किराया, बिजली, पानी शुल्क और सेवाओं सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर	15,000/- रुपये प्रति माह
ग)	दो विशेषज्ञों/सिद्धहस्तशिल्पी/निर्यातक/उद्यमियों के लिए यात्रा एवं संभार सहित शुल्क	50,000/- प्रति व्यक्ति प्रति माह
घ)	प्रशिक्षुओं को उपकरण एवं टूलकिट	2,50,000/- रुपये
ङ)	आईटी विशेषज्ञ शुल्क सहित वेब पोर्टल बनाना	4,00,000/-रुपये
च)	भाग लेने वाले कारीगर के लिए शिक्षु भत्ता	10,000/-रुपये प्रति प्रतिभागी प्रति माह
छ)	प्रलेखन, फोटोग्राफी एडं विडियोग्राफी आदि	1,15,000/-रुपये
ज)	विकास के लिए कच्चे माल एंड बाजार संचालित/नये अभिनव डिजाइन/उत्पाद लाइन की आपूर्ति एवं नमूने और प्रोटोटाइप का विकास	11,000/- रुपये प्रति प्रतिभागी
झ)	प्रशिक्षण के बाद हैंड होल्डिंग सहायता	1,00,000/- रुपये
ञ)	विविध व्यय (लेखन सामग्री, टेलीफोन, जलपान, प्रिंट एडं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार, मशीनरी मरम्मत, बायोमेट्रिक मशीन, लेखापरीक्षा शुल्क, आदि)	3,000/- रुपये प्रति प्रतिभागी प्रति माह

वित्तीय सहायताः

प्रति कार्यक्रम 25 लाभार्थी कलस्टर के कारीगरों को लाभान्वित हेतु घटक के लिए वित्तीय सहायता अनुदान अधिकतम 35.00 लाख भारतीय रुपए होगा।

फंड रिलीज़ पैटर्नः

कुल संस्वीकृत राशि पर पहली किश्त के रूप में 75% अग्रिम और दूसरी किश्त रूप में 25% परियोजना के पूरा होने और हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी किया जाएगा।

अवधिः 4 माह और प्रति कार्यक्रम न्यूनतम 25 प्रतिभागी ।

(7) परियोजना कार्यान्वयन एवं प्रबंधनः

राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम में उल्लिखित विभिन्न इन्टरवेंशन्स के माध्यम से तकनीकी विपणन, कौशल सुधार, इन्फ्रास्ट्रक्चर और कलस्टर की अन्य आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। अपनाए गए कलस्टरों की उत्पादक कंपनी और कार्यान्वयन एजेंसियां उत्पादक कंपनी/अपनाएं कलस्टर के सुचारू और कुशल संचालन के लिए कलस्टर एक्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री ऑपरेटरों को नियुक्त करने हेतु आवेदन कर कर सकती हैं और वित्तीय प्रबंधन परामर्शदता की सेवाएं लेने के लिए परियोजना कार्यान्वयन और प्रबंधन लागत का लाभ उठाने हेतु आवेदन कर सकती हैं।

कलस्टर कारीगरों को हैंडहोल्डींग सहयोग देने और कलस्टर गतिविधियों की निगरानी के लिए कलस्टर प्रबंधक, परियोजना सहायक/परामर्शदाता/लेखाकार/प्रशासनिक स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर [अनुबंध के आधार पर] को कलस्टर विकास में अनुभव की शर्तों और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन सहित, हितधारकों आदि को नियमित आधार पर फीडबैक के लिए स्नातक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अधीन नियुक्त किया जाएगा। कलस्टर प्रबंधक, परियोजना सहायक/परामर्शदाता/लेखाकार और डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जाना चाहिए और मात्रात्मक परिणामों के साथ पूरी तरह से उचित ठहराया जाना चाहिए।

1.	कलस्टर प्रबंधक	कलस्टर प्रबंधक की आवश्यता कलस्टर गतिविधियों की नियमित आधार पर निगरानी करने और हितधारकों को आवश्यक फीडबैक प्रदान करने के लिए है।
2.	परामर्शदाता/विशेषज्ञ	परार्शदाता की आवश्यकता परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सरकार से आवश्यक इंटरवेंशन्स प्राप्त करने के लिए डीपीआर आदि तैयार करने के लिए है।
3.	लेखाकार	परियोजना गतिविधियों से संबंधित लेखा तैयार करने और खातों/यूसी आदि अंतिम विवरण तैयार करने के लिए
4.	डेटा एंट्री ऑपरेटर	कलस्टर और परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न डेटा प्रलेखन/रिकार्ड करने के लिए
5.	स्टाफ को फील्ड दौरे के लिए यात्रा भत्ता	यात्रा भत्ता कलस्टर प्रबंधक/अन्य प्रतिनियुक्त परियोजना निगरानी स्टाफ को कलस्टर एवं हस्तशिल्प से केंद्र, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, सी ए कार्यालय आदि का दौरा करने में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
6.	विविध व्यय सहित प्रिंटिंग लेखन-सामग्री, कंप्यूटर उपभोज्य आदि	न्यनतम बुनियादी सुविधाओं के साथ एक उचित कार्य के उचित वातावरण में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन करने के लिए कार्यालय लागत प्रदान करना आवश्यक है।

<u>वित्तीय सहायता</u>

परियोजना कार्यान्वयन और प्रबंधन लागत के रूप में 5.00 लाख रुपए प्रति कलस्टर प्रति वर्ष आवश्यकता के अनुसार कलस्टर एक्जिक्यूटिव और अन्य को नियुक्त करने के लिए प्रदान किया जाएगा।

(8) कलस्टर कारीगरों, सहायक कल्याणकारी उपाय, निगरानी एवं अन्य पहलों के लिए सहायताः

i. सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित सभी हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान पत्र जारी करना।
ii. मौजूदा योजना के दिशानिर्देश के अनुसार कलस्टरों को बीमा योजना के तहत कवर करना।
iii. मौजूदा योजना के दिशानिर्देश के अनुसार कलस्टर कारीगरों को मनी मार्जिन एवं ब्याज सबवेंशन प्रदान करना।
iv. बैंक के माध्यम से कारीगरों को अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
v. कलस्टर संचालन की निगरानी सुनिश्चित करने और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक/ वीडियो फिल्म में दिखाई गई स्पष्ट जानकारी के आधार पर पाई गई त्रुटियों को क्रमबध्द तरीके से सुधारने के लिए पहल की जा सकती है।
vi. देश में विभिन्न हितधारकों के बीच संमिलन बनाने की दृष्टि से शिल्प पॉकेट को मानचित्र और हस्तशिल्प क्षेत्र में विभिन्न मुख्य प्लेयरस को एक मंच में लाकर तालमेल बैठाने की दृष्टि से हस्तशिल्प कार्यों एवं शिल्पकारों पर एक व्यापक डाटाबेस बनाने की आवश्यकता है।

(9) विदेशी बाजार के लिए डिजाइन सहायता

घटक का उद्देश्य विदेशी बाजारों की आवश्यताओं को पूरा करने के लिए अभिनव डिजाइन विकसित करना है। पेशेवर डिजाइनरों/डिजाइन संस्थानों को शामिल करके विशेष विदेशी बाजार के लिए नवीन डिजाइनों/उत्पादों की अवधारणा और विकास के लिए पात्र एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो कलस्टर कारीगरों के लिए बाजार में प्रवेश और उच्च आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की एक एक श्रृंखला के विकास में मदद करेंगे। ये गतिविधियाँ चिन्हित कलस्टरों में की जाएंगी।

पात्र एजेंसियां/वित्तीय सहायता

पात्र एजेंसियां	**फंडिंग पैटर्न**	**फंड रिलीज़ पैटर्न**
हस्तशिल्प निर्यातक/डिजाइनर/निर्यातक संघ/उद्यमी	परियोजना लागत का 75% व अधिकतम 15.00 लाख रुपए आधार पर	75% अग्रिम और शेष 25% प्रतिपूर्ति के रूप में
हस्तशिल्प के क्षेत्र में डिजाइन संस्थान और क्षेत्र विशिष्ट संस्थान जैसे निफ्ट, आईआईसीटी, निर्यात संवर्धन परिषद् आदि, केन्द्र एवं राज्य सरकार के निगम।	परियोजना लागत का 100% अधिकतम 15.00 लाख रुपए आधार पर	

अवधिः 3 माह और 30 प्रतिभागी प्रति कार्यक्रम

नोटः- पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और अण्डामन एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के मामले में- स्वीकार्य राशि का 90% विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा और 10% अंशदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

(10) अध्ययन सह एक्सपोजर दौरेः

कलस्टर कारीगरों को भारत और विदेश में फील्ड दौरे के माध्यम से प्रचलित सर्वोत्तम शिल्प कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन सह एक्सपोजर दौरे करने के लिए भी नामित किया जाएगा। इनसे कारीगर सर्वोत्तम शिल्पकार्यों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं को सीखने और उन्हें अपनाने में सक्षम होंगे और वे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लेते हुए स्वयं की उन्नति करेंगे।

अध्ययन सह एक्सपोजर दौरा कारीगरों को निम्नानुसार समर्थ बनाएगाः

- मौजूदा बाजार प्रथाओं का अध्ययन एवं समझना।
- वर्तमान बाजार प्रवृत्ति और उपभोक्ता व्यवहार को समझना।
- गुणवत्ता अनुपालन को देखते हुए उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।
- नवीनतम प्रौद्यगिकी को समझने एवं अपनाना जो उनके द्वारा उत्पादन बढ़ाने में उनकी सहायता करेगी।
- दौरा किए गए क्षेत्रों के उत्पाद का नमूना एकत्र करने में।

वित्तीय सहायता

मामले और योग्यता के आधार पर 5 लाख रूपए प्रति कलस्टर। कुल संस्वीकृत राशि पर पहली किश्त के रूप में 75 अग्रिम और दूसरी किश्त के रूप में 25 परियोजना के पूरा होने और वास्तविक व्यय अधीन निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट के साथ आवश्यक दस्तवेजों की प्राप्ति के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी किया जाएगा। वित्तीय सहायता में 5 व्यक्तियों तक के टीए/डीए, उनके भोजन/आवास, डेस्क शोध/भारत एवं विदेश में नमूने के संग्रह, उत्पाद-सूची की प्राप्ति, औजार एवं उकरण, प्रलेखन/रिपोर्ट लेखन आदि शामिल होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 5.00 लाख प्रति कार्यक्रम होगीं।

अवधि और कारीगरों की संख्याः यात्रा अवधि को छोड़कर 5 दिन और एक मेंटर सहित 5 कलस्टर कारीगर प्रति कार्यक्रम।

परिदेयः

- अन्य कलस्टरों/शिल्प पॉकेट की सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एक्सपोजर एवं उत्पादन, डिजाइन, विविधिकरण, कलाकृतियों का विपणन एवं व्यापार और व्यापार हाऊसेस के साथ नेटवॉर्किंग के लिए आवश्यकता के बारे ज्ञान में वृद्धि
- कलस्टर कारीगरों के साथ-साथ स्वैच्छिक संगठन सही बाजार और उपभोक्ता प्रवृत्ति एवं वर्तमान कमी आदि को समझने और उचित इनपुट के माध्यम से इसे कम करने में सहायता करेंगे।

- दौरे से कारीगरों व स्वैच्छिक संगठनों में उत्पादों को बेचने और देश के अन्य स्थानों में अपने समकक्ष व्यक्तियों की तरह आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु घरेलू और विदेशी बाजार का पता लगाने के लिए उत्साह बढ़ेगा।

नोटः- सभी इन्टरवेंशन्स जैसे विपणन, डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, इन्फ्रास्ट्रकचर, एसडीएचएस, कल्याण आदि को कलस्टर में और स्टैनआलोन दोनों तरीकों से कार्यान्वित किया जा सकता है।

<u>पहुंचः</u>

क. हस्तशिल्प कलस्टरों को पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को स्वीकृत इन्टरवेंशन्स के चरणों के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। लाभार्थी वे कलस्टर कारीगर होंगे जिनके पास पहचान पत्र है।

ख. चुने हुए शिल्प कलस्टरों में उत्पादक कंपनी का गठन किया जाएगा। उत्पादक कंपनियों को इन्टरवेंशन्स स्वीकृत किया जाएगा। लाभार्थी उत्पादक कंपनी के शेयरधारक होंगे।

(किसी भी कलस्टर में जहाँ उत्पादक कंपनी का गठन किया गया है, इन्टरवेंशन्स केवल उत्पादक कंपनी को ही स्वीकृत किए जाएंगे)

कार्यान्वयन कार्यप्रणालीः

हस्तशिल्प कलस्टरों की पहचान क्षेत्र कार्यालय/मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। चिन्हित कलस्टरों में एएचवीवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु पात्र एजेंसियों प्रस्ताव से खुले विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। समय-समय पर नियत किए गए सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों को कलस्टर विकास के लिए परियोजना प्रदान की जाएगी।

क. सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार करने का कार्य 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना अवधि के प्रथम वर्ष लिए डीपीआर इन्टरवेंशन्स के आधार पर कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।

ख. बाद के वर्ष के इन्टरवेंशन पर पिछले वर्षों में जारी निधि के पूर्ण उपयोग और कार्यान्वयन एजेंसी के सफल कार्यनिष्पादन होने पर ही विचार किया जाएगा।

ग. उत्पादक कंपनियों गठन एएचवीवाई योजना के तहत लिए गए शिल्प कलस्टरों में या अन्य किसी शिल्प संकेन्द्रण क्षेत्रों में किया जाएगा।

घ. उत्पादक कंपनी का गठन और डीपीआर तैयार करने का कार्य 6 महीने की अवधि के अंदर किया जाएगा।

ङ. डीपीआर के आधार पर, उत्पादक कंपनी को प्रथम वर्ष के लिए इन्टरवेंशन्स की स्वीकृति दी जाएगी।

च. दूसरे एवं तीसरे वर्ष के लिए उत्पादक कंपनी के इन्टरवेंशन पर केवल शेयरहोल्डिंग, टर्नओवर, मार्केट लिंकेज, ब्रांड बिल्डिंग, निर्यात आदि के मामले में कंपनी का सफल कार्यनिष्पादन होने पर ही पर विचार किया जाएगा।

छ. कार्यान्वयन एजेंसी या उत्पादक कंपनी के लिए कलस्टर में आवश्यकता आधारित इन्फ्रास्ट्रकचर परियोजना, के लिए परियोजना के द्वितीय वर्ष से विचार किया जा सकता है।

ज. डीएसआर/डीपीआर की जांच क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में वरिष्ठ सहायक निदेशक/सहायक निदेशक की एक समिति द्वारा की जाएगी। समिति की रिपोर्ट भविष्य की कार्रवाई के लिए मुख्यालय कार्यालय को भेजी जाएगी।

गतिविधियों की निगरानीः

- संबंधित सहायक निदेशक/फील्ड/क्षेत्र अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान बार बार कलस्टर का दौरा करेंगे एवं संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के माध्यम से मुख्यालय को निर्धारित प्रफोर्मा के अनुसार मासिक अपडेट भेजेंगे।
- क्षेत्रीय निदेशक/मुख्यालय स्तर अधिकारियों द्वारा स्वीकृत इन्टरवेंशन्स की प्रगति का आकलन करने के लिए भी आवधिक समीक्षा की जाएगी, और यदि आवश्यक होगा तो उचित सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया जाएगा।

भुगतान की पद्धति (उन इन्टरवेंशन्स को छोड़कर जहाँ भुगतान की पद्धति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है):

1. निधियाँ 2 किश्तों में निर्मुक्त की जाएंगी
2. संस्वीकृत धनराशि का 75% पहली किश्त के रूप में रिलीज़ किया जाएगा एवं शेष राशि एएचवीवाई योजना के तहत दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय के अपेक्षित लेखापरीक्षित विवरण, जीएफआर-12ए प्रारूप में यूसी, कार्यनिष्पादन सह परिणाम रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेज आदि प्राप्त होने के बाद रिलीज़ की जाएगी।
3. विभागीय गतिविधि के मामले में, 100% भुगतान अग्रिम के रूप में आहरित किया जाएगा।
4. परियोजना की आवश्यकता के अनुसार पीएएमसी द्वारा इंटरवेशन्स की वित्तीय सीमा वृद्धि एवं निधि रिलीज पैटर्न में बदलाव पर विचार किया जा सकता है।
5. कलस्टर परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसियां (एएचवीवाई कार्यान्वयन एजेंसी/उत्पादक कंपनी/अपनाए एवं निर्यात उन्मुख कलस्टर की कार्यान्वयन एजेंसी) कलस्टर गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए 3% प्रशासनिक लागत के लिए पात्र होंगी। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से कलस्टर की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होन पर स्वीकृत अनुदान पर उपयोग प्रमाणपत्र का निपटान होने के बाद परियोजना लागत प्रति वर्ष जारी की जाएगी।

नोटः दत्तक एवं उत्पादक कंपनी कलस्टरों के नजदीक विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा प्रायोजित संरचनात्मक सेट-अप में कलस्टर कारीगरों की आवश्यकता के आधार पर अधिकांश इंटरवेंशनों को कार्यान्वित किया जाएगा।

कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ

(IV) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ

I. दरिद्र परिस्थतियों में कारीगरों को सहायता

यह योजना कारीगरों को उनके बुढ़ापे के दौरान सहयोग के लिए प्रस्तावित है। यह योजना भारत में हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

पात्रता

- सिद्धहस्तशिल्पी जिन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार या श्रेष्ठता प्रमाण पत्र या राज्य पुरस्कार प्राप्त हैं एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में असाधारण शिल्प कौशल के कारीगर वित्तीय सहायता के लिए विचार करने के पात्र होंगे।
- पिछले वित्तीय वर्ष में कारीगर की वार्षिक आय 1,00,00/- रुपए (एक लाख रुपए केवल) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य स्रोत से इसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, सिद्धहस्तशिल्पी को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक आय प्रमाण पत्र और निर्धारित प्रारूप में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित हलफनामा प्रस्तुत करना होता है। सिद्धहस्तशिल्पी की मृत्यु के बाद, वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी।
- आवेदन की तिथि को कारीगर की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग कारीगर के मामले में आयु में छूट दी जा सकती है।
- कारीगर की दिव्यांगता के मामले में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आयु में छूट दी जाएगी।

सहायता की प्रकृति

सरकार से सहायता मासिक भत्ते के रूप में या एकमुश्त अनुदान के रूप में या दोनों प्रकार से हो सकती है। तथापि किसी भी मामले में सहायता प्रतिमाह 5,000/- रुपए (पाँच हजार रुपए केवल) से अधिक नहीं होगी।

निधि संवितरण

वित्तीय सहायता पीएफएमएस/डीबीटी के माध्यम से ही विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के संबंधित क्षेत्र संगठन के प्रभारी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वार्षिक आधार पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में निधि रखी जाती हैं एवं पात्र आवेदकों को मासिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

चुनाव मापदण्ड

विज्ञापन के माध्यम से व्यापक प्रचार करके पात्र सिद्धहस्तशिल्पी से हर वर्ष आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। क्षेत्रीय निदेशक की सिफारिश पर, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की अध्यक्षता में मुख्य समिति वित्तीय सहायता के लिए सिद्धहस्तशिल्पी के चयन को अंतिम रूप देगी। नए आवेदक के चयन की तिथि से वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा।

दरिद्र परिस्थितियों में जीवित सिद्धहस्तशिल्पियों को वित्तीय सहायता आय प्रमाणपत्र तथा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करने पर वर्ष दर वर्ष बढ़ाई जाएगी।

अत:, वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला प्रत्येक सिद्धहस्तशिल्पी अप्रैल माह में संबंधित हस्तशिल्प सेवा केंद्र को दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा जिसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करते हुए सिफ़ारिश हेतु मुख्यालय कार्यालय भेजा जाएगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र सिद्धहस्तशिल्पी की सिफ़ारिश की प्राप्ति पर, वित्तीय सहायता जारी रखने पर मुख्यालय स्तर पर विचार किया जाएगा।

(ii) ब्याज सबवेंशन

घटक को 12वीं योजना के दौरान प्रस्तुत किया गया है। यह योजना अनुसूचित बैंकों से ब्याज सबवेंशन पेश करते हुए हस्तशिल्प कारीगरों के लिए क्रेडिट एक्सेस की सुविधा प्रदान कर रही है। अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से मुद्रा (MUDRA) ऋण प्राप्त करने वाले कारीगरों के लिए वास्तविक आधार पर 6% ब्याज सबवेंशन उपलब्ध होंगे। 1,00,000/- रुपए का अधिकतम लाभ 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार्य है। ऋण देने वाले बैंकों को नोडल बैंक के पोर्टल पर दावा दर्ज करने पर सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पात्रता:
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के साथ पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगर जिनके पास वैध पहचान पत्र है और ऐसी अन्य शर्तें पूरी करते हैं उपयुक्त समझी जाती है। मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए कारीगरों द्वारा विधिवत व पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र ऋण की सिफारिश हेतु निकटतम हस्तशिल्प सेवा केंद्र या सीधे बैंक को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(iii) मार्जिन मुद्रा

यह घटक वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान शुरु किया गया था। यह घटक मुद्रा ऋण की मंजूरी की योजना के विस्तार से जुड़ा हुआ है। मुद्रा ऋण प्राप्त करने वाले कारीगरों को कारीगरों की रियायती ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मार्जिन मुद्रा प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। मुद्रा ऋण के तहत स्वीकृत राशि का 20% सब्सिडी हस्तशिल्प कारीगरों को उनके ऋण खाते में एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी जो 20,000/- रुपए से अधिक नहीं होगी। सीमांत मुद्रा नोडल बैंक द्वारा उनके खाते में अंतरित की जाएगी।

पात्रता
पहचान के तहत वैध पहचान पत्र रखने वाले सभी हस्तशिल्प कारीगर अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत मुद्रा ऋण के लिए मार्जिन मुद्रा का लाभ उठाने के पात्र होंगे। उधार देने वाले बैंक राशि के संवितरण के लिए सीमांत मुद्रा का दावा एवं नोडल बैंक के पोर्टल पर कारीगर के ऋण खाते में जमा करने का दावा करेगा।

(iv) फोटो पहचान कार्ड जारी करना/नवीकरण एवं डाटा-बेस का निर्माण

चिन्हित कारीगरों को फोटो पहचान पत्र दिया जाता है। इस कार्यालय द्वारा इस कार्य को करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना वाली एजेंसियों की पहचान की जाती है। साथ ही आधार से जुड़े कारीगरों का डेटा-बेस विकसित किया जा रहा है ताकि लक्ष्य व निगरानी को बेहतर किया जा सके।

इसका उद्देश्य यह है कि हस्तशिल्प कारीगर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

वित्तीय सहायता

- इस कार्यालय द्वारा डेटा-बेस आदि के निर्माण सहित इस कार्य के लिए अधिकतम 50/- रुपए प्रति कार्ड सहायता प्रदान की जाएगी।
- शिल्पकार द्वारा पहचान पत्र खोने की स्थिति में, उन्हें निर्धारित आवेदन प्रारुप में संबंधित हस्तशिल्प सेवा केन्द्र में पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए 50.00/- रुपए प्रति कार्ड का जुर्माना जमा करके आवेदन करना होगा। एक बार भुगतान किया जुर्माना वापस नहीं किया जाएगा, भले ही कार्ड पुनः प्राप्त हो जाए।

(v) हस्तशिल्प कारीगरों को बीमा योजना

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एवं अभिसरित संशोधित आम आदमी बीमा योजना (सीएएबीवाई)

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अभिसरित आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना है। कारीगर समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन इन योजनाओं का लाभ पाने के पात्र होंगे।

क. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

पात्रताः-

18-50 आयु वर्ग के सभी हस्तशिल्प कारीगर जिनके पास वैध कारीगर कार्ड है। कारीगर को प्रत्येक वर्ष अपना शेयर जमा करके इस योजना के तहत नामांकन करना है।

प्रीमियम पैटर्नः-

भारत सरकार विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का हिस्सा	150/- रुपए
भारत सरकार का सामाजिक सुरक्षा फंड	100/- रुपए
कारीगरों/कर्मियों का हिस्सा	80/- रुपए
कुल प्रीमियम	**330/- रुपए**

लाभः-

पॉलिसी अवधि के दौरान किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए देय है। पॉलिसी की अवधि एक वर्ष की होगी एवं नवीकरणीय होगी।

प्रीमियम पैटर्न-

ख. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

पात्रताः-

18-50 आयु वर्ग के सभी हस्तशिल्प कारीगर जिनके पास वैध कारीगर कार्ड है। कारीगर को प्रत्येक वर्ष अपना शेयर जमा करके इस योजना के तहत नामांकन करना है।

लाभः-

पॉलिसी अवधि के दौरान आकस्मिक मृत्यु एवं स्थायी पूर्ण निःशक्तता के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक निःशक्तता के लिए 1.00 लाख रुपए जोखिम कवरज उपलब्ध होगा। पॉलिसी की अवधि एक वर्ष की होगी एवं नवीकरणीय होगी।

प्रीमियम पैटर्नः-

12/- रुपए का वार्षिक प्रीमियम पूर्ण रूप से भारत सरकार के हिस्से से वहन किया जाएगा।

(v) **हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना**

प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अभिसरित संशोधित आम आदमी बीमा योजना (सीएएबीवाई)

प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अभिसरित संशोधित आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना है। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कारीगर समय समय पर विहित शर्तों के आधार पर पात्र होंगे।

क. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):

पात्रता:

18-50 वर्ष के आयु वर्ग में वैध 'कारीगर कार्ड' धारक सभी हस्तशिल्प कारीगर। कारीगर को योजना के तहत प्रतिवर्ष अपना हिस्सा जमा करके अपना नामांकन करना होगा।

लाभ:

पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी कारण से लाभार्थी की मृत्यु पर 2 लाख रुपये देय है। पॉलिसी की अवधि एक वर्ष होगी, जो नवीकरणीय होगी।

प्रीमियम पद्धति:

भारत सरकार विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का हिस्सा	150/- रुपए
भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा निधि	100/- रुपए
कारीगर / श्रमिक का हिस्सा	80/- रुपए
कुल प्रीमियम	**330/- रुपए**

ख॰ **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):**

पात्रता:

18-50 वर्ष के आयु वर्ग में वैध 'कारीगर कार्ड' धारक सभी हस्तशिल्प कारीगर। कारीगर को योजना के तहत प्रतिवर्ष अपना हिस्सा जमा करके अपना नामांकन करना होगा।

लाभ:

पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी कारण से लाभार्थी की आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए का और आंशिक विकलांगता पर 1.00 लाख रुपए का जोखिम कवरेज उपलब्ध है। पॉलिसी की अवधि एक वर्ष होगी, जो नवीकरणीय होगी।

प्रीमियम पद्धति:

12/- रुपये का वार्षिक प्रीमियम पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ग. अभिसरित संशोधित आम आदमी बीमा योजना (अभिसरित संशोधित एएबीवाई):

अभिसरित संशोधित आम आदमी बीमा योजना (एमएएबीवाई) एक बीमा योजना है जो जीवन बीमा कवर और 31-05-2017 को आम आदमी बीमा योजना के तहत पहले से ही नामांकित 51 -59 साल के आयु वर्ग में हस्तशिल्प कारीगरों के एक बंद समूह के लिऐ मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक बीमा कवर पेश करती है। सीएएबीवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या हर वर्ष कम हो जाएगी और 9 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी।

पात्रता:

आम आदमी बीमा योजना के तहत पहले से ही नामांकित 51-59 वर्ष के आयु वर्ग में वैध 'कारीगर कार्ड' धारक हस्तशिल्प कारीगर इस योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के पात्र होंगे। 51-59 वर्ष आयु वर्ग में कारीगरों का कोई नया नामांकन नहीं किया जाएगा। कारीगर को योजना के तहत प्रतिवर्ष अपना हिस्सा जमा करके नामांकित होना होगा।

लाभ:

प्राकृतिक मृत्यु	60,000/-रुपए
आंशिक विकलांगता	75,000/-रुपए
पूर्ण विकलांगता	1,50,000/-रुपए
आकस्मिक (एक्सीडेंटल) मृत्यु	1,50,000/-रुपए

प्रीमियम पद्धति:

भारत सरकार का हिस्सा	290/-रुपए
भारत सरकार का सामाजिक सुरक्षा फंड	100/-रुपए
कारीगर/श्रमिक का हिस्सा	80/-रुपए
कुल प्रीमियम	**470/-रुपए**

(vi) जागरूकता शिविर/चौपाल/शिविर

इस घटक का उद्देश्य कारीगरों को हस्तशिल्प क्षेत्र के बारे में संवेदनशील बनाना, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं सहित कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत विभिन्न पहलों (पहचान के तहत हस्तशिल्प कारीगरों का नामांकन, ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी, बीमा और दरिद्र परिस्थितियों में कारीगरों को वित्तीय सहायता, जेम पोर्टल पर कारीगरों का पंजीकरण आदि सहित) से परिचित कराना तथा जागरूकता फैलाना है। देश भर में इन गतिविधियों का आयोजन हस्तशिल्प सेवा केन्द्रों (एचएससी) के समन्वय से किया जाएगा।

वित्तीय मापदंड

ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 200 से 250 लाभार्थियों को लाभ पहुँचाते हुए प्रति कार्यक्रम वित्तीय सीमा अधिकतम 3.00 लाख रुपए होगी।

(vii) **कार्यशाला सह सेमिनार**

हस्तशिल्प क्षेत्र में आने वाली कठिनाइओं का निराकरण करने, क्षमता निर्माण और विपणन के महत्व, डिजाइन एवं प्रोद्यौगिकी उन्नयन, कौशल वर्धन, जीएसटी, जेम (GEM) पोर्टल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वर्चुअल मेलों में सहभागिता, जीआई पंजीकरण की प्रक्रिया, मुद्रा ऋण, कारीगर आईडी कार्ड, कैशलेस लेनदेन के साथ पीएफ़एमएस, कस्टम निकासी और ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ लेने सहित निर्यात औपचारिकताएँ आदि पर विचार विमर्श के दृष्टिकोण के साथ हस्तशिल्प क्षेत्र के साथ संबद्ध कलस्टर कारीगरों और उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न चरणों में कार्यशाला-सह-सेमिनार का आवधिक आयोजन करना।

ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम के लिए वित्तीय सीमा अधिकतम 15.00 लाख रुपए है जिससे कारीगरों/उद्यमियों/निर्यातकों और अन्य पणधारकों की एक बड़ी संख्या लाभान्वित होगी।

वित्तीय मानदंड

क्रमांक	व्यय शीर्ष	प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या	अधिकतम अनुमत सहायता (भारतीय रुपयों में)
1.	हॉल एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर	50-100	02.00
2.	स्रोत व्यक्तियों के लिए आवास और भोजन	100-150	05.00
3.	स्रोत व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 12000/- रुपए की दर से यात्रा भत्ता या एसी-I/इकोनोमी हवाई किराया, जो भी कम हो	150-200	08.00
4.	स्रोत व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 4000/- रुपए की दर से मानदेय	200-300	15.00
5.	प्रतिभागियों को प्रति कारीगर प्रति दिन 2000/- रुपए की दर से यात्रा अवधि सहित यात्रा भत्ता *		
6.	प्रतिभागियों को प्रति कारीगर प्रति दिन 300/- रुपए की दर से महंगाई भत्ता		
7.	प्रलेखीकरण एवं वीडियोग्राफी		
8.	वाहन किराए पर लेना		
9.	जलपान एवं चाय, लंच आदि		
10.	बैनर, बैक ड्रॉप, पेम्फलेट, बुकलेट, बायोमेट्रिक मशीन आदि सहित प्रचार		
11.	विविध		
	* पूर्वोत्तर के प्रतिभागियों के लिए 3000/- रुपए।		

विशेष मामलों में आईएफ़डबल्यू के अनुमोदन से सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

पात्रता:

1. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएँ।
2. एनएचडीपी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी अन्य एजेंसी के अमध्यम से भी गतिविधि कार्यान्वित की जा सकती है।

भुगतान की पद्धति:

1. विभागीय गतिविधि के मामले में, 100% भुगतान अग्रिम के रूप में आहरित किया जाएगा।
2. अन्य पात्र एजेंसी के मामले में, स्वीकृत राशि का 75% प्रथम किश्त के रूप में और शेष राशि दूसरी एवं अंतिम किश्त प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय के अपेक्षित लेखापरीक्षित विवरण, जीएफ़आर-12ए प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र, कार्यनिष्पादन एवं परिणाम रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों आदि की प्राप्ति के पश्चात रिलीज़ की जाएगी।

(viii) हस्तशिल्प पुरस्कार:

इस योजना के अंतर्गत, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, सिद्धहस्तशिल्पियों को हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास एवं प्रगति में उनके योगदान को पहचान देने के लिए, हस्तशिल्प क्षेत्र में उच्चतम, हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करता है। जीवन में एक बार प्रदान किए जाने वाले ये पुरस्कार, उन्हें शिल्पकारिता में श्रेष्ठता बनाए रखने और हमारी सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार यह योजना कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित करती है। पुरस्कार निम्नलिखित दो श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं:

1. शिल्प गुरु पुरस्कार: अधिकतम 10 पुरस्कार
2. राष्ट्रीय पुरस्कार (डिजाइन नवीनता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार सहित): अधिकतम 33 पुरस्कार

शिल्प गुरु पुरस्कार:

यह पुरस्कार सिद्धहस्तशिल्पी को हस्तशिल्प के संवर्धन हेतु शिल्पकार्य की एक असाधारण कृति बनाने तथा कारीगरों की अगली पीढ़ी को अपना कौशल प्रदान करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये भारत में हस्तशिल्प क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठा पुरस्कार है।

कोई सिद्धहस्तशिल्पी जो असाधारण ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता या राज्य पुरस्कार विजेता हो या हस्तशिल्प क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देनेवाला विशिष्ट कौशल धारक हो, इस पुरस्कार हेतु पात्र है। आवेदक का भारतीय नागरिक होने के साथ इस देश का निवासी होना अनिवार्य है, उनकी न्यूनतम आयु 50 वर्ष और शिल्प में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। प्रत्येक पुरस्कार में 2.00 लाख रूपए का नकद पुरस्कार, एक जड़ा हुआ स्वर्ण सिक्का, शॉल, प्रमाणपत्र और ताम्रपत्र शामिल होगा।

राष्ट्रीय पुरस्कार :

राष्ट्रीय पुरस्कार अधिकतम 33 शिल्पियों को हस्तशिल्प के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान और अपनी शिल्पकारिता को संवर्धित एवं प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है।

भारत में रहने वाला कोई शिल्पी जो भारत का नागरिक है, जिसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अपने शिल्प में 10 वर्षों का अनुभव हो, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। प्रत्येक पुरस्कार में 1.00 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, शॉल, प्रमाणपत्र और ताम्रपत्र शामिल होगा।

डिजाइन नवीनता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार:

डिजाइन नवीनता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार की उप-श्रेणी है जिसे सह-सृजन आधार पर डिजाइनरों एवं कारीगरों के समूह को प्रदान किया जाता है।

डिजाइनरों और पंजीकृत शिल्पियों (भारत के निवासी नागरिकों) का समूह जिनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, प्रविष्टि प्रस्तुत करने के पात्र है। डिजाइन नवीनता पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के लिए क्रमश: 05.00 लाख रुपए, 04.00 लाख रुपए और 03.00 लाख रुपए होगा जो संबंधित डिजाइनर और कारीगर के मध्य समान रूप से बांटा जाएगा।

कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश

आवेदन की विधि: सभी मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन इस अनुरोध के साथ प्रकाशित किए जाएंगे कि सहायक दस्तावेजों के साथ पुरस्कार प्रविष्टियाँ प्रस्तुत की जाए। तदनुसार, कारीगर/डिजाइनर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की वेबसाइट www.handicrafts.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया: चयन प्रक्रिया 3 स्तरीय समिति प्रणाली के माध्यम से होगी।

स्तर-1: क्षेत्रीय स्तर चयन समिति

स्तर-2: मुख्यालय स्तर चयन समिति

स्तर-3: केंद्रीय स्तर चयन समिति

इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रोद्यौगिकी सहायता

(V) इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा प्रौद्योगिकी विकास

(i) शहरी हाट

इस घटक का उद्देश्य बड़े शहरों/महानगरों में स्थायी विपणन अवसंरचना स्थापित करना है ताकि हस्तशिल्प कारीगर/हथकरघा बुनकरों को सीधे विपणन सुविधाएं प्राप्त हो सकें जिससे वे पूरे वर्ष एक बड़े लक्षित ग्राहक वर्ग को अपने उत्पादों की बिक्री करने में सक्षम हो सकें। हाट की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि देश के विभिन्न भागों के विशुद्ध भारतीय पकवान बेचने के लिए बड़ी संख्या में बारी-बारी से स्टॉल उपलब्ध होंगे। फूड एवं शिल्प बाजार, दिल्ली हाट, जो कि महत्वपूर्ण देसी एवं विदेशी खरीददारों / पर्यटकों के बीच पहले ही प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुका है, की तर्ज पर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए मनोरंजन एवं समय बिताने की अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे। शहरी हाट का निर्माण कम से कम 8,000 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाएगा जिसमें एक प्रदर्शनी गैलरी और फूड कोर्ट आदि होगा। कारीगरों को स्टॉल नाममात्र के किराए पर बारी-बारी से आबंटित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बुनकर भी इस योजना में भाग ले सकते है। कार्यान्वयन एजेंसियों को पर्यटन, संस्कृति, खानपान, प्रोसेसिंग उद्योग आदि के संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी के साथ एस पी वी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें हथकरघा एवं हस्तशिल्प में कार्य करने वालों के अतिरिक्त टूर ओपरेटरों, होटल ओपरेटरों को भी शामिल किया जाए ताकि व्यापक आधार तथा उक्त के प्रबंधन एवं दैनिक कार्यों हेतु लंबी अवधि के लिए सुविधाओं का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदेय वस्तुओं (डिलीवरेबल्स) की निर्धारित मात्रा दर्शाते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) और विकास आयुक्त (हथकरघा) का एक संयुक्त कार्यक्रम है।

पात्रता:

योजना केंद्र/राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगमों, भारतीय केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड (सीसीआईसी) और राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकाय आदि द्वारा संवर्धित अन्य पात्र सरकारी निगमों/एजेंसियों, पात्र स्थानीय सांविधिक निकाय, शीर्ष सहकारी समितियां और राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष समितियां (सोसाइटी अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत) और आईआईसीटी, एचएमसीएम, निफ्ट, एमएचएससी जैसे संगठनों और निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

विभाग द्वारा कोई भी घटक कार्यान्वित किया जा सकता है।

प्रदेय (डिलीवरेबल्स):

स्टॉल लगाना: 50-80 (10x8 वर्ग फीट)
शौचालय: महिलाओं एवं पुरुषों के लिए दो दो
शिल्पियों के लिए शयनगृह: न्यूनतम 100 लोगों के लिए प्रावधान
फूड कोर्ट
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पेवेलियन/मंच
भंडार कक्ष
बैठक/सम्मेलन कक्ष
उपहार शॉप

वित्तीय सहायता और निधिकरण पद्धति:

- शहरी हाट के लिए वित्तीय सीमा प्रति इकाई के लिए 800 लाख भारतीय रुपये है।
- अनुमत धनराशि का 40% विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय प्रत्येक द्वारा वहन किया जाएगा और 20% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- भूमि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मुहैया कराई जाएगी जो कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए जा रहे 20% के योगदान से अलग होगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के मामले में, अनुमत राशि का 45% विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय प्रत्येक द्वारा वहन किया जाएगा और 10% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- मौजूदा शहरी हाटों के सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी जिसकी अधिकतम वित्तीय सीमा 250 लाख रूपए है (100% सहायता विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा वहन की जाएगी)।

टिप्पण: लघु शहरी हाटों के लिए भी आवश्यकता और व्यवहार्यता के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता आनुपातिक तरीके से स्टॉलों की संख्या, भूमि क्षेत्र और अन्य प्रदेय वस्तुओं पर आधारित होगी।

(ii) **एम्पोरिया :**

इस घटक के तहत, एम्पोरिया की स्थापना के लिए सहायता मुहैया कराई जाएगी। ये कार्यान्वयन एजेंसी के अपने/किराए के भवन में वाणिज्यिक रुप से व्यवहार्य स्थानों पर स्थापित की जाएगी। इस घटक का मूल उद्देश्य आउटलेट और एम्पोरिया के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प कारीगरों को उनके क्षेत्र में विपणन मंच उपलब्ध कराना है।

पात्रता:

- केंद्र/राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगमें, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकाय आदि द्वारा संवर्धित अन्य पात्र सरकारी निगमें/एजेंसियां।
- पात्र गैर-सरकारी संगठन, पंजीकृत स्वावलंबन समूह, स्थानीय सांविधिक निकाय, निर्यातक निकाय/संघ, शीर्ष सहकारी समितियां और राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष समितियां (सोसाइटी अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत) और आईआईसीटी, एचएमसीएम, निफ्ट, एमएचएससी जैसे संगठन और निर्यात संवर्धन परिषदें।
- कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक कंपनियाँ जो हस्तशिल्प और हथकरघा के संवर्धन एवं विकास में कार्यरत है।
- साथ ही, विभाग द्वारा कोई भी घटक कार्यान्वित किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता और निधिकरण पद्धति

- एम्पोरिया के लिए वित्तीय सीमा निम्नलिखित सारणीनुसार होगी -

संघटक	प्रति इकाई लागत (भारतीय लाख रुपये में)
नया एम्पोरिया (किराए/स्वयं की बिल्डिंग)	60
सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार	15

- उक्त सारणी में निर्दिष्ट सीमा के आधार पर अनुमत धनराशि का 80% विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा और 20% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के मामले में, अनुमत राशि का 90% विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा और 10% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- मौजूदा एम्पोरिया के सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार के लिए 100% सहायता विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन की जाएगी।
- किराए का खर्च क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) विपणन एवं सोर्सिंग हब्स -

''वन स्टॉप शॉपिंग'' की संकल्पना के साथ वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य शहरों/महानगरों आदि में हस्तशिल्पों के लिए विपणन परिसर (हब्स) स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे हस्तशिल्प उत्पादों की पूरी रेंज को प्रदर्शित करते हुए थोक विक्रेताओं /खुदरा व्यापारियों/उपभोक्ताओं और विदेशी खरीददारों को एक विपणन मंच उपलब्ध कराया जा सकेगा जिससे कि वे सम्भावी लक्षित ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय प्रस्तावित विपणन हब के लिए निर्माण एवं आंतरिक कार्य के खर्च में सहायता मुहैया कराएगा।

पात्रता:

- केंद्र/राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगमें, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकाय आदि द्वारा संवर्धित अन्य पात्र सरकारी निगमें/एजेंसियां।
- पात्र गैर-सरकारी संगठन, पंजीकृत स्वावलंबन समूह, स्थानीय सांविधिक निकाय, निर्यातक निकाय/संघ, शीर्ष सहकारी समितियां और राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष समितियां (सोसाइटी अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत) और आईआईसीटी, एचएमसीएम, निफ्ट, एमएचएससी जैसे संगठन और निर्यात संवर्धन परिषदें।
- कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक कंपनियाँ जो हस्तशिल्प और हथकरघा के संवर्धन एवं विकास में कार्यरत है।
- साथ ही, विभाग द्वारा कोई भी घटक कार्यान्वित किया जा सकता है।

<u>वित्तीय सहायता और निधिकरण पद्धति</u>

- विपणन हब सुविधा की स्थापना के लिए वित्तीय सीमा 1000 लाख भारतीय रुपए है।
- अनुमत धनराशि का 75% विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा और 25% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन किया जाएगा।
- भूमि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मुहैया कराई जाएगी जो कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए जा रहे 25% के योगदान से अलग होगा।

(iv) हस्तशिल्प संग्रहालय

हस्तशिल्प संग्रहालय घटक का उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना है जिसके माध्यम से भारत की विरासत पारंपरिक कलाओं एवं शिल्पों को कलाकारों, विद्वानों, डिज़ाइनरों और शिल्प प्रेमियों के बीच लोकप्रिय बनाया जा सके। संग्रहालय का प्रमुख उद्देश्य शिल्पकारिता में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने वाली वस्तुओं तथा डिज़ाइन अथवा उसके कार्यात्मक पहलुओं में वैचारिक नवीकरणों को एकत्र व संरक्षित करना है। कार्यान्वयन एजेंसी शिल्प/उत्पाद की वैचारिक और ऐतिहासिक जानकारी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उक्त को लोकप्रिय भी बनाएंगी।

पात्रता:

- केंद्र/राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगमें, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकाय आदि द्वारा संवर्धित अन्य पात्र सरकारी निगमें/एजेंसियां।
- पात्र गैर-सरकारी संगठन, पंजीकृत स्वावलंबन समूह, स्थानीय सांविधिक निकाय, निर्यातक निकाय/संघ, शीर्ष सहकारी समितियां और राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष समितियां (सोसाइटी अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत) और आईआईसीटी, एमएचएससी, एचएमसीएम, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली, निफ्ट जैसे संगठन और निर्यात संवर्धन परिषदें।
- कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक कंपनियाँ जो हस्तशिल्प और हथकरघा के संवर्धन एवं विकास में कार्यरत है।
- साथ ही, विभाग द्वारा कोई भी घटक कार्यान्वित किया जा सकता है।

प्रदेय (डिलीवरेबल्स):

- कवर किया जाने वाला मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र न्यूनतम 1000 वर्ग फीट का होना चाहिए।
- शिल्पों को विस्तृत जानकारी के साथ उचित रूप से आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करना आवश्यक है।
- उत्पादों को सामान्य क्षेत्र में डिजिटली रूप में भी प्रदर्शित किया जाए।
- मुद्रित सामग्री के रूप में सूचना प्रदान करने के लिए एक स्मारिका/सौवेनीर काउंटर भी स्थापित किया जाए।
- संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए अद्वितीय और प्राचीन शिल्प नमूनों को इकट्ठा किया जाए।

वित्तीय सहायता और निधिकरण पद्धति

- वास्तविक विषय पर वित्त पोषण प्रत्येक संग्रहालय के लिए अधिकतम 150 लाख भारतीय रुपए होगा।
- यह धनराशि नए संग्रहालय की स्थापना और अपेक्षित मूल्यांकन के अनुसार मौजूदा संग्रहालय के उन्नयन के लिए भी होगी।
- केन्द्रीय/राज्य निगमों और संस्थानों के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता 100% होगी।
- प्रतिष्ठित डिज़ाइन संस्थानों, कारीगर संघों और हस्तशिल्प उद्यमियों के एसपीवी के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता 75% होगी और शेष 25% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के मामले में, अनुमत राशि का 90% विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा और 10% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

(v) शिल्प आधारित संसाधन केन्द्र

इस केन्द्र का उद्देश्य चिन्हित शिल्प में सिंगल विंडो समाधान मुहैया कराने के लिए निम्न पहलूओं में व्यापक हैंडहॉल्डिंग के लिए एक संस्थागत कार्यप्रणाली तैयार करना है:

- हस्तशिल्प क्षेत्र में समग्र विकास को प्राप्त करना और प्रशिक्षण की सहायता से लुप्तप्राय शिल्पों का जीर्णोद्धार और हस्तशिल्प की सतत प्रगति के लिए पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कारीगरों को अधिकतम रोजगार अवसर प्रदान करना।
- यह परियोजना कच्चे माल की उपलब्धता, आवश्यक प्रोद्यौगिकी, कुशल मानव संसाधन और कलस्टर के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी जहां से इन नवोन्मेष उत्पादों को उत्पादित किया जा सकता है।
- कारीगरों एवं उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रौद्योगिकीय सहायता।
- विपणन आसूचना।
- उद्यम विकास।
- माइक्रो फाइनेंस क्रियाकलाप।
- रिपोर्टिंग /मॉनिटरिंग मूल्यांकन/अनुभव सांझा करना।

- उत्पाद जानकारी।
- कच्चे माल की जानकारी।
- कलस्टर/उत्पादक की जानकारी।
- प्रोद्यौगिकी सहित विभिन्न आयामों में प्रत्यक्ष के साथ-साथ वर्चुअल रूप से ज्ञान का प्रसार।
- प्रचार एवं ब्रांड संवर्धन/सोशल मीडिया अभियान।
- कारीगरों के प्रलेखीकरण एवं डाटाबेस को डिजिटल करना।

पात्रता:

- केंद्र/राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगमें, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकाय आदि द्वारा संवर्धित अन्य पात्र सरकारी निगमें/एजेंसियां।
- पात्र गैर-सरकारी संगठन, पंजीकृत स्वावलंबन समूह, स्थानीय सांविधिक निकाय, शीर्ष सहकारी समितियां और राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष समितियां (सोसाइटी अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत) और आईआईसीटी, एमएचएससी, एचएमसीएम, निफ्ट जैसे संगठन और निर्यात संवर्धन परिषदें।
- कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक कंपनियाँ जो हस्तशिल्प और हथकरघा के संवर्धन एवं विकास में कार्यरत है।
- साथ ही, विभाग द्वारा कोई भी घटक कार्यान्वित किया जा सकता है।

<u>वित्तीय सहायता और निधिकरण पद्धति</u>

- प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिए स्वीकृत की जाने वाली कुल धनराशि की सीमा 200 लाख भारतीय रुपए है।
- उपर्युक्त सीमा के अधीन 80% सहायता विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा और 20% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के मामले में, अनुमत राशि का 90% विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा और 10% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

.

(vi) सामान्य सुविधा केन्द्र

सामान्य सुविधा केन्द्र का उद्देश्य पैमाने की अर्थव्यवस्था, मूल्य प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता नियंत्रण, सतत आधार पर डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी इन्पुट्स का अनुप्रयोग, उत्पाद विविधिकरण और अधिक इकाई मूल्य प्राप्ति का स्कोप और विश्व व्यापार संगठन के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। ऐसे सामान्य सुविधा केन्द्र से उत्पादन की लागत में कमी की जा सकती है, अधिक कीमत वाले उत्पादों की बहुविध किस्मों का उत्पादन, सैंपल विकास, ऑर्डर पूरा करने के समय को कम करने और अंतिम उत्पादों की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

पात्रता:

- केंद्र/राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगमें, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकाय आदि द्वारा संवर्धित अन्य पात्र सरकारी निगमें/एजेंसियां।
- पात्र गैर-सरकारी संगठन, पंजीकृत स्वावलंबन समूह, स्थानीय सांविधिक निकाय, शीर्ष सहकारी समितियां और राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष समितियां (सोसाइटी अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत) और आईआईसीटी, एमएचएससी, एचएमसीएम, निफ्ट जैसे संगठन और निर्यात संवर्धन परिषदें।
- कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक कंपनियाँ जो हस्तशिल्प और हथकरघा के संवर्धन एवं विकास में कार्यरत है।

- साथ ही, विभाग द्वारा कोई भी घटक कार्यान्वित किया जा सकता है।

प्रदेय (डिलीवरेबल्स):

सामान्य सुविधा केंद्र में प्रशिक्षण का स्थान, बिक्री काउंटर, रंगाई इकाई (यदि आवश्यक हो), भंडार कक्ष, कंप्यूटर लगाने, पैकेजिंग, मशीनरी के लिए विद्युतीकरण हेतु उचित प्रावधान और नागरिक सुविधाओं सहित उत्पादन और परीक्षण से संबंधित मशीनरी, औज़ार और उपकरण के लिए पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है।

निधिकरण पद्धति

- सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए वित्तीय सीमा 300 लाख भारतीय रुपए है।
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वित्तीय सहायता उपरोक्त सीमा के अधीन 80% होगी। अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत सामान्य सुविधा केन्द्र के मामले में, वित्तीय सहायता 100% होगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के मामले में, अनुमत राशि का 90% विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा और 10% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- मौजूदा सामान्य सुविधा केन्द्र के सुधार/सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहायता उपलब्ध होगी जो भारत सरकार के 100% शेयर के रूप में अधिकतम 200 लाख रुपए है।

क्रमांक	**व्यय मद**	**अनुमत धनराशि (लाख भारतीय रुपये में)**
1)	क) स्वयं की बिल्डिंग (आंतरिक कार्य/निर्माण) ख) किराए की बिल्डिंग (क्रियान्वयन एजेंसी के पास सामान्य सुविधा केंद्र चलाने के लिए कम से कम 15 वर्षों का करार होना आवश्यक है) (आंतरिक कार्य/निर्माण)	50.00
2)	संस्थापन, पैकेजिंग आदि को शामिल करते हुए उत्पादन एवं परीक्षण से सम्बन्धित औज़ार, मशीनरी एवं उपस्कर ।	225.00
3)	स्थायी परिसम्पतियां	4.50
4)	मशीन ऑपरेटरों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित व्यय	5.00
5)	आकस्मिकता	3.00
6)	परिनिर्माण एवं चालू करना	12.50
	कुल	**300.00**

- किराए का भुगतान क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

टिप्पण: स्टेंडअलोन तरीके से एनएचडीपी दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य सुविधा केंद्र को चालू व पुनर्जीवित किए जाने के उद्देश्य से सामान्य सुविधा केंद्र में सॉफ्ट इंटरवेन्शन को कार्यान्वित किया जा सकता है।

(vii) कच्चा माल डिपो

इस संघटक का उद्देश्य कारीगरों/उद्यमी को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाला, प्रमाणित एवं अच्छे दर्जे का कच्चा माल सरलता से उपलब्ध कराना है।

पात्रता:

- केंद्र/राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगमें, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकायों आदि द्वारा संवर्धित अन्य पात्र सरकारी निगमें/एजेंसियां।
- पात्र गैर-सरकारी संगठन, पंजीकृत स्वावलंबन समूह, स्थानीय सांविधिक निकाय, निर्यातक निकाय/संस्था, शीर्ष सहकारी समितियां और राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष समितियां (सोसाइटी अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत) और आईआईसीटी, एमएचएससी, एचएमसीएम, निफ्ट जैसे संगठन और निर्यात संवर्धन परिषदें।
- कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक कंपनियाँ जो हस्तशिल्प और हथकरघा के संवर्धन एवं विकास में कार्यरत है।
- साथ ही, विभाग द्वारा कोई भी घटक कार्यान्वित किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता और निधिकरण पद्धति

- कच्चे माल डिपो के लिए वित्तीय सीमा 200 लाख भारतीय रुपये है और इसमें से 50 लाख भारतीय रुपये गोदाम की स्थापना के लिए निर्धारित होंगे।
- राज्य / केन्द्रीय निगमों और अन्य सरकारी निकायों के संबंध में निधीयन भारत सरकार द्वारा 100% होगा और अन्य मामलों में निधीयन भारत सरकार द्वारा 80% और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा 20% की तर्ज पर होगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के मामले में, अनुमत राशि का 90% विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा और 10% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा सहायता पात्र निकाय को पूँजी रोटेशन के लिए भिन्न-भिन्न समय पर (स्टेगर्ड ढंग से) मुहैया कराई जाएगी।
- कच्चा माल डिपो के कार्यकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए अनुदानग्राही (ग्रांटी) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तदनुसार भौतिक एवं वित्तीय मानदण्डों के संबंध में प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक लक्ष्यों को निर्धारित किया जाएगा और लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में सरकार द्वारा रिलीज़ अनुदानों की सीमा तक कच्चा माल कब्जे में ले लिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए, कच्चे माल को ध्यान में रखते हुए कच्चे माल के संग्रह/स्टॉक की वर्षवार मात्रात्मक वृद्धि निर्धारित की जाएगी जो कच्चे माल डिपो की कार्यक्षमता को दिखाएगा।

(viii) निर्यातकों/उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्यातकों/उद्यमियों को प्रौद्योगिकीय उन्नयन सुविधा उपलब्ध कराना है। सुविधा केन्द्र का इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्पाद, उत्पादकता, गुणवत्ता आदि में सहायक पैकेजिंग मशीनरी सहित आधुनिक मशीनरी से युक्त होना चाहिए।

पात्रता:

मान्यता प्राप्त निर्यातक एवं उद्यमी/निर्यातक संघ, उत्पादक कंपनियाँ आदि।

वित्तीय सहायता एवं निधिकरण पद्धति

- प्रत्येक सुविधा केन्द्र के लिए स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम धनराशि 150 लाख भारतीय रुपए हैं।
- वित्तीय सहायता 60:40 शेयरिंग के आधार पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार और निर्यातक एवं उद्यमी/निर्यातक संघों, उत्पादक कंपनियों आदि के मध्य होगी।
- निधियों के रिलीज़ से पूर्व निर्यातकों और उद्यमियों/ निर्यातक संघों और भारत सरकार (जीओआई) के बीच समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ix) परीक्षण प्रयोगशालाएं

परीक्षण प्रयोगशालाओं को पर्याप्त स्थान में मशीनरी और उपकरणों, सपोर्ट फिक्सचर और फर्नीचर, कच्चा माल प्रोसेसिंग अनुभाग, निरीक्षण अनुभाग, पैकेजिंग एवं वेयर हाउसिंग अनुभाग, ज्ञान सांझा करने और भविष्य के सन्दर्भ आदि के लिए मास्टर कक्ष सहित प्रबंध अनुभाग के प्रावधान के साथ बनाया जाएगा।

कच्चा माल/उत्पादों को मानकीकृत/प्रमाणित करने के उद्देश्य से, प्रस्ताव है कि-

- नयी प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए,
- मौजूदा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाए,

इसका उद्देश्य हस्तशिल्प के लिए पूर्ण परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करना है।

पात्रता

- आईआईसीटी, एमएचएससी, निफ्ट, एनआईडी, केंद्र/राज्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय, निर्यातक निकाय, ईपीसीएच, सीईपीसी, राज्य निकाय आदि।
- सीएसआईआर तथा वस्त्र समिति।

वित्तीय सहायता और निधिकरण पद्धति

- प्रत्येक परीक्षण प्रयोगशाला के लिए सहायता अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता दी जाएगी जिसकी सीमा 100 लाख भारतीय रुपये होगी।
- यह अनुदान पात्र संस्था/संगठन को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के माध्यम से 100% के रुप में दिया जाएगा।

(x) शिल्प ग्राम

शिल्प ग्राम एक आधुनिक अवधारणा है जहां एक ही स्थान पर शिल्प संवर्धन और पर्यटन को लिया जा रहा है। कारीगर एक ही स्थान पर रहते और कार्य करते हैं और उसी स्थान पर उन्हें अपने उत्पाद बेचने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं जिससे उनकी जीविका सुनिश्चित होती है। यहां शिल्प मदों के प्रदर्शन के साथ बिक्री भी की जाती है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय मौजूदा ग्रामों में जहां बड़ी संख्या में एक जैसे शिल्प कार्य में लगे शिल्पीगण रहते हैं के बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु तथा नये ग्रामों की स्थापना जहां शिल्पियों को पुनवार्सित किया जा सकता है दोनों स्थितियों में सहायता मुहैया करायेगा। यहां उद्देश्य ऐसे ग्रामों का चयन करना है जिन्हें कुछ पयर्टन क्षेत्रों के साथ जोड़ा जा सकता है जिससे कि उनके उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की जा सके। इस संघटक के तहत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार/सृजन के लिए निधि प्रदान करेगा जिसमें सड़कें, **कारीगरों के घर व उनके वर्कशेड क्षेत्र,** सीवरेज, पानी, स्ट्रीट लाइट, फुटपाथ आवास-सह-वर्कशेड, दुकानें एवं प्रदर्शन क्षेत्र शामिल है। यह कार्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा तथा शिल्पियों को नए वर्कशेड और प्रदर्शित क्षेत्रों के साथ पुनवार्सित किया जाएगा। प्रदर्शित क्षेत्र स्टॉल के रुप में होंगे जहां कारीगर अपने उत्पाद बेच सकेंगे। प्रत्येक परियोजना की स्वीकृति सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा दी जाएगी।

<u>पात्रता</u>

- केंद्र/राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकाय आदि द्वारा संवर्धित अन्य पात्र सरकारी निगम/एजेंसियां।
- पात्र स्थानीय सांविधिक निकाय, आईआईसीटी, एमएचएससी, एचएमसीएम, निफ्ट और निर्यात संवर्धन परिषद जैसे संगठनों तथा बैंक द्वारा संवर्धित एसपीवी।
- विभाग द्वारा कोई भी घटक कार्यान्वित किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता और निधिकरण पद्धति:

- प्रति इकाई संस्वीकृत कुल धनराशि के लिए वित्तीय सीमा 1000 लाख भारतीय रुपए है।
- निधियन पद्धति भारत सरकार द्वारा 80% और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा 20% होगी और सरकारी एजेंसियों के मामले में 100% भारत सरकार द्वारा होगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के मामले में, अनुमत राशि का 90% विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा और 10% का योगदान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- भूमि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मुहैया कराई जाएगी और यह निधियन पद्धति में समाहित 20% के योगदान के अतिरिक्त होगा।

(xi) कार्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर/संस्थान का निर्माण एवं मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर/संस्थान का नवीकरण/पुनर्निर्माण करना और विभागीय स्तर पर निर्मित किया जाने वाला कोई अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर।

इसे विभागीय क्रियाकलाप के रूप में लिया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए आवश्यकता आधारित परियोजनाएं निरूपित की जाएगी अर्थात मौजूदा संस्थानों और/अथवा फील्ड/क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्निर्माण अथवा नवीकरण किया जाएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के संबंध में परियोजना मूल्यांकन, अनुमोदन एवं मॉनिटरिंग-

i. प्रत्येक परियोजना सक्षम प्राधिकारी (100 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिए सचिव (वस्त्र) एवं माननीय वस्त्र मंत्री) द्वारा डी पी आर के आधार पर अनुमोदित की जाएंगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए धनराशि, फंडिंग पद्धति, फंडिंग के संघटक आदि के संबंध में प्रत्येक मामले में अलग आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
ii. 10.00 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए, सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमेटी (पी ए एम सी) होगी। पीएएमसी में आईएफडब्ल्यू तथा संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे।
iii. 10.00 करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं के लिए, पीएएमसी की अध्यक्षता विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) करेंगे। इस पीएएमसी में आईएफडब्ल्यू के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
iv. योजना के विभिन्न घटकों के सामने उल्लिखित पात्र एजेंसियों के अलावा, यदि योजना के तहत किसी अन्य इंटरवेनशन के लिए पीएएमसी को लगे कि कोई अन्य एजेंसी पात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में उपयुक्त है तो पीएएमसी उसे शामिल करने पर विचार कर सकती है।
v. समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन करवाया जाएं व उसके निष्कर्षों को पीएएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
vi. भारत सरकार की निधि भूमि की खरीददारी में प्रयोग नहीं की जाएगी।

गतिविधियों की मॉनिटरिंग

i) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान फील्ड कार्यालय के संबंधित सहायक निदेशक (ह)/कार्मिक कलस्टर का नियमित दौरा करेंगे और संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के माध्यम से मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में मासिक अपडेट भेजेंगे।
ii) क्षेत्रीय निदेशक/मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत इंटरवेंशन की प्रगति की आवधिक समीक्षा भी की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त सुधारात्मक उपाय भी सुझाए जाएंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन नीति

- इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता के तहत घटकों के अधीन प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए, डीपीआर बनाया जाए। आवर्ती खर्च कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, मूल्यांकन के समय, पीएएमसी योग्य मामलों में अधिकतम दो वर्षों के लिए आवर्ती खर्च हेतु फंडिंग की अनुमति दे सकती है।
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के आधार पर समय सीमा निश्चित की जाएगी।
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय प्रदेय वस्तुओं (डिलीवरेबल्स) की निर्धारित मात्रा दर्शाते हुए अनुदान रिलीज़ करने से पूर्व अनुदेयी (ग्रांटी) संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।
- कार्यात्मक परियोजना के 5 वर्ष पूरे होने पर नवीकरण की अनुमति दी जा सकती है।
- फील्ड अधिकारी/क्षेत्रीय निदेशक/मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत परियोजना की प्रगति की आवधिक समीक्षा भी की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त सुधारात्मक उपाय भी सुझाए जाएंगे।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता के अंतर्गत, कच्चा माल डिपो के अलावा सभी घटकों, के लिए भुगतान पद्धति। निधियाँ निम्नलिखित शर्तों पर 3 किश्तों में रिलीज़ की जाएगी:

पहली किश्त	अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि का 50%
दूसरी किश्त	जीएफ़आर-12ए में पहली किश्त की 80% राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के उपरांत 40% रिलीज़ किए जाएंगे।
तीसरी किश्त	अपेक्षित व्यय के लेखापरीक्षा विवरण जीएफ़आर-12ए प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र, निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट और अन्य संगत दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर वास्तविकता के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में 10% रिलीज़ किए जाएंगे।

टिप्पण: परियोजना की आवश्यकता के अनुसार पीएएमसी के अनुमोदन पर भुगतान पद्धति को बदला/संशोधित किया जा सकता है। यदि परियोजनाएं विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी तो, परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार 100% अग्रिम आहरित किया जा सकता है।

टिप्पण: मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर घटकों का नवीकरण

सामान्य सुविधा केंद्र और एम्पोरिया परियोजनाओं को छोड़कर, मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर घटकों के सुदृढ़ीकरण/नवीकरण के लिए उस घटक की अधिकतम वित्तीय सीमा के 60% की सीमा तक सहायता भी प्रदान की जाएगी (विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा 100% सहायता वहन की जाएगी)।

अनुसंधान एवं विकास

(VI) अनुसंधान एवं विकास योजना

अनुसंधान एवं विकास योजना की शुरुआत हस्तशिल्प क्षेत्र में विभिन्न शिल्पों तथा कारीगरों के आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्य और प्रचार पहलुओं पर फीडबैक सृजित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, योजना बनाने के उद्देश्य से नीतिगत सर्वेक्षण एवं अध्ययन प्रायोजित/संचालित किए जाते हैं ताकि उपयुक्त इनपुट प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत निम्नलिखित इंटरवेंशन किए जाएंगे:

(i) सर्वेक्षण एवं अध्ययन

क- विशिष्ट शिल्पों पर सर्वेक्षण/अध्ययन

ख- कच्चे माल, प्रौद्योगिकी, डिज़ाइन, सामान्य सुविधाओं आदि की उपलब्धता से सम्बन्धित समस्याएं।

ग- कारीगर की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

घ- घरेलू अथवा विदेशी बाजारों के लिए विशिष्ट शिल्पों के संबंध में बाजार मूल्यांकन अध्ययन।

ङ- हस्तशिल्प क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न प्रचार परियोजना कार्यक्रमों का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और पश्च मूल्यांकन।

(ii) जीआई शिल्पों के पंजीकरण (प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण सहित), लेबलिंग/प्रमाणीकरण हेतु लीगल पैरा, मानकों, ऑडिटों और अन्य प्रलेखनों को तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता।

(iii) लुप्तप्राय शिल्पों, डिज़ाइन, विरासत व परंपरागत ज्ञान सहित शिल्पों के संरक्षण से जुड़ी कार्य प्रणाली तैयार करने, विकसित करने हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता।

(iv) देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना कराना।

(v) हस्तशिल्प मार्क, बार कोडिंग व इसी प्रकार के अन्य मानकों सहित वैश्विक मानकों को अपनाने में हस्तशिल्प निर्यातकों की सहायता करना।

(vi) हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर कार्यशालाओं /सेमिनारों का आयोजन।

(vii) हस्तशिल्प योजनाओं का मूल्यांकन/प्रभाव निर्धारण अध्ययन।

(viii)सरकारी विभाग/मंत्रालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और निर्यात संवर्धन परिषदों आदि को आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता।

II. पात्रता

सहायता अनुदान एक विशिष्ट क़ानून के तहत किसी सार्वजनिक निकाय या संस्थान जिसकी एक अलग कानूनी इकाई होगी अर्थात स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित संस्थान या संगठन को या सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882, प्रोड्यूसर कंपनीज़ और धारा-8 कंपनीज़ (कंपनी एक्ट-2013) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक तथा अन्य संस्थानों, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, निर्यात संवर्धन परिषदें, सीसीआईसी, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली, राज्य/केंद्र सरकार एजेंसियां आदि को दी जाएगी। एजेंसियों के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जीएफ़आर के अंतर्गत संगत नियम होंगे।

III. वित्तीय मापदण्ड

पात्र संगठनों को 100% सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता का संवितरण दो किश्तों में किया जाएगा। स्वीकृत राशि के 50% की पहली किश्त अग्रिम के रूप में रिलीज़ की जाएगी और शेष अनुमत राशि दूसरी किश्त प्रतिपूर्ति के रूप में रिलीज़ की जाएगी। सहायता अनुदान की स्वीकृति के लिए व्यय शीर्ष निम्न प्रकार से है:-

क) अध्ययन/सर्वेक्षण संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता

क्रमांक	शीर्ष	व्यक्तियों की अधिकतम संख्या	अधिकतम अनुमत राशि
i.	परियोजना लीडर	1	50,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से
ii.	वरिष्ठ अनुसंधान विशेषज्ञ	2	35,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से
iii.	कनिष्ठ अनुसंधान कर्मी	2	25,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से
iv.	अन्वेषक (स्नातक)	3	15,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से
v.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	10,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से
vi.	प्रलेखीकरण एवं वीडियोग्राफी	--	50,000/- रुपये
vii.	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	--	18,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से
viii.	विविध	--	कुल लागत अर्थात (i) से (vii) तक का 5%
ix.	प्रशासनिक प्रभार	--	कुल परियोजना लागत अर्थात (i) से (viii) तक का 3%

एक दिवसीय सेमिनार/कार्यशाला के लिए वित्तीय सहायता :-

क्रमांक	शीर्ष	अधिकतम अनुमत राशि
i.	हॉल एवं अवसंरचना	60,000/- रुपये
ii.	रिसोर्स व्यक्तियों (अधिकतम 4) के लिए भोजनालय और आवास	प्रति व्यक्ति, 9,000/- रुपये की दर से
iii.	रिसोर्स व्यक्तियों को यात्रा भत्ता	12,000/- रुपये प्रतिव्यक्ति या एसी-I/ इकोनोमी श्रेणी में हवाई किराया, जो भी कम हो
	अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के लिए	70,000/- रुपए प्रति व्यक्ति या इकोनोमी श्रेणी में हवाई किराया, जो भी कम हो
iv.	रिसोर्स व्यक्तियों को मानदेय	4,000/- रुपये प्रतिव्यक्ति की दर से
v.	प्रतिभागियों को यात्रा अवधि सहित यात्रा भत्ता	2,000/- रुपये प्रति प्रतिभागी/कारीगर या एसी-III टायर का किराया, जो भी कम हो
vi.	प्रतिभागियों को दैनिक भत्ता	300/- रुपये की दर से प्रति प्रतिभागी/कारीगर
vii.	प्रलेखीकरण एवं वीडियोग्राफी	40,000/- रुपये
viii.	गाड़ी किराए पर लेना	50,000/- रुपए
ix.	अल्प आहार एवं चाय, लंच आदि	400/- रुपये की दर से प्रति प्रतिभागी/कारीगर
x.	बैनर, बेकड्रॉप, पेम्फ़लेट, बुकलेट आदि सहित प्रचार	65,000/- रुपए
xi.	विविध	कुल लागत अर्थात (i) से (x) तक का 5%
xii.	प्रशासनिक लागत	कुल परियोजना लागत अर्थात (i) से (xi) तक का 3%

- सर्वेक्षण/अध्ययन की परियोजना अवधि 3 से 12 महीने तक हो सकती है और सेमिनार/कार्यशाला की अवधि एक दिन होगी।
- विशेष मामलों में सक्षम प्राधिकारी के विशेष अनुमोदन से दिनों की संख्या और वित्तीय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

IV. कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश-

1) **परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना:** पात्र एजेंसियों को अध्ययन/सर्वेक्षण और/अथवा सेमिनार/कार्यशाला संचालित करने के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार, केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए।

2) **कारीगरों का चयन:** पहचान कार्ड धारक कोई भी कारीगर सेमिनार/कार्यशाला में भाग ले सकता है। लाभार्थियों का चयन निष्पक्ष/पारदर्शी रीति से, सुपरिभाषित उद्देश्य मानदण्डों के माध्यम से, सभी कारीगरों को समान अवसर प्रदान करते हुए, संबंधित सहायक निदेशक (ह) के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाए। (तथापि, उपेक्षित सामाजिक समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/महिलाओं/दिव्यांग व्यक्तियों को वरीयता दी जा सकती है)। लाभार्थियों के ब्यौरे विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के पोर्टल/एमआईएस पर अपलोड किए जाने चाहिए।

3) **परियोजना लीडर/एसआरएफ़/जेआरएफ़ और रिसोर्स व्यक्तियों का चयन:** अध्ययन/सर्वेक्षण संचालित करने के लिए, कार्यान्वयन एजेंसी/संस्था द्वारा पात्र प्रतिभागियों के विस्तृत प्रोफाइल विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय को प्रस्तुत करने पर उनका चयन किया जाएगा। सेमिनार/कार्यशाला के लिए, कार्यान्वयन एजेंसी/संस्था संबंधित क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों या अपनी फ़ैकल्टी/रिसोर्स व्यक्तियों को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त कर सकते हैं।

4) **प्रस्तुतिकरण, प्रलेखीकरण, वीडियोग्राफी:** अध्ययन/सर्वेक्षण पूरा होने पर, कार्यान्वयन एजेंसी/संस्था विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की अध्यक्षता में परियोजना समिति के समक्ष किए गए अध्ययन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए; प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने से पूर्व, एक पावर पॉइंट प्रेसंटेशन प्रस्तुत करेंगे। कार्यान्वयन एजेंसी स्वीकृति आदेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय को विस्तृत प्रलेखीकरण रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत करेगी।

   इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन एजेंसी शामिल स्रोत व्यक्ति के साथ सेमिनार के परिणामों को मूर्त रूप देने के लिए उनके प्रस्तावों को शामिल करते हुए संचालित सेमिनार के विषय के निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगी।

   सर्वेक्षण/अध्ययन की प्रलेखीकरण रिपोर्ट सुनिदेशित निष्कर्षों के साथ सूचनात्मक और व्यापक होनी चाहिए और भविष्य के शैक्षणिक/अनुसंधान संदर्भों आदि के लिए बुक/ई-बुक प्रारूप में मुद्रित होनी चाहिए। सेमिनार के पत्रों को भी इसी प्रकार अलग से मुद्रित किया जाना चाहिए। उक्त की प्रति राज्य हस्तशिल्प विभाग, एनआईडी/निफ़्ट, विश्वविद्यालयों, सरकारी कला एवं शिल्प कॉलेजों आदि में भेजी जानी चाहिए और इनकी पावती विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को प्रस्तुत की जाए।

5) **निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग:** फील्ड कार्यालय/सहायक निदेशक को कार्यक्रम का सफल निष्पादन और संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। निरीक्षण अधिकारी को सेमिनार/कार्यशाला का दौरा करना चाहिए और 5

फोटोग्राफ के साथ 3 दिनों के भीतर सीधे मुख्यालय कार्यालय को (कार्यान्वयन एजेंसी और क्षेत्रीय कार्यालय को एक-एक प्रति) ईमेल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिए। अध्ययन/सर्वेक्षण के लिए, फील्ड कार्यालय किए गए अध्ययन पर, कार्यान्वयन एजेंसी/संस्थान के दावों की पुष्टि करते हुए, अपनी टिप्पणी/रिपोर्ट देगा। निरीक्षण हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी/कालीन प्रशिक्षण अधिकारी या उससे ऊपर स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

6) **लाभार्थियों को भुगतान पद्धति:** सभी लाभार्थियों/संबंधितों को केवल पीएफ़एमएस का प्रयोग करते हुए भुगतान किए जाने चाहिए। (इसके अतिरिक्त, कारीगरों को लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और सेवा प्रदाताओं को वेंडर्स के रूप में या किसी भी अन्य उचित श्रेणी के तहत पंजीकृत होना चाहिए)।

वृहत हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना

(2021-22 से 2025-26)

वृहत हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना

प्रस्तावना:

वृहत हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अधीन एकीकृत परियोजनाएँ उन हस्तशिल्प कलस्टरों में आधारभूत संरचनात्मक एवं उत्पादन श्रृंखला को प्रवर्धित करने की एक मुहिम है जो असंगठित रहे हैं और अभी तक हुए आधुनिकीकरण और विकास के साथ बराबरी नहीं कर सके हैं। इसके परिणामस्वरूप, हस्तशिल्प क्षेत्र, जो लंबी परंपरागत विरासत एवं सांस्कृतिक कड़ियों का आधार है, के विकास और उत्पादन की इष्टतम प्राप्ति के लिये कोई नई शुरुआत नहीं की गई।

इस क्षेत्र की संभावनाएँ आधारभूत संरचनाओं में सुधार, औजारों, मशीनरी, प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और उत्पाद विविधीकरण तथा मजबूत ब्रांड निर्माण करने में निहित है। कलस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए लाभ देने वाला बाजार (निच मार्किट) सृजित करने हेतु मूल सिद्धान्त के रुप में देशी उत्पादों के ब्रांड निर्माण के अलावा नव परिवर्तित डिज़ाइनों के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान का होना भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रस्तावित कार्यक्रम से विपणन कड़ियों, उत्पाद विकास और उत्पाद विविधीकरण के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन/सृजन अपेक्षित है।

हस्तशिल्प कलस्टर विशेष उत्पादों में विशेषज्ञता के साथ, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच नजदीकी कड़ियों और परस्पर निर्भरता वाले स्पष्ट चिन्हित भौगोलिक स्थानों (कलस्टरों) में स्थित है।

इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान यह देखने में आया है कि कुछ विशिष्ट शिल्पों में कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार सृजित करने और देशी तथा विदेशी बाज़ारों में शिल्प बाज़ार को बढ़ाने हेतु "एक विशिष्ट शिल्प में देशभर के विभिन्न स्थानों" या "राज्य/भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न शिल्पों पर कार्य करने वाले फैले हुए कलस्टरों" में कुछ मामलों में इंटरवेंशन कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में सीएचसीडी योजना लचीली होकर भारत के प्रत्येक भाग में, जहां भी चयनित शिल्प मौजूद है, पहुँच सकेंगी। ये गतिविधियां सॉफ्ट से हार्ड इंटरवेंशन के रूप में हो सकती हैं। संक्षेप में, सीएचसीडीएस के अधीन परियोजनाएँ किसी विशिष्ट शिल्प में देश भर में विभिन्न स्थानों के साथ अथवा किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अथवा एक राज्य में जहां शिल्पों को ब्लॉक/ कलस्टर स्तर पर चिह्नित किया गया है, कार्यान्वित की जा सकती हैं।

एकीकृत परियोजनाओं को विकास के लिए केंद्र/राज्य हस्तशिल्प निगमों/स्वायत्त निकाय-परिषद-संस्थान/ पंजीकृत सहकारी समितियां/ कारीगरों की उत्पादक कंपनी/ पंजीकृत एसपीवी के माध्यम से, जिन्हें हस्तशिल्प क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अच्छा अनुभव हो और इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए डीपीआर के अनुसार, चलाया जाएगा।

1. उद्देश्य एवं कार्यनीति

इन कलस्टरों को विश्व-स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित करने का उद्देश्य है। इन कलस्टरों को तैयार करने के पीछे मार्गदर्शी सिद्धान्त विश्व-स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करना होगा जो उत्पादन एवं निर्यात वृद्धि के लिए स्थानीय कारीगरों तथा लघु एवं माध्यम उद्दयमों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। संक्षेप में, इन कलस्टरों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवीनतम प्रौद्योगिकी और पर्याप्त प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास इनपुट्स, विपणन कड़ियों और उत्पाद विविधीकरण द्वारा कारीगरों एवं उद्यमियों के लिए विश्व स्तरीय इकाईयां तैयार करने में सहायता करना है। एसपीवी को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित एसएसआई और एसपीवी की इकाईयों के मानक मॉडल्स होंगे जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त पाने के लिए अनुकूलित किया गया है और इन केन्द्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनने की अत्यधिक क्षमता है।

प्रस्तावित कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं-

I. उत्पादों की उच्चतर इकाई मूल्य प्राप्ति द्वारा बाज़ार शेयर में वृद्धि के अनुरूप और अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करते हुए चयनित कलस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।

II. यत्र-तत्र फैले हुए कारीगरों का प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करना, उनके आधारभूत उद्यमों का निर्माण करना और अनुकूलित इंटरवेंशनों के लिए न्यूनतम धनराशि {क्रिटिकल मास} जुटाने हेतु उनको क्षेत्र के लघु एवं माध्यम उद्यमों के साथ जोड़ना और प्रचालन में बड़े पैमाने की लागत सुनिश्चित करना है। इससे एक आपूर्ति सिस्टम तैयार होगा जो बड़े पैमाने के ऑर्डरों को तैयार करने तथा गुणवत्ता और उत्पाद मानकीकरणों का पालन करने में सक्षम होगा, जो वैश्विक बाज़ार की पूर्वापेक्षाएं हैं।

III. विभाजित उप क्षेत्र उद्योग में विशिष्ट इंटरवेंशन के माध्यम से लोगों के लिए अतिरिक्त जीविका के अवसर सृजित करना और इस क्षेत्र में पहले से ही कार्यरत कारीगरों/शिल्पियों की आय में वृद्धि करना।

IV. पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधिकरण, डिज़ाइन विकास, कच्चे माल बैंक, विपणन एवं संवर्धन, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य संघटकों के रूप में अपेक्षित सहायता/कड़ियाँ मुहैया कराना जो हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत कारीगरों/शिल्पियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

V. प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए कार्यनीतियों के मूलभूत सिद्धान्त निम्न प्रकार से है:

VI. सक्षम व्यवसायिक एजेंसी के माध्यम से, क्षमता निर्माण, इंटरवेंशंस की डिजाइनिंग और उनके कार्यान्वयन के लिए, अग्रसक्रिय एवं मजबूत तकनीकी तथा कार्यक्रम प्रबंधन सहायता।

2. निधीयन पद्धति

बेसलाइन डाटा/डीपीआर स्थापित करने के लिए कुल परियोजना लागत के 2% (अधिकतम) की सीमा तक या अधिकतम 5.00 लाख रुपए (जो भी कम हो) प्रति परियोजना चिन्हित करने होंगे जिसके निष्पादन की तुलना परियोजना के अंत में की जाएगी। कुल निधियों की आवश्यकता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार होगी। कुल परियोजना लागत का 3% परियोजना मॉनिटरिंग इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए प्रदान किया जाएगा।

अनुमोदित परियोजना लागत का 50% अग्रिम/पहली किश्त के रूप से रिलीज़ किया जाएगा। पहली किश्त की 70% राशि का उपयोग करने पर दूसरी किश्त के रूप में अनुमोदित परियोजना लागत का 40% रिलीज़ किया जाएगा। अंतिम 10% राशि प्रतिपूर्ति के रूप में परियोजना के पूर्ण हो जाने पर और उपयोगिता रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने पर रिलीज़ की जाएगी।

3. क्रियान्वयन कार्य प्रणाली और संरचना

इस प्रकार की परियोजना जो कि आवश्यकता आधारित, बहु हितधारक संचालित, समग्र एवं परिणामोन्मुखी है, को संस्थागत विन्यास और प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी जो कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम और सहायक है।
निम्नलिखित कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं के माध्यम से परियोजना कार्यान्वित की जाएगी :-

i. किसी विशेष स्थान के शिल्प पॉकेट/कारीगरों को पहचानने के लिए फील्ड सर्वेक्षण/व्यवहार्य अध्ययन शुरू किए जाने चाहिए।

ii. कलस्टर की आवश्यकताओं, कमियों को पहचानने के साथ बेसलाइन संदर्भ डाटा विकसित करने के उद्देश्य से कलस्टर का सविस्तार नैदानिक अध्ययन शुरू करना। परियोजना के लिए लाभान्वित कारीगरों की संख्या 10000 से अधिक या शिल्प संकेन्द्रण क्षेत्र में कारीगरों की उपलब्धता के अनुसार होनी चाहिए।

iii. नैदानिक अध्ययन के आधार पर तकनीकी, वित्तीय, संस्थागत एवं कार्यान्वयन पहलुओं को कवर करते हुए सविस्तार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाना। यह डीपीआर प्रत्येक इंटरवेन्शन के अपेक्षित परिणाम, जो मापने योग्य है जैसे आय/पारिश्रमिक में वृद्धि, पूर्णकालिक कारीगरों की संख्या, उत्पादन एवं निर्यात आदि, को स्पष्ट करेगी।

iv. कलस्टर के मुख्य साझेदारों द्वारा नैदानिक अध्ययन और डीपीआर के निष्कर्षों का मान्यकरण जिसमें प्रतिनिधि संगठन, कारीगरों के संघ, सहायक संस्थान, सेवा प्रदाता, राज्य एवं केंद्र सरकार की एजेंसियां शामिल है।

v. परियोजनाओं के वित्तीय मानदंड राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अनुरूप और पीएएमसी द्वारा अनुमोदित डीपीआर के अनुसार होंगे।

vi. परियोजना की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, जिसे पीएएमसी के अनुमोदन के आधार पर अगले 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

vii. वस्त्र मंत्रालय के अधीन पीएएमसी द्वारा डीपीआर का अनुमोदन। डीपीआर की सभी गतिविधियां एक साथ स्वीकृत की जानी चाहिए। एक परियोजना के लिए केवल एक कार्यान्वयन एजेंसी होनी चाहिए। सीएचसीडीएस के अधीन सभी परियोजनाओं के लिए केवल एक कलस्टर प्रबंधन एवं तकनीकी एजेंसी (सीएमटीए) होनी चाहिए।

viii. डीपीआर के किसी भी इंटरवेन्शन के लिए आवश्यक भूमि का स्वामित्व एसपीवी द्वारा परियोजना की स्वीकृति से पहले होना चाहिए। भूमि सभी मुकदमों से मुक्त होनी चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार की आवश्यक मंजूरी होनी चाहिए।

ix. इंटरवेन्शनों का कार्यान्वयन डीपीआर में उल्लिखित फेसिंग के अनुसार होगा। तथापि, पीएएमसी के अनुमोदन से, परियोजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों में लचीलापन अपनाया जा सकता है।

x. परियोजना के अधीन हस्तशिल्पों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनकी बिक्री में वृद्धि हो सके।

xi. आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए निधियों का संवितरण आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से किया जाए। नकदरहित और इलेक्ट्रोनिक लेनदेन को अपनाया जाए।

xii. डीपीआर में परिभाषित परिणामों की तुलना में फील्ड कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय स्तर पर इंटरवेन्शनों के कार्यान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग और मूल्यांकन।

xiii. परियोजना पूर्ण होने के 10 वर्षों तक फील्ड कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर घटकों जैसे सामान्य सुविधा केंद्र, सामुदायिक उत्पादन केंद्र, कच्चा माल बैंक, रिसोर्स केंद्र, डिजाइन केंद्र, व्यापार सुविधा केंद्र की मॉनिटरिंग।

xiv. कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)/ एसपीवी/ विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के फील्ड कार्यालयों द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) प्रस्तुत करना। इस कार्यालय को सूचित करते हुए आईए/एसपीवी द्वारा उनकी वेबसाइट पर कार्यक्रम/इंटरवेन्शन के फोटोग्राफ/वीडियो अपलोड करना।

xv. परियोजनाओं के लिए डिजाइनर को अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। डिजाइनर की फीस यात्रा भत्ता सहित प्रतिमाह 55,000/- रुपए होगी। डिजाइनर को प्रस्तुत नए डिजाइनों की संख्या और नए डिजाइनों की बिक्री के अनुसार परिणाम- आधारित मापदंडों से लिंक किया जाना चाहिए। डिजाइनरों के चयन में एनआईडी और निफ़्ट स्नातकों को वरीयता दी जाएगी और पारदर्शी तरीके से इन्हें नियुक्त किया जाएगा।

xvi. परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना मॉनिटरिंग इकाई की स्थापना के लिए 3% प्रशासनिक लागत के लिए पात्र होगी।

xvii. सभी परियोजनाओं को पहले 3 वर्षों में शुरू/स्वीकृत किया जाना है और वे कुल योजना अवधि के लिए संचालन में रहेंगी।

xviii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कारीगरों को समर्थन देने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं के साथ, वित्तीय सहायता, बैंक लिङ्केजेस और अनुसूचित जनजाति के कारीगरों के हस्तशिल्पों की बिक्री एवं निर्यात के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के साथ और अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण एवं विपणन कार्यक्रमों के लिए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की योजनाओं के साथ अभिसरण का पता लगाया जाएगा।

4. परियोजना अनुमोदन एवं निगरानी समिति (पी ए एम सी)

परियोजना अनुमोदन एवं निगरानी समिति (पी ए एम सी) द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा। विस्तृत डीपीआर प्रस्तुत करने के उपरांत ही पीएएमसी आगामी अनुमोदन प्रदान करेगा। पीएएमसी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की भी आवधिक समीक्षा की जाएगी ।

पीएएमसी के संघटक निम्न प्रकार से होंगे-

सचिव (वस्त्र)	अध्यक्ष
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	सदस्य
राज्य में हस्तशिल्प से जुड़े विभाग के सचिव/निदेशक (उद्योग)	सदस्य
एएस एंड एफ़ए/आई एफ़ डबल्यू के प्रतिनिधि	सदस्य
संबंधित ज़िले के ज़िला मेजिस्ट्रेट	सदस्य
अपर विकास आयुक्त/निदेशक (हस्तशिल्प)	सदस्य संयोजक

5. प्रदेय/ प्रस्तावित कलस्टरों के लाभ

सामाजिक :

I. रोजगार सृजन;
II. मौजूदा कारीगरों के लिए बेहतर जीवन स्तर।

आर्थिक :

I. निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन ;
II. गुणवत्ता तथा अधिक मूल्य वाले उत्पादन में ठोस वृद्धि ;
III. छोटे उद्यमियों के व्यापार में वृद्धि ;
IV. कलस्टर में बेहतर संरचना तथा सरकार द्वारा प्रेरित लाभों के कारण उत्पादकों द्वारा लागत में कमी;
V. स्थानीय निकायों तथा राज्य एवं केंद्र सरकार को राजस्व प्राप्ति;
VI. संगठित रूप में उद्योग में वृद्धि।